चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ के अन्य प्रमुख प्रकाशन

1. Making of our Constitution
2. चौधरी रणबीर सिंह : जीवन, कृतित्व, व्यक्तित्व - कुछ अनछुए पहलू
3. Freedom Struggle in Haryana and Chaudhry Ranbir Singh
4. किस्सा युगपुरुष चौधरी रणबीर सिंह
5. श्रद्धांजलि : महानायक चौधरी रणबीर सिंह के चरणों में
6. संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह
7. चौधरी रणबीर सिंह जी की पावन कथा (पुस्तिका)
8. स्वराज कथा - स्वतंत्रता आन्दोलन में हरियाणा
9. स्वतन्त्रता आन्दोलन में आर्यसमाज और चौधरी रणबीर सिंह : डॉ० रामप्रकाश (पुस्तिका)
10. स्वराज किरणें
11. Swaraj Legacy
12. गीता का सन्देश : डॉ० कर्ण सिंह (पुस्तिका)
13. Tell the Nation..... Question Hour
14. संविधान सभा में हरयाणा
15. प्रथम लोकसभा में चौधरी रणबीर सिंह
16. चौधरी मातूराम आर्य- एक संक्षिप्त परिचय

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

अलग राह के पैरोकार चौधरी रणबीर सिंह

लेखक: ले. कर्नल (से.नि.) चन्द्र सिंह दलाल

अलग राह के पैरोकार
चौधरी रणबीर सिंह

लेखक
ले० कर्नल (से.नि.)
चन्द्र सिंह दलाल

पुस्तक :

हरियाणा के सामाजिक-राजनीतिक पटल पर स्वतन्त्रता आन्दोलन से जुड़ी विभिन्न विभूतियों में चौधरी रणबीर सिंह का अहम स्थान है। किन्तु कारण जो भी रहे हों, उनके व्यक्तित्व का उचित मूल्यांकन शेष है। ग्रामीण भारत अधिकार मंच के संयोजक ने इस पुस्तक में उनके जमीन से जुड़े पक्ष को प्रस्तुत किया है, जिसकी जानकारी कम ही लोगों को है। वर्ष 1948से लेकर वर्ष 1978तक की अवधि में विभिन्न सदनों में दिए गए उनके भाषणों से ऐसे मुद्दों को चुना है, जिनका सम्बन्ध इस क्षेत्र के जनजीवन से जुड़ा था। पुस्तक अनेक भ्रम व मिथकों को तोड़ती है और इसमें से एक निराला चरित्र झांकने लगता है।

लेखक:

ले. कर्नल (अ.प्रा.) चन्द्र सिंह दलाल बहु-प्रतिभा के धनी हैं। वर्ष 1986में सेना से अवकाश प्राप्ति के बाद से लेखन कार्य उनकी साहित्य रूचि का प्रमाण है। वे 'नादान हरियाणवी' के नाम से लिखते रहे हैं। अध्ययनशील व्यक्ति हैं। फ्लिहाल वे 'ग्रामीण भारत अधिकार मंच' के संयोजक हैं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं। रोहतक जिले के चिड़ी गाँव में 6अप्रैल, 1934 को उनका जन्म हुआ था।

सम्प्रति:
अधिवक्ता, जिला अदालत, रोहतक।

चौधरी रणबीर सिंह जी
(1914-2009)

अलग राह के पैरोकार

अलग राह के पैरोकार

© प्रकाशक

संस्करण : २०१२

प्रकाशक :

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

मुद्रक :

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रैस, रोहतक

समर्पण

उन देशवासियों को जो अपनी
ईमानदार मेहनत पर जिंदा हैं
और
उन आज़ादी के दीवानों को जो
अपनी निष्ठा के लिए होम हो गए

विषय सूची

संदेश ix
चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा,
मुख्यमंत्री, हरियाणा

दो शब्द xi
प्रो॰ आर. पी. हुड्डा
कुलपति, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक

टिप्पणी xiii / xv
प्रो. सुरेश शर्मा/डा. खजान सिंह गुलिया

प्रस्तावना xvii
ज्ञान सिंह
अध्यक्ष, चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ

लेखक की ओर से/पुस्तक परिचय xxiii
लेफ्टि. कर्नल चन्द्र सिंह दलाल (अ.प्रा.)
लेखक

अध्याय–1. कसक 1–08

अध्याय–2. कृषि एवं ग्रामीण विकास 9–51

अध्याय–3. भूमि अधिग्रहण 52–66

अध्याय–4. यमुना नदी का विकास 67–83

अध्याय–5. भाखड़ा बांध 84–93

अध्याय–6. जीवन शैली का बचाव 94–105

अध्याय–7 मिश्रित 106–129

अध्याय–8 रूतबा 130–138

अध्याय–9 उपसंहार 139–144

चौधरी रणबीर सिंह : संक्षिप्त जीवन घटनाक्रम 145–146

D.O. No. CMH-2012/555

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा
BHUPINDER SINGH HOODA

मुख्य मन्त्री, हरियाणा,
चण्डीगढ़।
CHIEF MINISTER, HARYANA,
CHANDIGARH.

सत्यमेव जयते

Dated 29.12.12

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह के जीवन पर लेफ्टि. कर्नल (सेवानिवृत) चन्द्र सिंह दलाल द्वारा रचित पुस्तक 'अलग राह के पैरोकार चौधरी रणबीर सिंह' का शीघ्र ही प्रकाशन किया जा रहा है।

चौधरी रणबीर सिंह ने अपने सामाजिक दायित्वबोध को उच्च प्राथमिकता देकर जीवन जीया और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया। जीवनपर्यन्त राजनीति में अनुकरणीय संत बने रहे तथा जमीनी हकीकत से जुड़ कर उन्होंने निर्भय होकर अपनी बात कही। उनका सारा जीवन, उनकी सोच और आचरण स्वतंत्रता आन्दोलन की विरासत से निर्मित हुआ। वे भारत की संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे। संयुक्त पंजाब में सिंचाई व बिजली मंत्री के रूप में भाखड़ा डैम निर्माण में उनकी भूमिका को लम्बे समय तक याद किया जायेगा।

इस पुस्तक में चौ. रणबीर सिंह के व्यक्तित्व को आंकने–समझने के लिए प्रयास किया गया है तथा यह पुस्तक पाठकों के लिए शीघ्र ही उपलब्ध होगी।

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक में स्थापित 'चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ' के इन प्रयासों की मैं सराहना करता हूँ तथा पुस्तक के सफल प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

भूपेन्द्र सिंह

(भूपेन्द्र सिंह हुड्डा)

VICE-CHANCELLOR

MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY
ROHTAK - 124001, (HARYANA) INDIA

Off. : 01262-274327, 292431
Res. : 01262-274710
Fax : 01262-274133, 274640

दिनांक : 10.12.2012

दो शब्द

मुझे यह जानकर संतोष हुआ है कि प्रस्तुत प्रकाशन में चौधरी रणबीर सिंह के व्यक्तित्व को उन्हीं के शब्दों में समझने का एक अच्छा प्रयास हुआ है। विश्वविद्यालय में कार्यरत चौधरी रणबीर सिंह पीठ' के सौजन्य से यह रचना इस मायने में महत्पूर्ण है कि मौलिक दस्तावेजों से चुन कर ली गई सामग्री एक ऐसे व्यक्तित्व को उभारती है, जिसकी सही समझ बहुत कम लोगों को है और जिसने उपयुक्त अवसर पर देश की भावी नीतियों को रचने में एक एक कदम पर अग्रणी भूमिका अदा की है।

चौधरी रणबीर सिंह एक निर्णायक दौर में सक्रिय नेता थे। उस समय देश का भावी चित्र तैयार हो रहा था। वे 32 साल की उम्र में 10 जुलाई, 1947 को संविधान सभा के लिए चुन लिए गए और 14 जुलाई को शपथ ग्रहण के बाद देश के समक्ष समस्याओं को समझने में लग गए। संविधान सभा विभिन्न धाराओं की रणस्थली थी। किन्तु, एक सांझा संकल्प था कि स्वतन्त्र देश के तौर पर आगे बढना है। यहां से उनका व्यक्तित्व निखरा। कुल मिलाकर वे सात विभिन्न सदनों के सदस्य रहे और पंजाब व हरियाणा में मन्त्रीपद पर भी रहे, जहां उनके वचन, कर्म व आचरण पर इस आन्दोलन की विरासत का प्रभाव सदा जमा रहा। वे इससे कभी विचलित नहीं हुए।

लेफ्टि. कर्नल (सेवानिवृत) चन्द्र सिंह दलाल ने चौधरी रणबीर सिंह को उनके ही शब्दों को लेकर समझने की एक शुरुआत की है। यह अच्छी शुरुआत है। मैं इस रचना की सफलता के लिए हृदय से कामना करता हूँ।

–आर.पा. हुड्डा

Suresh Sharma
Professor

Pt. No. 32
Professor's Colony, Tilak Nagar,
Amritsar (Pb), Pin. 143001
17 August, 2012

Comments

The work of Col. Chander Singh Dalal on Chaudhry Ranbir Singh has been commendable and touches the very nepitual knot of the creation of a state which could act as feeding ground for the covering states like U.P., Punjab etc.

A unique Parliamentarian, Chaudhry Sahib took up the cause to its logical end by insisting on its completion. His tryst with the welfare of the state started way back when he became the Member of Parliament and later Minister in the Punjab cabinet.

He vociferously pleaded for the creation of Haryana which he considered as the necessity of times. The creation of Chair in M.D.U. will encourage further research on such a son of the soil. It will surely bring the name of M.D.U. on face map of India.

Suresh Sharma
Professor

To,

The Chairman
Chaudhry Ranbir Singh Chair,
M.D.U., Rohtak.

टिप्पणी

कर्नल चन्द्र सिंह दलाल द्वारा लिखित 'अलग राह के पैरोकार, चौधरी रणबीर सिंह' नामक पुस्तक की पाण्डुलिपि पढी। पुस्तक की सर्वाधिक आकर्षक विशिष्टता यह लगी कि इसमें लेखक कम बोलता है और चौधरी रणबीर सिंह का कृतित्व अधिक। इस शैली का आश्रय लेने वाला लेखक यह सुनिश्चित करता है कि कोई अतिशय कथन न हो और जो भी किसी व्यक्तित्व की प्रशंसा में कहा जाए वह प्रमाण–पुष्ट होवे। इस उद्देश्य की प्राप्ति में लेखक पूर्णत सफल रहा है। इस पुस्तक की एक अन्य विशेषता यह है कि चौधरी रणबीर सिंह के व्यक्तित्व–कृतित्व व व्यक्तित्व के विषय में अविवेकी व्यक्तियों द्वारा फैलाई गयी अनेक भ्रान्तियों दूर होती हैं।

इस प्रकार लेखक का यह प्रयास इसलिए भी अति प्रशंस्य हो जाता है कि इससे श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति सामान्य लोगों में उस विश्वास व श्रद्धा का संचार होता है, जिसके वे सुपात्र हैं।

30. 8. 2012

हस्तः
डा. खजान सिंह गुलिया
सेवा निवृत प्राचार्य
; (उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा सरकार)

प्रस्तावना

उभार एक विशिष्ट व्यक्तित्व का

स्वतन्त्र भारत के लिए अपनी अलग राह निर्धारित करने की जिम्मेदारी संविधान सभा की थी। चार नवम्बर 1948 को जब संविधान का मसविदा सदन में बहस के लिए पेश हुआ तो सदस्यों के एक भाग को लगा कि यह राह वह नहीं है जिसकी देश को आवश्यकता है। चौधरी रणबीर सिंह उनमें अग्रणी थे जो समझते थे कि यहां पहले खेती–किसानी को मजबूती मिलने से देश तरक्की की राह पर आगे बढेगा जबकि दूसरा मत था कि देश को पूंजी–केन्द्रित भारी उद्योगों के बल पर मजबूती मिलेगी। संविधान सभा ने अन्त में इसी दूसरे मत को ग्रहण किया। चौधरी रणबीर सिंह के उस जमाने में कथन के महत्व को आज देश के सामने पेश समस्याओं के सन्दर्भ में देखने से समझा जा सकता है। वे उस अलग राह के पैरोकार बने जिसका अवसर उस समय हाथ से गंवा दिया गया था।

प्रस्तुत पुस्तक चौधरी रणबीर सिंह के उस पक्ष को सामने लाती है जिसका अहसास आज बहुत कम लोगों को है। इसके लिए लेखक ने उनके संविधान सभा तथा अन्य सदनों में दिए गए भाषणों को चुना है जब उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में कठिन संघर्ष के बाद अपने संसदीय जीवन की शुरुआत की थी और बाद में एक तपे हुए राजनेता के तौर पर जिम्मेदारियों को निभाया था। संविधान सभा में वे उस स्वतन्त्रता आन्दोलन की विरासत को लेकर आगे बढे जो ग्रामीण भारत

की जमीनी हकीकत से जन्मी थी। उस समय उनकी आयु 32 साल कुछ महीने भर की थी जब उन्हें 10 जुलाई 1947 को इस सदन का सदस्य चुना गया था।

यह वह समय था जब आजाद भारत के भविष्य की लकीरें खींची जा रही थीं; उद्योग व शहरीकरण की नींव डाली जा रही थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ब्रिटिश शासन के थपेड़ों से पहले ही त्रस्त थी। इस व्यथा से त्रस्त ग्रामीण भारत की राजदरबार के इस सशक्त मंच पर आवाज बनना अपने आप में एक हौसले की बात थी। चौधरी रणबीर सिंह जिस माटी से सांस लेकर बड़े हुए, जिसकी व्यथा को भोगा उसके प्रति जीवन भर ईमानदार रहे, यह पुस्तक इस तथ्य को पेश करती है।

नव गठित संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई। उसने 22 जनवरी 1947 को एक प्रस्ताव पारित कर उन सिद्धान्तों को ग्रहण किया जिनको आगे रख कर देश का भावी संविधन बना। 4 नवम्बर, 1948 को संविधान का मसौदा सदन में पेश हुआ। इसमें व्यक्ति ढांचे के केन्द्र में था। जबकि ग्रामीण भारत की पूरी व्यवस्था सदियों से परिवार तथा समुदाय पर टिकी हुई है।

ऐसे में संविधान सभा तथा बाद में अन्य सदनों में भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा उसके सामाजिक तानेबाने के पैरोकार होने का अर्थ अलग तरह का महत्व रखता है। ग्रामीण ढांचा चोट खाता जा रहा था। बहस में एक–एक बिंदु पर अपने नजरिये को बेहिचक रखते हुए ग्रामीण भारत से न्याय करने की अपील उनके संवाद में है।

यूं चौधरी साहिब का व्यक्तित्व बहु–आयामी था। संविधान सभा में कानूनी सवालों से लेकर अर्थव्यवस्था तक उनकी नजर में चढे। फिर, लोक सभा, राज्य सभा तथा अन्य सदनों में उन्होंने विधि विषयों पर अपनी पकड़ का परिचय दिया।

इस पुस्तक को तैयार करने के पीछे विशेष प्रयोजन है। किसान परिवार में जन्मे एक होनहार बालक की स्वतन्त्रता आन्दोलन के हाथ अनोखे नायक के रूप में रचना से लेकर ग्रामीण आंचल के अथक योद्धा बनने की कहानी से रूबरू कराना। 'चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ का मानना है कि गुलामी दौर के विरुद्ध संघर्ष में हरियाणा के इस योद्धा की दिलचस्प कहानी और उनके जीवनमूल्यों को आमजन के सामने रखा जाए ताकि समाज में न्यायबोध मार न खाए।

दिन–दिन यह अहसास गहराता जा रहा है कि देश एवं प्रदेश में स्वतन्त्रता आन्दोलन की सामान्य चेतना का लोप होता जा रहा है या जो कुछ कहीं बचा भी है, सतही है, रटा–रटाया है। उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। स्कूलों में इसपर पढाना ही बंद हो गया है जिससे हम अपने इतिहास को ही भूल बैठेंगे।

कालिज अथवा विश्वविद्यालयों के स्तर पर वैसे ही मानविकी (Humanities) विषयों को पीछे धकेला जा चुका है। फिर, कहीं पढने–पढाने का अवसर है तो दोनो, पढने और पढाने वालों का मन इस विषय से उचट गया है। स्वतन्त्रता आन्दोलन को प्रायोजित कथा मानकर फिजूल एवं अनोपयोगी मान लिया गया है। यह अनायास नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ा तबका स्वतन्त्रता आन्दोलन की चेतना को जितना जल्दी हो भुला देने में दिलचस्पी रखता है। इस दिशा में प्रयास तेज़ हुए हैं। इससे जो खतरा भारतीय समाज को होने वाला है उस पर किसी को ध्यान देने की फुर्सत नहीं है। लेकिन, सच यह भी है कि इसके प्रति आंख बंद करने से यह क्षति कम नहीं होने वाली है और न मिटेगी। इस तथ्य का अहसास समाज में रहना चाहिए। जब से बताया जाने लगा है कि कैरियर बनाने का हुनर सीखना ही शिक्षा है, धन भगवान का दर्जा पा गया है और आत्म–केन्द्रित व्यक्तिवाद

वातावरण में छाने लगा है तो मानवीय रिश्तो का अवमूल्ययन होकर समाज की चेतना मार खाने लगी है।

देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में हरियाणा प्रान्त अग्रणी भूमिका में रहा है। उसके अनेक सपूतों ने अद्‌भुत साहस और निष्ठा का इतिहास रचा। इस संघर्ष में से तप कर निकली अनेक विभूतियों पर यह क्षेत्र नाज कर सकता है। गुलामी के दर्द ने इन्हे बेचैन किया था। परन्तु, समय बीतते बीतते ये लोग विस्मृति में लोप होते जा रहे है और उनकी संघर्ष की गाथा से नयी पीढियां लगभग अनजान हो गई है। इनमें एक अनोखा चरित्र चौधरी रणबीर सिंह है जो ऐसे जमाने के प्रतिनिधि हैं जब अपने और अपने काम के बारे में प्रचार की परिपाटी से परहेज करना सिखाया जाता था। 'कर्म कर और भूल जा' की कहावत आम थी। बघारने से नहीं पता चलता, किसान का खेत बताता है कि हाली कैसा है! लेकिन चौधरी साहिब जाने से पहले उस जमाने की दहलीज तक हो कर गए जो केवल प्रचार से खाता–जीता है। उन्होंने बेलाग हो कर दोनों के अन्तर को देखा। यह पुस्तक उस नायक के बारे में है जो स्वतन्त्रता आन्दोलन के जीवन्त मूल्यों के अध्याय का यहां अन्तिम प्रहरी था।

स्वतन्त्रता संग्राम के अमर योद्धा चौधरी उदमी राम के सम्बंध में आज पूछा जाए कि वह कौन थे तो अधिक सम्भावना यह बनती है कि प्रान्त के छात्रों में शत प्रतिशत और अन्य तबकों में औसतन 99 प्रतिशत लोग बगलें झांकते मिलेंगे। यहां मान लिया गया है कि एक दशक पहले एक सज्जन की कृपा से रोहतक रेडियो स्टेशन द्वारा प्रसारित उदमी राम पर एक नाटक तथा बाद में प्रकाशित एक छोटी पुस्तिका के माध्यम से मिली जानकारी के जरिये एक प्रतिशत लोग उन्हें पहचानने लगे होंगे। आजादी के बाद हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति की कृपा से स्थिति यहां पहुंची खड़ी है जिसके बलबूते हमारे पढ़े–लिखे

तबके का ज्ञानी होने का दम्भ सातवें आसमान पर रहता है और वे ग्रामीण भारत को 'अज्ञानता व पिछड़ेपन' का कुंड बताते हुए कभी नहीं थकते जो बात लगभग 150 वर्ष पहले अंग्रेज अधिकारी मैटकॉफ ने भारत को 1857 की घटनाओं के बाद कलंकित करने के लिए कहनीं आरम्भ की थी।

यह बतकही अब तक यहां के पढे–लिखे तबके का आम फिकरा बन चला है! यह तबका मात्र उस जुगाली पर अपने ज्ञानी होने के घमंड में आज भी जीता है, यह अफसोस की बात है। स्वतन्त्रता आन्दोलन के बारे में मात्र 65 वर्ष बीतने पर ही फैली अज्ञानता का केवल एक यही कारण नहीं है, तो भी इसे आधार यही शिक्षा प्रणाली का मौलिक चरित्र प्रदान करता है।

उधर, एक कडुआ सत्य हैः आजादी का बीजमंत्र गुलामी का नकार है। भारत ने इसे भुगत कर सीखा है। ब्रिटिश शासन ने देश का दम ही घोंट दिया था। परन्तु, मनुष्य एवं उसके समाज की चेतना ने अंगडाई ली तब, यहां के स्वतन्त्रता आन्दोलन की गाथा लिखी गई। ताल ठोंक कर ललकारने पर ही यह लुटेरा शासन समाप्त हुआ।

सजग न रहें तो, समय बीतने पर, गुलामी दौर के दमन, अन्याय, शोषण व पद्दलित मर्यादा की पीड़ा का अहसास जिस कद्र कम होगा, स्वतन्त्रता का मूल्यबोध जाता रहेगा; आजादी अर्थ खो देगी और एक–न–एक दिन इसका मुरझाना लाजिमी है। भविष्य पर निगाह रखने वाली कोई जिंदा कौम अपने अतीत को भूलती है तो उसी दर्द के लौटने की सम्भावना बनती है, दुर्घटना से भिड़ने की चेतना मार खाती है, साहस बिखरने का खतरा खड़ा होता है, अन्याय व अमर्यादित आचरण को सहने, समझौता करने की प्रवृति प्रतिष्ठित होती है; दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क धुंधला होता है, धोखा

खाने का मार्ग तैयार होता है, आजादी को बचाने की ललक खत्म होती है। इससे गुलामी के लौटने की राह खुलती है।

इसलिए आवश्यक है कि जिंदा कौम अपने खट्टे–मीठे इतिहास से निरन्तर रूबरू रहे। अपने उन पूर्वजों से सीखती रहे जिन्होंने इसे आगे बढाने में कंधा लगाया। लै. कर्नल चन्द्र सिंह दलाल संवेदनशील व्यक्ति हैं और अध्ययनशील भी। उनको चौधरी साहिब का व्यक्तित्व भाया। उनके उपलब्ध साहित्य को खंगाला और इस पुस्तक को रूप दे दिया। उनकी तमन्ना रही कि वर्तमान एवं भावी पीढियों को चौधरी साहिब के बारे में बताया जाए। यह पुस्तक चौधरी रणबीर सिंह पर कोई विस्तृत जीवनी न होकर एक संक्षिप्त परिचयात्मक संकलन है जिसकी तत्काल आवश्यकता थी।

चौधरी रणबीर सिंह एक कठिन दौर में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करने आगे आए। फिर, विदेशी शासन की समाप्ति पर जब देश के भविष्य की नींव रखी जा रही थी तब उन्होंने निडर भाव उन हितों की पैरवी की जिनमें उनका मन रचा–बसा था और समझते थे जिस राह पर चल कर देश तरक्की कर सकता है। वे उस श्रम के पक्षपाती बने जो गांव में खटता है। पूंजी की दुनियां के ऐब उन्हें रास नहीं थे। यह बात बार बार सामने आई। वे अन्याय के विरोधी और न्याय के हिमायती बन कर रहे। उस समय खेती की कीमत को उन्होंने समझा जब कोई समझना नहीं चाहता था। हरियाणा में स्वतन्त्रता आन्दोलन की इस विरासत के वे सच्चे हकदार रहे। यह उनकी खूबी थी। प्रस्तुत प्रकाशन उनकी इस देन को समझने में मदद करेगा, ऐसी आशा है।

ज्ञान सिंह

अध्यक्ष,

चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ

लेखक की ओर से

पुस्तक परिचय

यह अपने आप में अनोखा दृष्टान्त है कि चौधरी रणबीर सिंह सात विभिन्न सदनों के सदस्य रहे थे। वे पंजाब विधान सभा से संविधान सभा तथा भारतीय विधान परिषद में 14 जुलाई, 1947 से 25 जनवरी, 1950 तक तथा अंतरिम लोकसभा में 26 जनवरी, 1950 से मार्च, 1952 तक, उसके उपरांत, मार्च, 1952 से मार्च, 1962 तक प्रथम तथा द्वितीय लोकसभा में रोहतक चुनाव क्षेत्र से सांसद रहे। 12 मार्च, 1962 में तत्कालीन पंजाब असेंबली के लिए चुने गए और वहां पर मंत्री पद संभाला। 1 नवम्बर, 1966 को पंजाब से अलग होकर वर्तमान हरियाणा का जन्म हुआ तो वे नवगठित हरियाणा सरकार में भी मंत्री पद पर रहे। लेकिन, हरियाणा विधानसभा के प्रथम चुनाव में वर्ष 1967 में नहीं जीत पाए और विधानसभा भंग होने पर शीघ्र ही दोबारा चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा में रहे। उसके उपरांत, वर्ष 1972 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुन लिए गए, जहां वे 1978 तक रहे।

वर्ष 1976 में एक वर्ष के लिए राज्यसभा के वाईस चेयरमैन के पैनल पर भी रहे। राज्यसभा में सदन के डिप्टी लीडर रहे और मार्च, 1977 में केन्द्र सरकार बदलने पर वे विरोधी दल के उपनेता भी रहे। इस 40 वर्ष की अवधि में सात सदनों की सदस्यता में चौधरी साहब ने हजारों बार अपनी बात कही, प्रश्न पूछे, प्वाइंट ऑफ आर्डर मांगा,

बहस व चर्चाओं में सक्रिय भाग लिया और विभिन्न कमेटियों के सक्रिय सदस्य रहे और वहां अपने काम की छाप छोड़ी।

थोड़े ही समय बाद संसद में उनकीं पहचान ग्रामीण विकास तथा किसान हितैषी के रूप में हो गई थी, जिसका उन्होंने जीवन पर्यन्त निर्वाह किया है। अंतिम समय तक यही उनकी पहचान बनी रही और आपको देहात सुधार का पर्याय माना जाने लगा।

उनके खास विषयों में किसान, मजदूर तथा उससे संबधित मुद्दे चाहे वह जमीन अधिग्रहण से संबंधित हों अथवा कृषि उपज के उचित मूल्य हों, सिंचाई से संबंधित भाखड़ा तथा यमुना विकास योजना (किशाऊ डैम) हों व अन्य मामले हों जो जनहित से सीधे सरोकार रखते हों, जैसे काला धन की समस्या, इत्यादि थे।

उन्होंने अपनी ओर से जोर देकर इन समस्याओं को निडरता से उठाया तथा उसका सार्थक प्रभाव भी हुआ। विभिन्न सदनों में बहस के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आपने जनहित का मुद्दा उठाते समय कभी किसी का दबाव नहीं माना और दबंग होकर कहा, जो कुछ उन्हें कहना था – चाहे वह किसी को चुभता रहा हो और रास न आया हो। आपने भलाई के काम हेतु किसी की भी परवाह नहीं की और टका सी बात कह दी। इसके उपरांत कोई पछतावा नहीं किया, चाहे उन्हें राजनीतिक घाटा भी उठाना पड़ा हो। अपितु, उसी समस्या को मौका मिलने पर पुनः दुगने जोश से प्रस्तुत करने से भी नहीं चूके।

चौधरी साहब द्वारा उठाए गए कुछ खास मुद्दों का वर्गीकरण करके प्रस्तुत पुस्तक में अध्यायों में रखा गया है। भूमि अधिग्रहण, ग्रामीण विकास व कृषि तथा पशुपालन, सिंचाई के लिए भाखड़ा तथा यमुना घाटी योजनाएं, विशेष तौरपर किशाऊ डैम तथा कुछ मिश्रित समस्याओं पर आपके विचारों के महत्वपूर्ण अंश एकत्रित करके प्रस्तुत

किए गए हैं। एक स्थान पर कुछ ऐसे दृष्टांत भी दिए गए हैं, जहां विभिन्न सदनों में चर्चाओं में भाग लेते समय आपके योगदान को आपके सहयोगियों तथा कभी कभार विपक्षी नेताओं ने भी सराहा। एकाध बार तानाजनी पर आपने पलटवार करना पड़ा, जो आपके दृढ़ निश्चय को दर्शाता है।

आप हमेशा स्पष्टवक्ता रहे तथा जनहित के लिए बेखौफ होकर बोलते थे। उन दिनों मीडिया का प्रचार व प्रसार नाममात्र था और यदि था भी तो वह ग्राम विकास की समस्याओं की अनदेखी करता था। इसीलिए, आपके विचार जनमानस तक नहीं पहुंच पाए। इस घाटे को पूरा करने के लिए और चौधरी साहिब के बारे में सही जानकारी हेतु प्रस्तुत पुस्तक की रचना की गई है। इसमें जो प्रयास करके कुछ चुनी हुई बातों को दिया गया है, उसे बीच–बीच में अपनी बात कहते हुए चौधरी साहब ने जहां–जहां जो कुछ कहा है, वह हुबहु उद्धृत किया है, न कम न ज्यादा। इन सभी विषयों पर उनके विस्तृत भाषण अब उपलब्ध हैं जिनका अध्ययन किया जा सकता है। एक तरह से यह प्रस्तुतीकरण परिचयात्मक है।

यूं तो मैं व्यक्तिगत तौर पर चौधरी रणबीर सिंह को अपने युवाकाल से जानता था, किन्तु उनके काम तथा व्यक्तित्व को निकट से समझने का कम ही अवसर रहा। उनके निधन के बाद कुछ बातें सामने आई जो फैली अनेक भ्रान्तियों को तोड़ती लगती हैं। बीते वर्ष महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय में कार्यरत 'चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ' द्वारा स्वतन्त्रता आन्दोलन में हरियाणा की भूमिका एवं चौधरी रणबीर सिंह पर आयोजित दो दिन की गोष्ठी के दौरान पाया कि हमारा यह पूर्वज अनोखे व्यक्तित्व का धनी था जिस पर किसी भी क्षेत्र व कौम को नाज हो सकता है। सन् 1950 में संसद के एक सत्र में नेताजी की आई. एन. ए. पर उन्हें बेखौफ वकालत करते देख कर मुझे

अच्छा लगा। उनको जानने की तीव्र इच्छा जगी। संविधान सभा में वाद–विवाद में झांका गया तो अजीब सा अहसास हुआ कि हम पढे–लिखे लोगों ने इस इतिहास पुरुष को अब तक क्यों समझने का प्रयास नहीं किया। पुस्तक को लिखने की यही पृष्ठभूमि बनी जिसको आकार देने में चौधरी रणबीर सिंह शोधपीठ ने हाथ बटाया।

आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक पाठकों को हरियाणा के एक ऐसे अद्‌भुत व्यक्तित्व से रूबरू कराने में सफल हो सकेगी जो चुपचाप काम करने में अधिक विश्वास करता था, आत्म–प्रशंसा में नहीं। उन्होंने जनहित में कार्य करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी और सदैव तत्पर रहे, जिसे हम जीवन प्रयन्त याद रखेंगे।

लेफ्टि. कर्नल चन्द्रसिंह दलाल (अ.प्रा.)
लेखक

1 कसक

चौधरी रणबीर सिंह रामजस कालिज, दिल्ली से ग्रेज्युएट होने के कुछ समय बाद कांग्रेस में भर्ती होकर स्वतन्त्रता आन्दोलन में जुट गए थे। परिवार में आर्यसमाज के सिद्धान्तों और आजादी के लिए संघर्ष का माहौल था। बाल्यकाल से परिवार में पूरा वातावरण नयी चेतना और संघर्ष का था जिसने उनके असाधारण व्यक्तित्व बनने की नींव रखी। उनके पिता, चौधरी मातू राम इलाके में अपने समय के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने युवा रणबीर सिंह को आजादी की लड़ाई में जुड़ने के लिए प्रोत्साहन दिया और वे तनदेही से काम में लग गए।

चौधरी रणबीर सिंह के सामने उस समय के हर चेतनशील युवक की तरह एक निर्णायक सवाल खड़ा हो गया था कि अब वे क्या करे ? उन्होंने सोच लिया था कि अब वे देश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल हो कर अपना सामाजिक दायित्व निभायेंगे। 3 सितम्बर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध आरम्भ हुआ था। अंग्रेजों ने इस देश को युद्ध में झोंकने की घोषणा कर दी। सरकार की नीति का यहां विरोध भी हुआ। इससे कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों ने त्याग पत्र दे दिया। परन्तु पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने त्याग पत्र नहीं दिया। तर्क यह था कि सरकार के साथ मिलकर ही किसानों की भलाई के काम किए जा सकेंगे। किन्तु, चौधरी साहब की सोच दूसरी बनी और वे देश की आजादी में ही किसान–मजदूर तथा देहात का

भला देखते थे। आत्मसम्मान और अपने बूते ही कोई कौम सही अर्थ में तरक्की कर सकती है, यह उनकी सोच बनी। अपने घर को अपने हाथ ही संवारा जा सकता है। उन्होंने उस हक के लिए लड़ने का फैसला ले लिया और इसके लिए आन्दोलन से जुड़ गए।

चौधरी रणबीर सिंह का व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेना सक्रिय राजनीति में उनकी पहली सीढ़ी थी। 5 अप्रैल, 1941 को उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया और उन्हें उनके गांव सांघी से ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। फिर पीछे मुड़ कर उन्होंने नहीं देखा और निजी सहूलियत तथा आजादी के लिए निजी लाभ–हानि का विचार कभी नहीं किया। कभी किसी ओच्छे काम को हाथ नहीं लगाया। इस तप ने उनके व्यक्तित्व को खूब निखारा और वे नेताओं–कार्यकर्त्ताओं की मित्रमण्डली की आंख का तारा बन गए।

राष्ट्र के प्रति अटूट एवं अनुपम सेवाओं तथा कुर्बानियों के मद्देनजर 10 जुलाई 1947 को पंजाब प्रान्त से चौधरी साहब भारत की संविधान सभा के लिए अन्य सदस्यों के साथ निर्विरोध चुन लिए गए। सन् 1857 की बगावत में अगुआ भूमिका निभाने के जुर्म में अंग्रेजों ने इसे छितरा दिया था और एक हिस्से को पंजाब में मिला दिया था। जब चौधरी साहिब संविधान सभा के लिए चुने गए उस वक्त हरियाणा क्षेत्र पंजाब का अंग था जिसकी वे नुमाइन्दगी करते थे।

14 जुलाई 1947 को उन्होंने सदन में सदस्यता की शपथ लेकर अपना काम आरम्भ कर दिया। चौधरी रणबीर सिंह संविधान सभा के लिए चुने गए तब उस सदन के लिए निर्धारित आयु सीमा से कम, मात्र 32 वर्ष की उम्र के थे। उस समय के हालात से जिस तरह उन्होंने जूझना आरम्भ किया और जिन जीवन मूल्यों से गुंथे हुए थे उनसे उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। यह अचरज की बात नहीं थी।

अचरज होता है तो केवल उनकी निष्ठा, लगन तथा जज्बे पर जिनके बलबूते वे अनोखे बने। जब वे संविधान सभा के सदस्य बने यह उनकी संसदीय राजनीति के पटल पर नयी पारी की शुरुआत थी जहां एक अलग संसार से वे दोचार हुए।

संविधान सभा का परिदृश्य

स्वाभाविक था कि छोटी सी उम्र में देश के दिग्गज नेताओं के बीच बैठ कर उनमें अपनी जगह तलाश करके किरदार को तय करना। इस पर बाद में स्वयं उन्होंने कहा है:

> *''संविधान सभा में एक से एक दिग्गज थे। कहां बड़े–बड़े वकील–बैरिस्टर, लेखक–प्रोफेसर, बड़े–बड़े विद्वान और ऊंचे दर्जे के वक्ता और चिंतक और कहां मैं। कुछ, जिसे अहसासे कमतरी कहते हैं, वह इन दिनों मुझ पर हावी रहा। लेकिन फिर सोचा, चलो जो जितना बन पायेगा ईमानदारी से करूंगा। कुछ दिन मैंने सभा की कार्यवाही को खूब गंभीरता से देखा–समझा। सब भाषण ध्यान से सुने। जरूरी जरूरी बातों के नोट्स भी लिए। सभा की सारी कार्यवाही में मैंने पाया कि जब भी गांव, किसान, मजदूर के विषयय में बहस तथा भाशण होते तो वे सतही स्तर पर ही रहते। मैने वहां अपनी जगह महसूस की। मैं इन विषयों को औरों से ज्यादा जानता था। मैने सब बातें अन्दर से देखी थीं। मैंने फैसला किया दूसरे जग–बीती कह रहे हैं मैं आप–बीती कहूंगा।''*
>
> (स्वराज के स्वर, संस्मरण–चौधरी रणबीर सिंह, 2005, पृष्ठ 113)

इस मनोभावना को लेकर वे संविधान सभा में सक्रिय हुए। उनके आत्म–विश्वास की यही पुष्ठभूमि तैयार हुई। इस पर वे खरे उतरे।

संविधान सभा में जल्दी ही एक स्थिति बन कर खड़ी हो गई

थी। 4 नवम्बर, 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी की ओर से विधिमन्त्री ने तैयार किए गए संविधान का प्रारूप सदन में विचार के लिए पेश किया। प्रस्तावित संविधान में गांव कहां है यह पूछा जाने लगा। इस पर संविधान का प्रारूप पेश करते हुए विधिमन्त्री ने कह दिया किः

> *''मुझे तो प्रसन्नता है कि विधान के मसविदे में गांव को बाहर फैंक दिया गया है और व्यक्ति को राष्ट्र की मूल इकाई माना गया है।''* (संविधान सभा के वाद–विवाद की सरकारी रिपोर्ट, हिंदी संस्करण, 4.11.1948, पुस्तक सं. 3, पृष्ठ 77)

इस पर सदन में बावेला मच गया। सदन दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे थे जो गांधीजी की तरह संविधान में गांव की प्रमुखता चाहते थे। दूसरी ओर वे लोग थे जो शहरों की दुनियां में तरक्की खोज रहे थे। मसविदे पर दिलचस्प बहस हुई और संजीदा भी जिसमें ये दो नजरिये उभर कर सामने आए। सदन में उस समय सदस्यों का मूड जानने के लिए चंद भाषणों के अंश काफी हैंः

पांच नवम्बर 1948 को एक सदस्य,

श्री **एच वी कॉमथ** ने कहा कि

''कल का उन (विधिमन्त्री) का भाषण एक प्रतिभाशाली नगर निवासी के समान था और यदि ग्राम निवासियों की ओर हमारा यही रुख रहा, तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि ईश्वर ही हमारी रक्षा करे! (वही, पृष्ठ 117–119 दिनांक 5.11.1948)

श्री **शिब्बन लाल सक्सेना** ने कहा कि :

मुझे भरोसा है कि इस सदन की बहुत बड़ी संख्या गांव गणराज्यों पर इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं।..... मैं निजी तौर पर महसूस करता हूं कि ये गांव गणराज्य, रूस की सोवियतों की तरह

अच्छे स्वशासन का मॉडल बन सकती हैं। मैं सोचता हूं कि संविधान में गांव गणराज्य स्थापित करने का प्रावधान हो'।..... 'यह सब सुन कर मुझे दुख हुआ कि विधि मंत्री उस प्रणाली से घृणा करते हैं, जिसमें ग्रामों की इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है। मेरे विचार से हमें उस भाग का उचित संशोधन करना पड़ेगा'। (वही पृष्ठ 110, दिन्नांक 5.11.1948)

श्री **सारंगधर दास** ने कहा कि :

मुझे यहां अवश्य कहना है कि हमारे स्कूल व कालिजों में पश्चिमी शिक्षा फैलने से हम गांव से नाता तोड बैठे हैं।

चौधरी रणबीर सिंह ने 06.11.1948 को कहा कि :

मैं एक देहाती हूं. किसान के घर पला हूं और परवरिश पाया हूं. कुदरती तौर पर उसका संस्कार मेरे उपर है और उसका मोह, उसकी सारी समस्यायें आज मेरे दिमाग में हैं।.....मैं सोचता हूं कि देश के निर्माण में गांवों को उनका वाजिब हिस्सा मिलना चाहिए और गांवों का प्रभाव हर क्षेत्र में रहना चाहिए।

के हनुमन्थैया ने 17 11 1949 को कहा कि :

संविधान की पूरी तस्वीर प्राप्त होने पर, मैं तो इस संविधान का स्वागत करने और पूरी तरह इसका गुणगान करने के लिए अपना मन नहीं बना पा रहा हूं। यह कुछ इस तरह है कि हम ने मांगा तो वीणा या सितार (देश का संगीत) था, लेकिन दिया गया है अंग्रेज के संगीत का बैंड.।

सेठ गोबिन्द दास ने 22 11 1948 को कहा कि :

सदन में ड्राफ्ट पेश करते हुए गांवों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा उससे मुझे और मैं समझता हूं इस सदन की बहुत भारी संख्या को दर्द हुआ है

श्री **पी एस देशमुख** ने 22.11.1949 को कहा कि :

मैं संविधान को एक दूसरे बिन्दु पर भी दोषपूर्ण पाता हूं। .....हम लोगों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे है। यह कहने में अति नहीं है कि, कितना भी अगोचर क्यों न हो, एक ओर सरकार और दूसरी तरफ जनता के बीच एक द्वन्द्व उभर रहा है। लोग सोचने लगे हैं कि यह प्रशासन उनका नहीं है। मुझे सन्देह है कि यह संविधान वर्तमान युग की जरूरतों को पूरा करेगा या भारतीय लोगों की प्रतिभा को सन्तुष्ट करेगा.

श्री **बी पी झुनझुन्वाला** ने कहा कि :

यह गांव गणराज्य नहीं थे जिन्होंने देश की लुटिया डुबोयी थी, बल्कि बात इसके उलट है। ब्रिटिश राज में यह केन्द्र था जिसने गांव को बर्बाद किया जो देश की आबादी का 90 प्रतिशत हिस्सा है और जिसने देश को भिखमंगा बना दिया।

श्री **कमलापति तिवारी** ने कहा कि :

मैं नम्रता से कहता हूं कि मुझे लगता है कि यह सामान्य जन का संविधान तो सब से कम है.

श्री महावीर त्यागी नें 25.11.1949 को कहा कि

गांव वालों की दृष्टि से चित्र नीरस और बेकार है. गांव वासी को यकीन दिलाने के लिए मैं कोई दलील नहीं दे सकूंगा कि 26 जनवरी 1950 (संविधान लागू होने की तारीख) से उसकी हालत बेहतर होगी। उसके लिए इसमें कुछ भी ठोस नहीं है जिससे वह इस संविधान को अच्छे ढंग से समझे। अतः मेरा निवेदन है कि केवल जब धरती बोने वालों को यह संविधान चलाने में सक्षम बनाये तभी वे इसे अपने अधिकारों और स्वतन्त्रता का चार्टर के बतौर बेहतर समझेंगे.

(सम्बन्धित उद्धरण अंश अंग्रेज़ी से स्वछन्द अनुवाद)

सदन की कार्यवाही से लिए गए इन चंद उद्धरणों से बात साफ हो जाती है कि प्रस्तावित संविधान को लेकर सदस्य शहर व देहात इन दो प्रमुख हितों को लेकर बात रख रहे थे। लेकिन, कितनों ने इसे अपने विचार और कर्म का हिस्सा बनाया? कहना कठिन है। परन्तु एक बात निर्विवाद कही जा सकती है कि इनमें चौधरी रणबीर सिंह के लिए ग्रामीण भारत वैचारिक सवाल बन गया था। आगे भी सभी सदनों की कार्यवाही इस तथ्य को प्रमाणित करती है।

बात यहां केवल देहात व शहर के बीच वकालत की नहीं थी। उस समय न वोट की गिनती का हिसाब था। असल सवाल नजरिये का था, आजाद हुए देश के लिए विकास की राह तय करने का था। इस में प्रमुख बात मानव श्रम और पूंजी के बीच छांट की थी और प्रस्तावित संविधान के जरिये तय की गई राह के कानूनी ढांचे को बनाना था। संविधान निर्माता इस जिम्मेदारी से परिचित थे। इसीलिए उनमें से बहुत गांव तथा गांव की अर्थव्यवस्था के लिए इतने चिंतित थे।

बात केवल देहात व शहर की होती तो कोई इसे भावनात्मक आग्रह अथवा लगाव का कह कर हाथ धो लेता। लेकिन वाद–विवाद में उलझे संविधान निर्माता प्रश्न की गहराई से परिचित थे, इसलिए उन्होंने सवाल को पूरी गम्भीरता से लिया। यही कारण रहा कि सदन में चल रही बहस में चौधरी रणबीर सिंह को बार–बार अपने देहाती हित को दोहराते रहना पड़ा।

जो लोग जमीन से जुड़े हुए थे और धरातल की असलियत से वाकिफ थे उनकी समझ थी कि भारत खेती पर निर्भर देश है। यहां श्रम–सघन विकास की राह ही सही कार्यनीति बनती है। जय किसान के नारे का यही प्रयोजन बनता है। दूसरी ओर वे लोग थे जो पूंजी

प्रधान कारखानेदारी में देश की समृद्धि देख रहे थे भले इससे आम आदमी का कष्ट बढता हो।

इस बहस को बीते लगभग 64 साल हो गए हैं। लेकिन, खेती को विकास की धुरी बनाने से अथवा उद्योग को विकास का केन्द्र मान कर चलने से देश का व्यापक हित सधता है, यह सवाल आज अधिक तीखा हो गया है क्योंकि अब तक उद्योग को विकास की धुरी मान कर चला गया है और अभी भी देश की समस्याएं हल होने का नाम नहीं ले रही हैं। उस समय उठाये गए सवाल के महत्व को इस सन्दर्भ में देखना चाहिए।

उम्र मात्र 32 साल पार की थी जब देश के भविष्य की खातिर शहर व गांव के बीच मौलिक प्रश्न पर चौधरी रणबीर सिंह ने उस समय अत्यन्त परिवक्वता का परिचयं दिया और जिंदगी भर इसपर बल देते रहे। उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष बहुत महत्व रखता है।

संविधान सभा का काम 26 नवम्बर, 1949 को समाप्त हुआ और इसे पूरी तरह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। चौधरी रणबीर सिंह संविधान सभा, संविधान सभा (विधायी) फिर अन्तरिम संसद और बाद में पहली व दूसरी लोकसभा तथा पंजाब व हरियाणा विधान सभा और सन् 1978 तक राज्य सभा में खूब सक्रिय रहे।

सभी सदनों में चौधरी साहिब ने अपना पक्ष नहीं बदला। उन्होंने सदा आप–बीती कही जिससे वे जिंदगी भर ग्रामीण भारत की सशक्त आवाज बन कर सामने आये और इसमें कहीं कोई दुराव–छिपाव नहीं बरता। यह इनकी अपनी खासियत रही। चौधरी रणबीर सिंह किसान थे तो उनके चरित्र में निडरता, सच्चाई और अपनों के प्रति लगन व निष्कपट आचरण उन की पहचान थे। उसी तरह उनका जीवन सीधा–सादा था। आगे देखते हैं...

2 कृषि एवं ग्रामीण विकास

विषय पर

चौधरी रणबीर सिंह एक बहु–आयामी व्यक्तित्व के धनी थे, जबकि उनके जीवन पर इस पुस्तक का शीर्षक उन्हें ग्रामीण आंचल के प्रहरी का दर्जा देता दिखता है। दोनों में कोई अन्तर–विरोध नहीं है। उनकी रुचि में जहां गांव रचा बसा हुआ था, शहर से उन्हें नफरत नहीं थी। किन्तु, शहरियत पूंजी पर पलने वाली एक अलग तरह की तहजीब का नाम है जिससे उन्हें नफरत थी, जिसने स्वतन्त्र राष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र को उसी समय घेरना और उसके प्रति भेदभाव रखना आरम्भ कर दिया था। अपने हरियाणा से उनका लगाव मां की तरह रहा, जबकि दृष्टि उनकी राष्ट्र की थी। उनकी समझ पैनी और बेबाक प्रकृति उनका गुण था। सिद्धान्त और जीवनमूल्यों के प्रति अटूट निष्ठा अपने पिताश्री से विरासत में मिली थी, जिसपर स्वतंत्रता आन्दोलन और आर्य समाज की छाप थी।

ग्रामीण परिवेश में जन्मे–पले और बड़े हुए चौधरी रणबीर सिंह ने किसानों को कठिनाईयों का सामना करते देखा था। आप बखूबी उन कठिनाईयों से वाकिफ थे। विदेशी शासन से ग्रामीण आबादी सिसक रही थी। अविकसित ग्रामीण व्यवस्था में सड़कों, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा व्यवस्था व डाकखानों इत्यादि की कमी तो थी ही, अपितु कृषि उत्पादन के लिए, सिंचाई के लिए पानी, बोने के लिए अच्छा बीज, खाद व कीटनाशक दवाओं के अभाव में कृषि पैदावार कम

होना और उस पैदावार का उचित मूल्य न मिलना, मण्डी में किसान की उपज को बेचने के लिए आढ़ती द्वारा तरह–तरह की कटौतियां, जिसमें आढ़त, दलाली, तुलाई, मुनीमी, सफाई, चौकीदारा इत्यादि शामिल हैं, जिससे किसान को अपनी मेहनत का आधे के करीब मिल पाता था। इन सभी ज्यादतियों से वे बखूबी वाकिफ थे। इसलिए उनके दिल में एक तरह की टीस थी। उन्होंने सभी सदनों में जहां–जहां वे सदस्य रहे, मौका मिलते ही ग्रामीण विकास पर बात जोर देकर कही और नीति बदलवाने पर बल दिया।

उन्होंने कृषि उत्पादन के लिए सपोर्ट प्राईस (समर्थन मूल्य) पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने अपनी जिन्दगी में कृषि उपज पर कंट्रोल का जमाना ही नहीं देखा, कृषि उत्पादन के भण्डारण पर रोक भी देखी। फसल आने पर मूल्य कम हो जाता था और फिर एकदम बढ़ जाता था, जिससे किसान को नुकसान होता था। इन सभी विषयों पर आपने बड़े जोरशोर से और डंके की चोट पर विभिन्न सरकारों को चेतावनी भी दी थी। उसका असर भी हुआ था।

कृषि के साथ–साथ जहां पशु पालन पर आपने सरकार से निवेदन किया कि हरियाणा और पंजाब से भैंस और गाय बम्बई और कलकत्ता भेज दी जाती हैं और दूध पूरा होने पर वहीं कटवा दिया जाता है। यदि सरकार उन्हें वापिस लाने का बंदोबस्त करे तो हम उन्हें पालकर दोबारा दुधारू बनाऐंगे।

यूं तो सभी सदनों में, लेकिन विशेष तौरपर संसद में तो कई बार उनकी बात इस तरह मालूम होती थी कि कोई विपक्षी दल के सांसद बोल रहे हैं। इतनी स्पष्टता के साथ अपनी बात कहते थे। वैसे तो वे हर सदन में कई–कई बार और सैकड़ों बार भी बोले हैं। लेकिन, इस अध्याय में तो केवल वही अंश संकलित किए गए हैं जो ठीक समय पर बड़ी ताकत व हिम्मत और निडरता से सदन के सम्मुख रखे गये थे। पूरा विवरण आगे पढ़िए।

कृषि एवं ग्रामीण विकास

1. चौधरी रणबीर सिंह स्वयं को ग्रामीण तथा किसान मानते थे और उनका जन्म व पालन पोषण भी एक ग्रामीण किसान परिवार में ही हुआ था। उनके हृदय में ग्रामीण उत्थान के लिए एक विशेष ललक थी। इसलिए ग्रामीण संबंधी विषयों पर जब भी मौका मिला, वे अपनी बात कहे बिना नहीं रहे। वर्ष 1948 से लेकर 1978 तक इन तीस वर्षों में उन्होंने अपना प्रयत्न लगातार जारी रखा।

2. आरम्भ में उन्हें संविधान सभा के लिए चुन लिया गया था। संविधान सभा को भारत का संविधान निर्माण करने के अलावा दूसरा काम उस समय के दौरान कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। यूं उसका नाम भारतीय विधान परिषद लिया जाता था। संविधान सभा की बैठक में पहली बार भाग लेते समय 6 नवम्बर, 1948 को चौधरी रणबीर सिंह ने देहात के उद्धार के पक्ष में बोलते हुए कहा था :

''मैं एक देहाती हूँ, किसान के घर पला हूँ और परवरिश पाया हूँ। कुदरती तौरपर उसका संस्कार मेरे ऊपर है। उसका मोह और उसकी सारी समस्याएं आज मेरे दिमाग में हैं। मैं यह समझता हूँ कि देश के अन्दर उसके निर्माण करने में जितना बड़ा हक देहातियों का होना चाहिए, उतना उनको मिलना चाहिए और हरेक चीज में देहात का प्रभुत्व होना चाहिए।'' (संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 6 नवम्बर, 1948, पृष्ठ 71)

3. सभी नागरिकों के लिए वे पर्याप्त भोजन पानी और कपड़े का बन्दोबस्त करने के पक्ष में थे। उसके लिए चौधरी साहब ने दो तरीके सुझाए थे, जोकि इस प्रकार से हैं :

क. *''जितना जल्दी संभव हो सके, नदियों और बांधों के निर्माण के दोहन के द्वारा सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन का कार्य व खाद्य और चारा का उत्पादन बढ़ाने के साधन अपनाने की।''*

ख. *''परियोजना और पशुओं की नस्लों के सुधार उपयोगी, पशुओं के वध पर प्रतिबंध, विशेष तौरपर दुधारू पशु और पशु मसौदा व उच्च संरक्षण करने की।''* (संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 6 नवम्बर, 1948, पृष्ठ 74)

4. आप आरम्भ से ही कृषि उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए चिंतित थे। आपने 23 नवम्बर, 1948 को संविधान के मसौदे पर बहस में भाग लेते हुए कृषि पैदावार की कीमतों में गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था :

''पिछले दिनों का जिक्र है कि गुड़ और कई चीजों की प्राईस इतनी गिरी कि जो प्राईस चार या पाँच महीने पहले थी, उसकी चौथाई रह गई। यह एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे देश में इस किस्म की उथल–पुथल एग्रीकल्चरल इकोनोमी को भी उथल–पुथल किए बगैर नहीं रह सकती।..... मेरे कहने के मायने हैं कि एग्रीकल्चर की चीजों की इकोनोमी प्राईस मुकर्रर किए बगैर एग्रीकल्चरिष्ट की इकोनोमिक लाईफ में स्टेबिलीटी नहीं आ सकती।'' (संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 23 नवम्बर, 1948, पृष्ठ 81–82)

5. चौधरी रणबीर सिंह देहातियों का नुमाइन्दा थे और प्रायः तत्पर रहते थे कि देहात और देहातियों की बहबूदी के लिए कुछ करें। इसलिए 24 नवम्बर, 1948 को संविधान के मसौदे पर बहस में भाग लेते समय उन्होंने कहा था :

''सभापति महोदय, जिस इंटरेस्ट का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ यानी खेत मालिक किसान, उसका मुझे खेद है कि इस संविधान के अन्दर कुछ न कुछ पहले से भी पीछे फेंका गया है, उनको आर्थिक आजादी तभी मिल सकती थी, जब ऐसा कायदा माना जाता कि वे चीजों को वह पैदा करते हैं और उन चीजों को जिस कीमत पर उससे पैदा करते हैं, उससे कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर न किया जा सकता होता।'' (संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 24 नवम्बर, 1949, पृष्ठ 108)

6. फरवरी, 1948 को रेल बजट पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने एक कट मोशन रखा था, जिसमें पशु चारा, गुड़ और अनाज की जो सप्लाई है, उसके लिए वैगन (मालगाड़ी का डिब्बा) सप्लाई न किए जाने पर किसानों को बहुत भारी मुश्किल हो रही थी। क्योंकि अपने कृषि उत्पादन को किसान यहां से वहां नहीं ले जा सकते थे, जहां उसका उचित मूल्य मिलता था। उसके लिए उन्होंने सदन को अवगत करवाया था कि :

''कल ही गुड़ के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि गुड़ जहां पैदा होता है, वहां 7 रूपये मन बिकता है और हिन्दुस्तान के बहुत हिस्सों में गुड़ की कीमत 40 रूपये से 50 रूपये मन है। इसका कारण यह है कि वैगन न मिलने की वजह से गुड़ वाली जगह से दूसरे जरूरत वाली जगहों पर नहीं भेजा जा

सकता। इसका नतीजा यह होता है कि जो गुड़ पैदा करने वाला किसान है, उसको तो इस बढ़ी हुई कीमत का हिस्सा नहीं मिलता है। लेकिन, व्यापारी जोकि इसमें कुछ भी मेहनत नहीं करता, वह सारा मुनाफा ले जाता है और उसकी वजह से ब्लैक मार्किट बढ़ता है।'' (संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 24 फरवरी, 1949, पृष्ठ 116)

इसके फलस्वरूप गुड़ के लिए प्राथमिकता पर रेलगाड़ियां चलाई गईं और वैगन भी मुहैया कराए गए।

7. यद्यपि बहस तो बजट पर हो रही थी, लेकिन देहात में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होने के कारण आपने मार्च, 1948 में सदन में आम बजट पर बहस में भाग लेते हुए देहात के लिए डाक्टरी सहायतार्थ ध्यान रखने के लिए श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान दिलाया था। आपने कहा था :

''मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ और कहूं। क्योंकि मैं भी एक देहाती हूँ, देहात में पैदा हुआ हूँ और देहात में पला और आज भी मैं देहात में रहता हूँ। इसलिए मेरा बड़ा दिल करता है कि आज मैं कुछ और बातें आपसे निवेदन कर दूँ। देहात हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। हिन्दुस्तान के अन्दर सात लाख देहातों में लोग पड़े हैं।....मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि देहात के अन्दर चाहे वह केन्द्रीय शासित क्षेत्र, सैन्ट्रल्ली ऐडमिनिस्टर्ड एरियाज हो, चाहे सूबों के, अस्पताल खुलवाए जाएं।'' (संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 10 मार्च, 1948 पृष्ठ 119–120)

8. स्वतंत्र भारत में नवगठित सरकार से ग्रामीण किसानों के प्रति सहानुभूतिनपूर्ण रवैया अपनाने की उम्मीद रखते हुए रेलवे बजट की बहस में मार्च, 1949 को भाग लेते हुए कृषि उपज का मूल्य स्टेबलाईज

करने की ओर ध्यान दिलाते हुए अपने हृदय की टीस इस प्रकार से बयान की थीः

''अध्यक्ष महोदय, मैं एक देहाती हूँ और किसान हूँ। मैं जब देहात में जाता हूँ तो मेरे देहाती भाई और किसान भाई खास तौरपर मेरे से पूछते हैं कि पहली सरकार एक सौतेली माँ की तरह से हमारे साथ बर्ताव करती रही। क्या यह सरकार भी हमारे साथ सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव रखेगी? मिसाल के तौरपर मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि कीमतों को जब बांधा जाता है तो वह शहरियों के फायदे के लिए किया जाता है। जब कभी कभी एक किसान को अपने अनाज पर एक पैसा भी ज्यादा मिलने की उम्मीद होती है तो सरकार के कायदे और कानून उसके रास्ते में आ जाते हैं। उसकी प्राईस कन्ट्रोल कर दी जाती है और यह कानूनी जुर्म करार दे दिया जाता है कि इससे ज्यादा कीमत पर न बेच सके।''

(संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 16 मार्च, 1948, पृष्ठ 121)

9. चौधरी रणबीर सिंह ने इसी बहस में आगे चलकर यह भी कहा था कि किसान व ग्रामीण की आवाज को कोई भी नहीं सुनता था। इसका अहसास कराते हुए उन्होंने अपना दुःख इस प्रकार से बयान किया :

''उसके पास न तो मोटर है, न उसके पास अखबार है। उसकी आवाज प्रेस में आ नहीं सकती।'' (संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 16 मार्च, 1948, पृष्ठ 122)

10. चौधरी रणबीर सिंह ने बार–बार गुड़ की घटती हुई कीमतों

की ओर ध्यान दिलाया और बताया कि वह कई बार कह चुके हैं कि गुड़ का भाव 24 रूपये मन से घटकर चार रूपये हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि किसी और चीज का इतना भाव गिर जाता तो अखबार तूफान खड़ा कर देते। उन्होंने दिल्ली देहात की स्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए निवेदन किया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की कीमत अच्छी रखी जाएगी तो उसमें एग्रीकल्चरिस्ट का ही फायदा नहीं होगा, बल्कि तमाम हिन्दुस्तान का फायदा होगा। एग्रीकल्चरिस्ट इकोनोमी भी ठीक होगी।

इसी बहस के दौरान उन्होंने ग्रो मोर फूड अभियान की ओर ध्यान दिलाते हुए चेताया था कि इस वर्ष भी कृषि के लिए 110 करोड़ रूपये बजट में रखा हुआ है। यदि इसमें से 4 करोड़ रूपये किसानों को नए कुएं बनवाने के लिए दे दिए जाएं और उसमें 400 रूपया ग्रान्ट के तौरपर हो तो इस तरीके से एक लाख कुएं बनकर तैयार हो जाएंगे और इसके फलस्वरूप एक करोड़ बीस लाख टन अनाज पैदा किया जा सकता है। अब भी वक्त है। इसके फलस्वरूप उन्हें कृषि मंत्रालय के लिए स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया था।

11. फरवरी, 1950 में राष्ट्रपति महोदय के भाषण पर बहस में हिस्सा लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने अनाज की कमी और अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए कहा था कि देश के अन्दर कुछ सांसद अनाज की कमी नहीं मानते, यह बात सच नहीं है। अगर अनाज की कमी नहीं होती तो उन दिनों हर साल 130 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से क्यों मंगाया जाता? अतः देश में अनाज की कमी तो है ही, साथ ही उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि अर्थशास्त्र के कायदे कानून कृषि पैदावार पर भी लागू होते हैं। इसलिए हमें कृषि की पैदावार बढ़ानी चाहिए। इसके लिए हमें कृषकों को सुविधा देनी चाहिए। जैसे, यदि कोई काश्तकार नई जमीन को तोड़ना चाहे या

खेती के अन्दर कोई सुधार करना चाहे या नए कृषि के औजार खरीदना चाहे तो उसको साधारण ब्याज पर कर्जा प्राप्त कराए। सरकार का यह समझना ठीक नहीं है कि किसान की पैदावार की कीमत घटाए और दूसरी ओर रूपया हासिल करने की सहूलियत भी नहीं हो। पैदावार तभी बढ़ सकती है जबकि किसान को फायनांस हासिल करने की सहुलियत दी जाये और उसकी पैदावार का अधिक मूल्य उसे मिले।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में एग्रीकल्चरल लेबर की ओर ध्यान दिलाया है, जिसमें किसान भी शामिल हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या उनकीं हालत तसल्ली बख्श है? उत्तर, नहीं है। तो क्या आप इसके प्रति सजग हैं? देहात में न कोई स्कूल है, न कोई अस्पताल है और उनके लिए न सड़कें हैं, जबकि शहरों में मोटरसाईकिल, साईकिल और पैदल चलने वालों की अलग–अलग सड़कें हैं। लेकिन, मैं खुले तौरपर कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस कमी को पूरा करना चाहिए। जिससे ग्रामीण खुशहाल होंगे तो, भारत खुशहाल होगा।

12. 14 मार्च, 1950 को प्रश्नकाल के समय में चौधरी साहब ने पूछा था कि गुड़ को दूसरे प्रान्तों में भेजने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, क्या उससे मूल्यों में वृद्धि हुई थी? खास तौरपर राजस्थान में? कृषि मंत्री जयराम दौलत राम ने उत्तर दिया था कि गुड़ का मूल्य बढ़ा था। बहस में भाग लेते हुए आपने पूछा था कि दिल्ली में गेहूँ सस्ता क्यों है? उत्तर मिला था कि गेहूँ का आयात किया जाता है और इस पर सब्सीडी दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि पड़ौसी राज्य उन दिनों पंजाब के किसानों को दिल्ली ले जाकर गेहूं बेचने पर प्रतिबन्ध था।

बहस में भाग लेते हुए आपने सुझाव दिया था कि यदि हम दूसरे

देशों से अनाज इत्यादि मंगवाकर उसपर सब्सीडी देते हैं तो उन्हें चाहिए कि कृषि उत्पादन के लिए मीनिमम प्राईस फिक्स कर दें। चौधरी साहब ने यू.एन.ओ. के सेक्रेटरी से बातचीत के हवाले से बताया था कि अमेरिका में कृषि उत्पादन की बढ़ौतरी तभी संभव हो सकी है, जबसे वहां सरकार द्वारा मुकर्रर मूल्य से कम हुआ तो सरकार इस भाव से किसान की पैदावार को खरीदेगी।

उन्होंने गन्ने का उदाहरण देते हुए बताया था कि :

''जब दो साल पहले गुड़ का भाव गिरा तो लोगों ने गन्ने की पैदावार बहुत कम कर दी और अब जब चीनी का पैसा उन्हें अच्छा मिला और गन्ने की भी कीमत कम नहीं की गई तो काफी ज्यादा संख्या में इस साल किसान गन्ना बो रहे हैं।'' (स्वराज की किरणें, 27 मार्च, 1950, पृष्ठ 51)

13. क्योंकि कृषि पर रिसर्च के परिणाम व सूचना ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंचती थी, इसलिए उन्होंने चिंता व्यक्त की, कि जो रिसर्च की जाती है, उसका ज्ञान किसानों के खेत तक नहीं पहुंचता। इस विषय में उन्होंने सुझाव दिया कि :

''मैं इसके लिए ज्यादा नहीं कहना चाहता। एक सुझाव अपना रखना चाहता हूँ कि भारतीय कृषि अनुसंधान से जो नतीजा हासिल किया जाता है, वह किसानों तक पहुंचाने के लिए काम हो। मैं जरूरी समझता हूँ कि इसके साथ कोई गैर सरकारी निकाय जोड़ी जाए और वह जो (शोध का) नतीजा हासिल किया जाता है, उसको सही तौरपर देश के कोने–कोने में पहुंचाकर इसका प्रचार किया जाए।'' बाद में यह इसी का परिणाम है कि प्रत्येक जिले में कृषि ज्ञान केन्द्रों की

स्थापना की गई। (स्वराज की किरणें, 27 मार्च, 1950, पृष्ठ 53)

14. कृषि उत्पादन के मूल्य के विषय में आपका कहना था कि यू.पी. में खाण्डसारी (1950 में) 40 रूपये प्रति मन बिक रही है और बम्बई में 90 रूपये प्रति मन और कलकत्ता में 70 रूपये प्रति मन। गुड़ को ही लीजिए। गुड़ 18 रूपये से 22 रूपये प्रति मन बिक रहा है। सर्दियों में और अब (अप्रैल में) 40 रूपये प्रति मन के हिसाब से बिक रहा है। जब हम मार्किट को कन्ट्रोल नहीं कर सकते तो किसान को गुड़ का भण्डारण करने से कैसे रोक सकते हैं? जब तक पूरे वर्ष मूल्यों को निर्धारित नहीं कर सकते तो सारी प्रोड्यूस को मार्किट में नहीं ला सकते।

कृषि मंत्री से एक प्रश्न में चौधरी साहब ने पूछा था कि क्या सरकार को पता है कि चने के भाव में फर्क है? रोहतक शहर और गाँव में भिन्न–भिन्न है? उत्तर मिला था कि हम इस पर विचार कर रहे हैं।

उस समय चने को अपने पास 25 मन से ज्यादा रखने पर किसान का चालान कर दिया जाता था और 7 वर्ष की सजा का कानून में प्रावधान था। तब अकेले रोहतक में 18 हजार से अधिक किसानों पर इस जुर्म में मुकदमे चलाए गए थे। इस पर चौधरी साहब ने संसद में सवाल उठाया था कि चना उत्पन्न करने वाला किसान भी 25 मन से अधिक नहीं रख सकता। उसकी जरूरत उसके परिवार तथा भैंस व बैलों के लिए कम से कम 70 मन की है। फिर वह 25 मन की सीमा क्यों है? यह सरासर नाइंसाफी है। यदि कपड़ा ज्यादा रखने वाले का चालान होता है तो उसे तीन वर्ष की सजा मिलती है और यदि किसान ज्यादा अनाज रख ले और चालाना हो जाये तो उसे सात साल की सजा होती है। उन्होंने गरजते हुए कहा था कि यह

सरासर किसान के साथ अन्याय है।

15. चौधरी साहिब ने कहा कि हमारे देश में कृषि विशेषज्ञों की कमी है। जो भी अपने आपको कृषि विशेषज्ञ कहते हैं वे कारखानों के विशेषज्ञ तो हैं, परन्तु कृषि विशेषज्ञ नहीं हैं। इस देश में किसानों को कर्जा नहीं मिलता, इसका कारण है कि सिक्यूरीटी नहीं है। कारखानेदारों को कर्जा मिल जाता है, लेकिन वे लोग दिवालिया बनकर कर्जा खुर्दबुर्द कर देते हैं। आपने कभी किसी किसान को दिवालिया बनते देखा है? *''मुझे यह कहने में शर्म नहीं आती है कि इस देश में जिनके हाथ में ताकत है, उनका काश्तकारों के साथ कोई वास्ता नहीं है।''* (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 21 नवम्बर, 1950, पृष्ठ 392)

16. चौधरी साहिब ने बताया कि आपको मालूम है कि तकावी किस प्रकार से वसूल की जाती है। उन्होंने रूरल फायनेंस की जरूरत पर बल दिया। क्योंकि दूसरे फायनांस को इतनी जरूरत नहीं है। ग्रो मोर फूड के विषय में चौधरी साहब का कहना था कि :

''अब मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैं यह बात ग्रो मोर फूड में भी कहना चाहता था लेकिन, मेरी बदकिस्मती है कि मुझे समय नहीं मिला। ग्रो मोर फूड में जो तरक्की नहीं हो रही है, उसमें एग्रीकल्चर फायनांस का न मिलना, सबसे बड़ा कारण है। इसमें जब तक फायनांस नहीं मिलेंगे, तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी।'' (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 21 नवम्बर, 1950, पृष्ठ 397)

17. इसी बहस में भाग लेते हुए उन्होंने कहा था कि :

''मैं हाउस का ज्यादा वक्त न लेते हुए और क्योंकि हमारे लायक दोस्त श्री सत्यनारायण सिंह मेरी तरफ कड़ी नजर से देख रहे हैं। अंत में नम्र निवेदन करता हूँ कि आप भी पापलुरीटी (लोकलुभावन) के साधन इस्तेमाल करने चले हैं। उन्हें छोड़ दें और सही मायनों में देश की उन्नति करें और काश्तकार को ऊँचा उठाएं। उसकी मार्फत देश को खुशहाल बनाएं।'' (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 21 नवम्बर, 1950, पृष्ठ 400)

18. 18 दिसम्बर, 1950 को चौधरी साहब ने खाद्य वस्तुओं के विषय में कहा था कि :

''आज अवस्था यह है कि हम अपने देश की आर्थिक स्थिति तब तक नहीं सुधार सकते, जब तक अपने खेतों की पैदावार को न बढ़ाएं। खेत की पैदावार आप तब तक नहीं बढ़ा सकते, जबतक आपकी सारी इकोनामी कंट्रोल हो या न हो तो आप रिकन्ट्रोल कीजिए, जिससे कीमतें अपने आप मुकर्रर होती रहेंगी और अगर आप कंट्रोल ही जरूरी समझते हैं तो यह न सोचिए कि फूड का कंट्रोल करना तो ठीक है और उससे आगे जाने के लिए आपत्तिजनक बात होगी। मैं यह समझता हूँ कि यह दृष्टिकोण सही नहीं है।'' (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 18 दिसम्बर, 1950, पृष्ठ 1895)

आप कंट्रोल और डिकंट्रोल का खेल मत खेलिए। ...कभी कंट्रोल कभी नहीं...सोच समझकर एक पॉलिसी बनायें। पीछे गुड़ पर कंट्रोल किया था, कोई लाभ नहीं हुआ। इस तरह से आप देहात और शहर में डिस्क्रीमिनेशन मत कीजिए।

19. यह भाग्य की विडंबना है कि जब अनाज खेत से उपजकर

घर में आता है तो उसकी कीमत बहुत कम दी जाती है– 10 और 11 रूपये मन होती है। आपने कहा :

''लेकिन वही अनाज, वही मक्की जो यू.पी. के और पंजाब के किसानों से 10 रूपये मन ली गई, वही बाजार में 22 रूपये मन दे दी जाती है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह चीज हमारे समाज और देश के लिए कितनी खतरनाक है?'' (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 7 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 2968)

इस पर तुर्रा यह होता है कि अनाज अब भी किसान के घर में दबा पड़ा है और वे लोग किसान पर कानून की तलवार चलवाने की कोशिश करते हैं। यह शहर वालों की मनःस्थिति का प्रमाण है।

भेदभाव पर

अन्तरिम संसद में वित्त विधेयक पर 11 अप्रैल, 1951 को बहस में भाग लेते हुए चौधरी साहिब ने कहा :

छोटे–छोटे काश्तकार हैं, जिनके ऊपर कि भू–राजस्व अधिनियम, लागू होता है और जो उसके शिकार हैं। वे सुप्रीम कोर्ट तक जा नहीं सकते। वे उस कानून को विभेदकारी करार नहीं दिलवा सकते। इसीलिये, मैं उनका ध्यान विशेषतया इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आयकर कानून के तहत जिसकी आमदनी पांच हजार से कम है, उसके ऊपर कोई कर नहीं लगता। लेकिन, एक काश्तकार, चाहे वह घाटे में ही रहता हो, लेकिन, अगर वह एक बीघा भी काश्त करता है तो उसको भूमिकर अदा करना पड़ता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या यह विभेदकारी नहीं है?

फिर, 14 अप्रैल 1951 को इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा कि:

''काश्तकार को मजबूर किया जाता है कि वह गुड़ नियन्त्रित भाव से बेचे। यही गुड़ वाली हालत रबड़ की है। यही हालत कपास की भी है। देश में काश्तकार से उम्मीद की जाती है कि वह देश में कपास की कमी को पूरा करे। लेकिन, हिन्दुस्तान में पैदा हुई कपास सबसे सस्ती बिकवाई जाती है।

इसी प्रकार अब देश में जो बड़ी बड़ी नहरें बनाई जा रही हैं, उसके सम्बन्ध में हमारे मंत्री महोदय त्यागी जी जब पहले सदन में इधर बैठते थे तो उन्होंने एक सवाल उठाया था और उसके ऊपर आधे घंटे की बहस भी चलाई थी। मुझे समझ नहीं आया कि मंत्री पद हासिल होने के बाद उस तरफ उनके विचार कुछ बदल गये या नहीं। मेरे कहने का मतलब भूमि विकास उपकर से है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह (अंग्रेज) सरकार एक तानाशाह सरकार थी, जो लोगों के प्रति जिम्मेवार नहीं थी, वह भी ऐसा कर लगाने की हिम्मत नहीं कर सकी। लेकिन, आज हमारे माननीय नेता इस किस्म की बात क्यों सोचते हैं, मुझे इस सम्बन्ध में सिवाय अफसोस जाहिर करने के और कुछ नहीं कहना है।''

(अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 14 अप्रैल, 1951,)

उन्होंने मर्म की बात कहते हुए 17 अप्रैल को इसी सदन में कहा कि :

''काश्तकार की कौन सुनता है? फिर भी इसके साथ–साथ वह इस बात पर भी गौर करें कि जो दिन रात मेहनत करते हैं और मुश्किल से जरा सी, थोड़ी बहुत, खेत के मजदूर की सहायता लेते हैं, क्योंकि जब काटने का वक्त होता है तो वह काट नहीं सकते, तो जिसने बोया और जिसने दिन रात मेहनत की और रखवाली की, उसको भी पूरी मजदूरी मिलती है या नहीं?''

20. अन्तरिम संसद में 13 अगस्त, 1951बहस में हिस्सा लेते हुए

चौधरी रणबीर सिंह ने कहा कि

''सरकार का निर्यात शुल्क बढ़ाने का केस कोई बहुत मजबूत केस नहीं है, जैसा कि मेरे लायक दोस्त सरवते जी ने बताया है। .....जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, कि उन्हें तो यही पता नहीं कि विदेशों के अन्दर तिलहन का क्या भाव है? जो केस जूट का था, वह केस तिलहन का नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि अगर विदेशों के भावों के बारे में कोई पता नहीं है तो फिर शुल्क बढ़ाना दुरूस्त हो सकता है या नहीं? मेरे लायक दोस्त सिधवा साहब ने यह फरमाया कि अगर उपभोक्ताओं के लिये या उद्योग के लिये यह जरूरत हो कि शुल्क बढ़ा दिया जाय तो बढ़ाया जाना कोई खराब नहीं है। यह बात किसी हद तक सही हो सकती है। लेकिन, मैं उनसे यह कहना चाहता हूँ कि उद्योग और उपभोक्ता का ही दृष्टिकोण सारे देश का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। देश के अन्दर तीसरे ढ़ंग के भी आदमी हैं, जो तिलहन पैदा करते हैं, मेहनत और मजदूरी करते हैं, खून और पसीना एक करते हैं, उनका भी कोई दृष्टिकोण होता है। उनका भी दृष्टिकोण है और वह इस देश के अन्दर बहुत ताकतवर दृष्टिकोण समझा जाना चाहिये। मेरे लायक दोस्त सिधवा साहब ने कहा कि इससे काश्तकारों को कौन सा नुकसान हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। मेरे दोस्त यहां पर नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से सरकार ने इस केस को पेश किया है, *इसके सिवा और कोई अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि सरकार काश्तकारों पर एक टेढ़ा टैक्स लगाना चाहती है*। ..... बाहर के भावों का आपको पता नहीं है। ऐसी हालत में जितना भी आप फालतू कर बढ़ायेंगे, उतना ही व्यापारी काश्तकार की पैदावार का भाव कम कर देगा।

मेरी समझ में कुछ ऐसा आता है कि *सरकार के बिल में कारखानेदारों के लिये एक दरियादिली है। कारखानेदारों के पास अखबार है, जिनसे वह अपना केस अच्छे ढ़ंग से सरकार के सामने पेश कर सकते हैं और सरकार पर दबाव डाल सकते हैं।* आप गन्ने को लीजिये। एक तरफ गुड़ है जिसको लाखों और करोड़ों काश्तकार पैदा करते हैं और जो लाखों और करोड़ों आदमियों को बगैर राशन के बांटा जाता था। दूसरी तरफ चीनी है, जिसे बड़े बड़े कारखाने पैदा करते हैं। एक तरफ गुड़ को तो नियन्त्रित कर दिया गया है, पर चीनी को आंशिक नियन्त्रित कर दिया गया है।

21. कृषि पर कर्जा देने की बहस में भाग लेते हुए (रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अमैन्डमैंट बिल) उन्होंने कहा था कि :

''वह इसलिए बतलाया है कि खेती के काम के लिए तीन किस्म का फायनांश चाहिए। एक थोड़े अर्से के लिए, एक बीच के अर्से के लिए और एक ज्यादा अर्से के लिए।'' (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 23 फरवरी, 1951, पृष्ठ 3446)

रिजर्व बैंक का हवाला देते हुए आपने बताया कि कुंए के लोन को वापिस करने के लिए 15 महीने थोड़ा समय है, जिसे छोटा काश्तकार अदा नहीं कर सकता। क्योंकि कुंआ रातोंरात बनकर तैयार नहीं होता। इसके लिए समय की मियाद बढ़ाई जाए।

22. चौधरी रणबीर सिंह ने जनरल बजट की बहस में भाग लेते हुए कहा था कि :

''हमारे यहां कपास बोने वाले हैं। शार्टस्टेपल (छोटे रेशे की कपास) पैदा करते हैं। उनकी कपास तो 600 रूपये फी कैंडी के

हिसाब से खरीदवा देते हैं। वही कपास ग्रामीण के पास से आने के बाद 1960 रूपये फी कैंडी के हिसाब से बिकती हैं। इसपर सरकार 800 रूपये फी कैंडी का टैक्स भी लेती है। इसके बाद भी व्यापारी जिन्होंने न पानी देने की तकलीफ उठाई, न कभी जमीन को जोता और गोड़ा, वह भी 560 रूपये का मुनाफ उसमें से बंटोरता है। इसके अलावा और लीजिए। लोंग स्टेपल (लम्बे रेशे) या मीडियम स्टेपल (मध्यम रेशे) की कपास 850 रूपये कैंडी के हिसाब से खरीदवा दी जाती है। वह पाकिस्तान के अन्दर 1700 से 1800 रूपये फी कैंडी बिकती है।'' (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 2 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 5740)

दूसरी ओर धोती के जोड़े की कीमत 21 रूपये बताई गई है, लेकिन कपास पैदा करने वाला देहात में बैठा है। वही धोती का जोड़ा 30–35 रूपये में मिलता है। यह शायद आप लोगों को नहीं मालूम। क्योंकि इस पर कंट्रोल कर दिया जाता है।

23. जनरल बजट की बहस में अप्रैल, 1951 को चौधरी रणबीर सिंह ने कहा था कि माननीय सदस्य अनाज उगाने के विषय में जिरह तो करते हैं। लेकिन, उनको यह भी पता नहीं कि गेहूँ का पेड़ कितना बड़ा होता है और चने का पेड़ कितना बड़ा होता है। ग्रामीण समाज का पक्ष लेते हुए कहा था कि जिरह का समय उनको दिया जाना चाहिए, जिनके पूर्वज खेती करते आए हैं, वही ज्यादा अच्छा सुझाव दे सकते हैं। उन्होंने कहा :

''अब मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं उन सदस्यों में से नहीं हूँ, जो यह मानते हैं कि देश के अन्दर अनाज की कमी नहीं है और मैं उन सदस्यों में से भी नही हूँ, जो यह समझते हैं कि कंट्रोल करने से या डीकन्ट्रोल करने से अनाज का मसला हल हो सकता है।

मैं समझता हूँ कि अनाज का मसला ज्यादा उपजाने से ही हल होगा।'' (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 7 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 6274)

कुछ माननीय सदस्य यह भी सोचते हैं कि प्लानिंग से ही अनाज का मसला हल हो जाएगा। उन्हें तो इतना तक भी पता नहीं कि गेहूँ कि फसल पकने तक कितनी बार जमीन में पानी लगाने पड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री भी यह समझते हैं कि युद्ध स्तर पर खेती कराएंगे और अनाज की पैदावार बढ़ाएंगे और दूसरी ओर पैसे का बन्दोबस्त भी नहीं करते। केवल 25 करोड़ रूपये देकर किस मुंह से यह कहते हैं कि हम युद्ध स्तर पर अनाज की पैदावार बढ़ाएंगे और तरक्की करेंगे? हम यह नहीं समझ पाए कि खेती बारिश के बगैर कैसे हो सकती है? खेती के विभिन्न अनाजों को बोने के बाद एक निश्चित समय के बाद ही भिन्न–भिन्न पकने का समय है। जो घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन, पैसा तो दिया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि :

''वार बेसिस के लिए मैं समझता हूँ कि उन्हें 300 करोड़ रूपये इसके लिए मंजूर करवाने चाहिएं थे। मैं उन दोस्तों, जो यह समझते हैं कि खेती की तरक्की के फायदे के लिए जो रूपया दिया गया है, वह जाया चला गया। मैं बतलाना चाहता हूँ कि वह गलती पर हैं''।
(अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 7 अप्रैल, 1951, पृष्ठ 6275)

24. चौधरी साहिब ने पिछले वर्ष के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया था कि 23 करोड़ से 10 लाख कुंए और एक कुंए के लिए 20 मन फालतू अनाज पैदा हुआ तो हमें विश्वास होना चाहिए कि यह 60

लाख कुंए इस देश के अन्दर बना दें तो अनाज की कमी के आंकड़े शून्य हो सकते हैं। उनके ख्याल से अधिक रूपया कुएं बनाने के लिए दिया जाना चाहिए, जिससे अनाज की अधिक पैदावार हो सके। मेरे कुछ भाई कहते नहीं थकते कि कपास पाकिस्तान, मिश्र और अमेरिका से ले लें। कैसे ले लें, जबकि यहां घर पर कपास के भाव 600 रूपये मन हैं और अमेरिका में 1960 रूपये मन बिकती है?

निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने बारे बहस में भाग लेते हुए कपास की कीमत के विषय में आपने कहा था :

''एक तरफ तो वह आदमी है, जो खेत में मुश्किल से कपास पैदा करके पैसा चाहता है, दूसरी तरफ कॉटन वेस्ट पर 50 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यटी देकर भी लाभ में रहता है। लेकिन, इसके बावजूद क्या वह इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि जितनी कीमत कपास पैदा करने वाले को सरकार देती है, उतनी कीमत तो कम से कम हर सूरत में व्यापारी कोटन वेस्ट बाहर भेजकर हासिल कर लेता है? क्या जो कपास पैदा करने वाला है, उसकी कपास की कीमत कॉटन वेस्ट के बराबर लगाई जाये? क्या यही आपकी सरकार से न्याय की तवक्को की जा सकती है?'' (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 7 जून, 1951, पृष्ठ 10427)

दूसरी ओर चौधरी साहब ने कहा कि धोती की कीमत देहात में ब्लैक में 22 रूपये थी। जब हाउस का सैशन शुरू हुआ, वह अब 22 से बढ़कर 32 हो गई है। यों तो कन्ट्रोल रेट से धोती की कीमत 12 रूपये है, लेकिन मिलती कहां है?

25. पांच मार्च, 1952 में वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुए एग्रीकल्चर इकोनामी का जिक्र किया था कि मन्त्री महोदय ने कल बताया कि 1931 से लेकर सन् 1939 के बाद से फिर कुछ समय

बदला और कृषि अर्थव्यवस्था के अन्दर एक तबदीली आई, जिसमें किसान को कुछ राहत मिली। लेकिन, इस साल से दूसरे हालात शुरु हुए। यहां पर हमारे कई भाई, एक बात बार–बार कहते हैं कि अनाज इतना महंगा हो गया है, उससे इन्डैक्स के इतने प्वाइंट बढ़ गए हैं। इस सन्दर्भ में चौधरी रणबीर सिंह ने कहा था कि :

''लेकिन मैं उन्हें बतलाना चाहता हूँ कि वे एक साल का ही वक्त लें। आपने पिछले साल गुड़ का भाव 21 रूपये मन रखा था, कन्ट्रोल में। लेकिन, आज गुड़ के भाव की क्या हालत है? वह आज 6 या 7 रूपये प्रति मन बिक रहा है। कुछ अन्दाजा लगा एक तरफ तो प्वाइंटों की गिनती करते रहते हैं और देश के अन्दर क्रान्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप गुड वालों को देखिए। आखिर वह भी तो आपके ही देशवासी हैं। उनसे भी देश के ऊपर असर पड़ता है। उनकी बिक्री की दर एकदम 21 से 6 रुपया पर आ जाए, यह कोई बात है?....मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यही आपकी निर्धारित अर्थव्यवस्था है?' ....जब कुछ मंहगा था तब आपने पूरी ताकत लगाई, पिछले साल कोल्हुओं पर लाइसेन्स आपने लगाया और आपने गुड़ को सस्ता करने के लिये तरह तरह की तरकीबें इस्तेमाल कीं। मैं खाद्य मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि आपने क्या अधिकार दिये हैं जिससे गुड़ का भाव कहीं तो जाकर टिके? अगर आप इसके लिये कुछ नहीं करते हैं तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप खाद्य मंत्री हैं या उद्योग मंत्री हैं?...आज देश के अन्दर क्या हालात हैं? जो सबसे अच्छी लम्बे रेशे वाली कपास है, वह हांसी इलाके में और करनाल व मेरे जिले में बोई जाती है। आज उसे कोई भी किसी भाव पर बोने के लिए तैयार नहीं है। वैसी ही कपास आप अमरीका से, जिसका भाव तकरीबन तीन सौ रूपया पड़ता है, या इससे भी ज्यादा लेते हैं। लेकिन आप अपने देश की कपास पचास रूपया मन भी लेने को तैयार नहीं है। क्या मैं

आपसे पूछ सकता हूँ कि यह कैसी निर्धारित अर्थव्यवस्था है?'' (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 5 मार्च, 1952, पृष्ठ 2026–27)

उसी दिन उन्होंने कहा कि :

कई दोस्त समझते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर खाद्य छूट जरूर दी जाये, अगर नहीं दी जाती है तो इन्डेक्स नम्बर ऊंचा हो जायेगा। लेकिन, जब देहात के मजदूरों की बात आती है तो इस बात को भूल जाते हैं। कहते हैं उनको तो काश्त में साझा मिलता है। कैसा साझा? अगर, एक इंसान को पांच मन या चार मन अनाज मिलता है तो उसके अन्दर उसका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता है। कहा जाता है देहात के आदमियों की आमदनी में बहुत फर्क पड़ गया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आज कल सबसे कम आर्थिक स्तर या कम से कम आमदनी किसी वर्ग की है तो वह खेतीहर मजदूर की है और अगर आप चाहते हैं कि खाद्य रियायत दी जाती तो अगर इसके लिए मूल्य में सबसे पहले किसी का हक है तो वह खेतीहर मजदूर का है। अगर उनको आप मिटाना चाहते हैं तो मिटाइये। जहां और वर्ग को तकलीफ होगी, वहां उनको भी तकलीफ होगी। कई भाइयों को डर है अशांति का। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एशिया के इतिहास को पढ़ें, तो आपको मालूम होगा कि किसी का अनरेस्ट (बेचैनी) यहां तीव्र हुआ है तो वह देहात का है। *आप बतलाईये कि आपके सामने मद्रास, या बम्बई या कलकत्ता का सवाल है या तेलंगाना का सवाल है। आज जो हमारे प्रशंसक हैं, उनको तेलंगाना की बातें देखकर नींद नहीं आती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह औद्योगिक मजदूर हैं? हिन्दुस्तान के लिये अगर कोई क्रान्ति आने वाली है तो वह देहात से आने वाली है।*

अगर, आजादी आई है तो वह *हिन्दुस्तान के देहात के सिपाहियों की लड़ाई की वजह से है जोकि तकरीरें देना नहीं जानते थे और अखबारों में खबरें नहीं भेज सकते थे। उन्हीं लोगों की वजह से दूसरी क्रान्ति आने वाली हैं।*

उस दिन वित्त विधेयक पर बहस में चौधरी साहिब ने भविष्य दृष्टा की भांति अपनी बात रखी और बताया कि :

''इस देश में देहात का हिस्सा सबसे अधिक है। अजीब बात है कि एक कृषि प्रधान देश हो और उसकी नीति तब बनती है तो देहात की न गिनती होती है, न सुनवाई होती है, न कोई पूछ होती है, न ताछ होती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जरा कराधान आयकर वसूल करते हैं। हमारे बाबू ठाकुर दास संयुक्त परिवार का बड़ा गीत गाते रहते हैं। वह कहते हैं कि संयुक्त परिवार में चार, पांच हजार या छह हजार तक माफ कर दिया जाय। दूसरी तरफ, देहात में कराधान का क्या हाल है? अगर एक आदमी एक बीघा भी बोता है और चाहे उसको घाटा ही क्यों न हो उसको कर देना होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह अंग्रेज वाली कहानी आज भी क्या कोई कहने की हिम्मत कर सकता है कि जमीन सरकार की मलकियत है और दूसरी चीजें सरकार की मलकियत नहीं है। लगान भी एक कर है। आयकर भी एक कर है। तो देश में एक के लिये कर का एक सिद्धान्त है और दूसरे के लिए दूसरा सिद्धान्त है।''

श्री श्यामनंदन सहाय : उनको क्या देना पड़ता है?

चौधरी रणबीर सिंह : ईख के लिये एक एकड़ पर 15 रूपया पड़ता है और दूसरे के लिए ढ़ाई रूपया देना पड़ता है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। यह अजीब बात है कि दिल्ली बन रही है और चण्डीगढ़ बन रहा है। वहां सड़कें बन रही हैं। वहां लोगों के लिये तरह तरह के आराम के इंतजाम किये जा रहे हैं। इसके लिये वहां वालों से क्या लिया जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के ऊपर कितना खर्च हुआ है और इसमें से दिल्ली वालों का कितना हिस्सा है? लेकिन, देहात के लिये

यह बात है कि अगर कहीं नहर निकलती है तो उसका सारा खर्च देहात वालों से लिया जाता है। उसके बाद भी उसके लिये उनको कर देना पड़ता है। आप बताइये कि यह आपके वित्त की कौन सी निष्पक्षता है? क्या आपके वित्त का यही न्याय है कि जो कानून बनाया जाता है वह देहात के लिये एक तरह का होता है और शहर वालों के लिये दूसरी तरह का होता है?

मध्यम श्रेणी के आदमियों की तकलीफों का बड़ा जिक्र किया जाता है। क्या यह सच नहीं है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जब तक अंग्रेज रहे और उनके बाद सन् 1939 तक हिन्दुस्तान के मध्यम श्रेणी वालों ने न केवल अपने हक का ही खाया है, बल्कि दूसरों के हक का भी खाया है? अब अगर दस सालों से उनको अपना ही हक मिल रहा है तो इसमें कौन सा अन्याय है? आज भी अगर हम हिन्दुस्तान की सोसाइटी का मुकाबला करें तो आपको मानना होगा कि मध्यम श्रेणी वाले दूसरों के मुकाबले में आज भी जीत में हैं। आप मध्यम श्रेणी वालों के लिये इतना नरम रवैया रखें और दूसरों के लिये न रखें, यह कहां तक ठीक है और कहां तक यह बात चलने वाली है, खास तौर पर ऐसे देश में जहां कि बालिग मताधिकार हों और जहां बालिग मताधिकार पर राज्य बनता और बिगड़ता हो?

इसलिये अगर आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में स्थिर सरकार हो और योजनाबद्ध ढ़ंग पर तरक्की हो तो उसके लिये आपको सोचना होगा, समझना होगा और अपनी वित्तीय नीतियों को बदलना होगा।

(अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 5 मार्च, 1952, पृष्ठ 2026–28)

26. छोटे किसानों की तरफदारी करते समय पैप्सू राज्य के संबंध में बहस में भाग लेते हुए चौधरी साहिब ने ट्रैक्टरों के कर्जे के विषय में मुजारों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि :

''कर्ज के बारे में मुझे कहना है कि इसमें लिखा हुआ है कि 91 ट्रैक्टरों का कर्ज दिया गया। यदि ये ट्रैक्टरर्ज ऐसे लोगों को दिए गए

हैं, जिन्होंने नई जमीन को तोड़ा है, ताकि इस देश में अनाज की कमी दूर हो। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन, इन ट्रैक्टर्ज का कर्ज ऐसे लोगों को दिया गया, जिनकीं जमीनें पहले से ही चालू थीं तो मुझे उसमें जरूर ऐतराज है। क्योंकि उससे तो देश के अन्दर बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं। क्योंकि उन ट्रैक्टरों से हमारे मुजाहरों को बेदखल किया जाएगा।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 16 सितम्बर, 1953, पृष्ठ 3889)

27. क्योंकि कृषि उत्पादन का सही मूल्य प्रान्त में नहीं मिल रहा था। इसलिए कृषि उत्पादन की पूरी कीमत न मिलने के बारे में फाईव ईयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) पर बहस के दौरान उन्होने जोर देकर संसद में कहा था कि :

''आजाद हिन्दुस्तान में कृषि संसार के अन्दर एक अजीब हालत है। आप चाहें यू.पी. के अन्दर जाईए या बिहार के अन्दर जाईए। वहां कहीं गन्ने की कीमत गिरने के खिलाफ आवाज है, कहीं गेहूं की कीमत गिरने के खिलाफ आवाज है तो कहीं मक्की की कीमत गिरने के खिलाफ आवाज है और कहीं रबर की कीमत गिरने के खिलाफ आवाज है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 22 दिसम्बर, 1954, पृष्ठ 3767)

28. दिसम्बर, 1954 में पंचवर्षीय योजना पर हुई बहस में आगे भाग लेते हुए कहा था कि सरकार को चाहिए कि काश्तकारों को उनके उत्पादन का ठीक मूल्य दिया जाए और उनकीं पैदावार को सरकार द्वारा खरीदा जाए और उनकीं सपोर्ट प्राईस नियत कर दी जाए। आपने कहा कि :

''मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने पीछे देखा है कि किदवई

साहिब ने ऐलान करवाया था कि पंजाब सरकार और यू.पी. सरकार से गेहूं के भाव अगर 10 रूपये मन से गिरें तो सरकार गेहूं को खरीदने के लिए बाजार में आएगी। इस ऐलान का असर यह हुआ कि गेहूं का भाव 10 रूपये से नीचे गिरने से रूक गया।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 22 दिसम्बर, 1954, पृष्ठ 3767)

29. डिमाण्डस फोर ग्रॉन्टस 1955–56 की बहस में बोलते हुए गुड़ और गेहूं के भाव की बाबत सवाल उठाया था और कहा था कि मैं आपके सामने कुछ बिन्दु रखना चाहता हूँ :

''उत्तर प्रदेश को लीजिए, वहां पर 1949 से 1952 तक चावल का भाव 35 रूपये आठ आन्ने 11 पाई रहा और दिसम्बर, 1954 में 11 रूपये आठ आन्ने हो गया। अब गेहूं को ही लीजिए, वहां पर सन् 1949 से 1952 तक इसका भाव 16 रूपये मन था। यह भाव सरकारी कन्ट्रोल का था। मार्केट की क्या बात है। क्योंकि यह भाव 16 रूपये से घटकर सन् 1954 में 10 रूपये मन रह गया। अन्दाजा लगाईये कि इसका इतना फर्क है। मुझे याद है कि गुड़ 21 रूपये मन था और आज 7 रूपये मन बिकता है। आप देखेंगे तिगुना फर्क है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 24 मार्च, 1955, पृष्ठ 3218)

30. चौधरी रणबीर सिंह ने दुधारू पशुओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उनको बचाना चाहिए। उनको कत्ल नहीं करवाना चाहिए। आपने जोर देकर कहा था कि :

''मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे विधान में रखी गई है कि इस देश के अन्दर अच्छे पशुओं और उनकी नस्ल को बचाया

जा सके। कृषि मंत्रालय से कई मंत्र और तहवीजें निकलीं कि रोहतक और हिसार से परमिट से कलकत्ता जाएंगे और परमिट से बंबई जाएंगे। इस किस्म की एक स्कीम रोहतक और हिसार पर परमिट द्वारा पशुओं को कलकत्ता ले जाएंगे और परमिट से बम्बई ले जाए जाएंगे। बड़े ताज्जुब की बात थी, क्योंकि हमारा तो पेशा है डंगर को पालना और हमारा जिला हर साल दो करोड़ रूपये साल के डंगर बाहर भेजता है। अब कोई हमसे कहे कि आपके डंगर बाहर जाना बंद हैं तो 2 करोड़ रूपये का हमको टोटा पड़ता है। इस किस्म के मंत्र कैसे भला कर सकते हैं?'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 24 मार्च, 1955, पृष्ठ 3220)

31. उनके हृदय में पशुधन के के लिए बहुत दुःख था। अतः उन्होंने आगे चलकर पशुधन बचाने के लिए सुझाव दिया और बड़े कारगर ढ़ंग से उन ढोंगी लोगों पर चोट करते हुए बताया था कि जो कलकत्ते और बंबई के सेठ लोग गौवध रोकने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए धन देते हैं, लेकिन कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास में उन डंगरों को नहीं रख सकते, जो दूध देना बन्द कर देते हैं। उन्हें स्लॉटर हाऊस भेज देते हैं, तो वे कहां के गऊ हितैषी हैं? मैं सुझाव देता हूँ कि यदि पशुधन बचाना है तोः

''सीधी बात है कि ऐसे कुछ डंगरों को बचाने की एक ही तरकीब है कि उन डंगरों के वास्ते हमारी सरकार कुछ सब्सीडी दे और रोहतक व हिसार की तरफ उनका मुंह कर दे। हिसार पहुंचने वाले डंगरों को हम अपनी छाती से लगाएंगे और उनको पालेंगे व पोसेंगे। यही एक तरकीब है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 24 मार्च, 1955, पृष्ठ 3221)

32. इकोनॉमिक पॉलिसी के सन्दर्भ में संसद में चल रही बहस में चौधरी साहिब ने एक बात स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि किसानों को उसके उत्पादन का सही मूल्य दिया जाना चाहिए। आपने जोर देकर कहा कि :

''अगर पंजाब के किसान शोर करते हैं तो इसलिए नहीं कि वहां सीलिंग नहीं है। बल्कि इसलिए कि सिलसिले में गेहूँ व चने की कीमत उनको ठीक *नहीं मिलती? इस तरह से साऊथ के किसान उठते हैं तो इसलिए नहीं वहां पर सीलिंग नहीं है। बल्कि उनके रबड़ की, चाय की, कहवे की, रूई की और ग्राउण्डनट की कीमत उनको ठीक नहीं मिलती है। इसी तरह से जूट का हाल है।''* (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 1 अक्तूबर, 1955, पृष्ठ 16105–06)

33. इसी बहस में आगे उन्होंने प्राईस सपोर्ट का जिक्र किया और मांग की थी कि हम आज भी चिल्ला रहे हैं और सरकार सपोर्टस प्राईस दे रही है। उन्होंने पंजाब में गेहूं की कीमत की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था कि :

''आज आप देंखें कि हालत क्या है? वह गेहूं, जोकि पंजाब में फसल कटते समय 8 रूपये मन बिक रहा था और आज मद्रास और कलकत्ता में 18 रूपये मन बिकता है। वह चना जो पंजाब में 5 रूपये मन तक बिका था और आज 14–15 रूपये मन तक बिकता है। इसमें सवाल तो प्लानिंग का है।' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 1 अक्तूबर, 1955, पृष्ठ 16108)

34. चीनी के निर्यात के विषय में बहस में भाग लेते हुए उन्हें बड़े

दुःख के साथ यह बताना पड़ा कि किसान की पैदावार को खरीदने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। आपने कहा :

*''.....*मंत्री महोदय *ने कहा था कि उनके पास कोई मशीनरी नहीं है, जोकि किसानों के गेहूं, धान और बाजरा वगैरह को खरीद सके। उनके पास इस काम के लिए रूपया और गोदाम भी नहीं हैं। मंत्री महोदय को मालूम है कि उसकी स्टेट में जहां शुगरकेन पैदा होता है, आज से गेहूं वहां 20–22 रूपया मन* के हिसाब *से बिक रहा है।''* (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 26 अगस्त, 1958, पृष्ठ 3011)

35. डिमाण्ड फॉर सप्लीमेंटरी ग्रान्ट पर बोलते हुए पंजाब के किसानों की कपास न खरीदने पर उन्होंने दुःख भरी आवाज में कहा :

''इसके अतिरिक्त मुझे अमरीका से जो कपास खरीदी गई है, उसके बारे में भी कुछ निवेदन करना है। आपको याद होगा कि पिछले सैशन के आखिरी दिन पंजाब के सदस्यों की तरफ से कपास के खरीदने के संबंध में पहले काफी सवाल हुए।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 15 दिसम्बर, 1958, पृष्ठ 5040)

इसी बहस में आगे चलकर आपने पंजाब के किसानों की मजबूरी की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था कि उनकी कपास को सरकार उचित मूल्य पर नहीं उठा रही है और किसान घाटे में जा रहा है। यह बात किसानों के हक में नहीं है, न ही देश के हक में है। क्योंकि जो किसान कपास उगाता है, वह घाटे में रहेगा तो देश भी घाटे में

रहेगा।

दिसम्बर, 1958 में आपने प्रश्नकाल में प्रश्न पूछते हुए रेलवे साईडिंग के विषय में मुद्दा उठाया था कि समरगोपालपुर स्टेशन पर इस स्थान के नजदीकी गाँव के किसानों को गन्ना मिल रोहतक के लिए गन्ना भेजने में सहूलियत हो सकती थी। क्योंकि लाखों टन गन्ना रोहतक शुगर मिल को सप्लाई होता है। यद्यपि इसका प्रोविजन 1958–59 के रेलवे के वर्क्स प्रोग्राम में दे दिया गया था। लेकिन, साईडिंग अभी तक नहीं बनाया गया था।

36. फरवरी, 1959 में आपने पंचायतीराज के विषय में चिंता व्यक्त की। इस चुनाव के बाद गाँव में फिजा खराब हो जाती है। यह बात नहीं है कि चौधरी साहिब पंचायतों के चुनाव के विरूद्ध थे। लेकिन, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि पंचायती चुनाव होते हैं तो फिजा थोड़ी बहुत खराब होती है और यदि पंचायती चुनाव नहीं होते तो फिजा हमेशा ही खराब रहती है। जैसे कि दिल्ली के देहात के साथ हो रही है।

दिल्ली पंचायतीराज संशोधन बिल पर बहस करते हुए चौधरी साहिब ने अखिल भारतीय कांग्रेस के नागपुर सैशन 1951 का जिक्र किया और बताया कि वहां पर प्रस्ताव पास किया गया है कि पंचायतों को मजबूत बनाया जाए। हमारा कहना है कि सारे देश के अन्दर पंचायतें बनें और अच्छे ढ़ंग से काम करें। उन्होंने कहा था कि :

''मेरे लायक दोस्त ने अभी बताया कि पंचायतों में कुछ खराबियां आ जाती हैं और कई दफा उनके बारे में लोगों की एक राय समान हो जाती है कि पंचायतों के अन्दर न्याय अच्छा नहीं मिलता। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसको किसी की बेइज्जती नहीं माना

जाये कि देहाती आदमी जो फैसले बड़ी–बड़ी अदालतों से होते हैं, उनसे कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं।

बहुत ज्यादा उनको तसल्ली है कि वहां जो फैसले होते हैं, वे सही ही होते हैं। हो सकता है कि कानूनी तौरपर वे शायद सही हों। लेकिन, जब देहात के अन्दर जाकर देखा जाता है तो जो देहात में रहने वाले साथी हैं, वह वकीलों की बहस के बाद हुए फैसलों को अच्छा नहीं, बल्कि खराब मानते हैं।''

(संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 11 फरवरी, 1959, पृष्ठ 426–27)

इसलिए दिल्ली देहात में इतनी जल्दी पंचायतीराज कायम हो जाए, उतना ही अच्छा है। इसी विषय के अन्तर्गत बोलते हुए आपने कहा था कि :

''जो भूमिहीन ग्रामीण भाई बसते हैं, उनको अनाज किसी भाव भी नहीं मिलता है। तो मंत्री महोदय कहते हैं कि देहात के काश्तकारों के पास, बड़े–बड़े काश्तकारों और जमींदारों के पास काफी अनाज है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 11 फरवरी, 1959, पृष्ठ 428)

उन्होंने आगे चलकर यह स्पष्ट कर दिया कि यह अनाज भूमिहीनों को चाहिए। आपने कहा कि देहात में खेत मजदूरों को गेहूं नहीं मिलता और जिन लोगों की बहुत थोड़ी आमदनी है, उनको सस्ता गेहूं देने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है।

37. भारतीय जीवन बीमा निगम के मोशन पर बोलते हुए आपने सबसे पहले कृषि बीमा योजना की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा था :

''.....इस देश में 80 फीसदी किसान बसते हैं और उनकी क्रॉप

इंशोरेंस कराने के वास्ते हाल ही में एक बहुत लंबा चौड़ा बीमा आयोजन मौजूद है। लेकिन, इस दिशा की ओर कोई सक्रिय कोशिश अथवा कदम नहीं उठाया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे वित्तमंत्री महोदय, जोकि एक बहुत मजबूत इंसान हैं, इस समस्या की ओर ध्यान देंगे।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 6 अगस्त, 1959, पृष्ठ 1060)

38. देहात में उचित मजदूरी के विषय में दिसम्बर, 1959 में मिनीमम वेजिज (संशोधन बिल) पर बहस के दौरान आपने कहा थाः *''अगर सरकार का कोई हिस्सा अपने मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देता तो वह अच्छी बात नहीं है, जबकि हम खेती का काम करने वाले तबके को उचित मजदूरी देते हैं।''* (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 11 दिसम्बर, 1959, पृष्ठ 4738)

39. इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम के सन्दर्भ में मार्च, 1960 में आपने इस विषय पर अपने विचार बहुत गहराई से रखे थे। आपने ध्यान दिलाया था कि एग्रीकल्चर रिसर्च पर जितना रूपया खर्च होता है, उतना लाभ किसानों को नहीं मिलता। क्योंकि वह सब बातें किसान तक नहीं पहुंच पाती हैं। बड़े दुःख भरे शब्दों में सदन का ध्यान इस ओर दिलाया कि कृषि के विषय में जो विद्वान हैं, उनकीं सेवाएं तो प्राप्त नहीं की जा रही हैं। (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 11 मार्च, 1960, पृष्ठ 5532)

40. प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड एक्सपोर्ट ऑफ शूगर से संबंधित बहस में भाग लेते हुए दिसम्बर, 1960 में आपने अपनी बात इस तरह से कही थी :

''यह सवाल देश के सामने मेरे ख्याल से चौथी दफा आया है और इससे पहले देश को तीन–चार दफा बताया गया कि हमारे देश

में चीनी की पैदावार जरूरत से ज्यादा है। इस विषय में देश के बाहर चीनी भेजने का जिक्र भी किया गया। देश के बाहर चीनी नहीं गई। जहां तक चीनी के ज्यादा होने का ताल्लुक था, पिछला इतिहास यह कहता है कि पता नहीं कि किस तरीके से चीनी के व्यापारियों ने या बड़े–बड़े मिल मालिकों ने इस जिक्र के फौरन बाद चीनी का भाव बढा दिया और फिर चीनी की सार्टेज (कमी) का नारा इतनी जोर से लगा दिया, जितना पहले कभी नहीं लगा था। इसलिए भगवान इन सबका भला करे।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 7 दिसम्बर, 1960, पृष्ठ 4443)

41. नीचे दिए गए सदन में उनके भाषण के उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर चौधरी रणबीर सिंह की गहरी पकड़ थी और वे जानते थे कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की पैदावार से धन खींचा जाता है। उसका देश तथा देहात के लिए क्या परिणाम होने वाला है। इस मिसाल से यह भलीभांति उजागर होता है कि आजादी के बाद यह एक ऐसा तरीका था जिसके जरिये कृषि अर्थव्यवस्था खोखली होती चली गई और यूं प्राप्त धन से पूंजी के बनते शहरों अथवा पूंजी आधारित कारखानेदारी ढांचे को यहां मजबूत किया गया है। डिमाण्ड फोर ग्रान्टस विषय पर बहस के दौरान चौधरी साहिब ने बहुत से आंकड़े पेश करते हुए निष्कर्ष पेश किया। आज आंखों के सामने यह सब सच होता दिख रहा है। उनका कहना था कि :

''एक तरफ तो देखा जाए, काश्तकार जो पैदा करता है, उसका भाव तो घटा है और जिन चीजों को काश्तकार इस्तेमाल करता है, उनका भाव बढ़ा है। इस तरीके से यदि कोई घाटे में रहा है तो वह हिन्दुस्तान की सत्तर फीसदी ग्रामीण आबादी घाटे में रही है। इतना ही नहीं पिछले पांच–दस वर्षों के अन्दर देश में जो काम हुआ है और

उससे आगे भी देखा जाए तो यही साबित होगा।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 19 अप्रैल, 1961, पृष्ठ 12430)

42. अनाज के भण्डारण की कठिनाई गेहूं के लिए वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन (अमैंडमेंट बिल, 1976) पर विचार विमर्श करते समय राज्यसभा में इस कठिनाई की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की थी कि किसान पैदावार तो कर देता है, लेकिन कई बार उसको अनाज भण्डारण की व्यवस्था नहीं होती। इसी समय आलू के बारे में आपने कहा था कि,

''आप जानते हैं कि पिछले साल आलू देश के अन्दर ज्यादा पैदा हुआ, आलुओं को सुरक्षित रखने के लिए स्थान कम था। इसलिए आलू के भाव इतने भी नहीं रहे कि लोग उसको खेत से खोदकर बाजार में ले जाएं।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, 15 मार्च, 1976, पृष्ठ 92)

कहना न होगा कि इक्कीसवीं शताब्दी के दूसरे दशक में भी अनाज भण्डारण की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इसलिए चौधरी रणबीर सिंह की दूरदर्शिता की दाद देनी पड़ेगी।

43. उन दिनों अनाज भण्डारण के स्थानों की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा था। इसी सिलसिले में जौ की कीमत की बाबत भी सवाल उठाया और गेहूँ और चने के भण्डारण की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया। आपने चने के बारे में कहा था कि :

''इसी तरह से जो चना है, उसका भी खरीदने वाला होगा या नहीं। पिछले साल चना 250 रूपये प्रति क्विंटल था और इस साल चने की फसल तैयार है और वह बहुत अच्छी है। मैंने सुना है कि दूसरे देशों में, खास तौर पर अरब मुल्कों में चने की दाल की काफी

मांग है। अगर इस दाल को समय पर भेजने का इंतजाम हो सके तो उसके लिए सरकार को अपने स्टोरों में रखने का प्रबंध करना होगा। इसके लिए भण्डारण की आवश्यकता होगी।' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, 15 मार्च, 1976, पृष्ठ 92–93)

इसी बहस में भाग लेते हुए आपने आगे चलकर कहा था कि

''किसानों को इस बात का विश्वास दिलाइये कि उसके अनाज को भण्डारणों में सुरक्षित रखा जायेगा, क्योंकि उन्होंने खून पसीना एक करके और मेहनत करके अनाज पैदा किया है।...चाहे वह अनाज जौ, गेहूं, चना या सरसों हो। किसान जो भी अनाज पैदा करता है, हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि उस अनाज को ठीक भाव खरीदे।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, 15 मार्च, 1976, पृष्ठ 94)

44. अपने इस उद्धरण में वे खेती को निचोड़ने वाले काम को पूंजीवादी सोच के साथ जोड़ कर पेश करते हैं। यह उनकी पैनी निगाह को जाहिर करता है। आपने सदन का ध्यान आकर्षित करते समय याद दिलाया था कि पूंजीवादी सोच को बदलना होगा। समाजवादी ढ़ांचे को बनाए रखना होगा। यह पूंजीवादी सोच का नतीजा है कि हमारे देश के अन्दर खेती में जो चीजें पैदा होती हैं, जैसे गेहूं या दूसरी चीजें, उनके भाव गिरे हैं। लेकिन, जिन चीजों का संबंध सरकारी विभागों से है, उनकी कीमत चढ़ी है। ऐसे तरीकों से ही खेती घाटे का धंधा बन गया है। आपने कहा था कि :

''हमारे देश के अन्दर सबसे बड़ा धंधा खेती है और उस खेती के अन्दर जिन इनपुट का उपयोग किया जाता है, उनकी कीमतें बढ़ी हैं। इसके विपरीत खेती में जो चीजें पैदा होती हैं, उनकी कीमतें घटी हैं। ऐसे हालात में यह कौन सी समाजवादी सोच हैं इसके बारे में

गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ट्रैक्टरों की कीमतें बढ़ीं, डीजल की कीमत बढ़ी, बिजली की कीमत बढ़ी है और इसी तरह से दूसरी चीजों की कीमतें भी बढ़ी हैं। इन चीजों का संबंध सरकारी विभागों से है।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, 26 मई, 1976, पृष्ठ 191)

45. 22 जून, 1977 को राज्यसभा की रजत जयंति थी। इस अवसर पर बजट (जनरल) पर बहस में भाग लेते हुए आपने फिर से अनाज भण्डारण के लिए गुहार लगाई थी और कहा था कि :

''पहले साल और कई बार 1200 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से मंगाया जाता था। कम से कम भगवान के लिए इस अनाज को चूहों को मत खिलाइये। कीड़े–मकौड़ों से इसे नष्ट होने से बचाईये। 250–300 करोड़ रूपया, जो एफसीआई ब्याज की कीमत में देगा तो यदि वही पैसा हम किसानों को दे देते तो किसान तरक्की कर सकते थे।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, 22 जून, 1977, पृष्ठ 202)

46. राज्यसभा में मई, 1972 को आपने कृषि उपज के बढ जाने से देश को अनाज में आत्मनिर्भर बना कर अपने गौरव व सम्मान की गारंटी के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा था कि,

''गेहूँ हम देते हैं, उनका पिछले तीन साल का फर्क देखें तो उसकी कीमत से पता चल जाएगा। उपसभापति जी, आजकल कृषि मंत्रालय पर और टीका टिप्पणी होती है। इस देश के अन्दर 530 करोड़ रूपये का अनाज बाहर से आता था, इम्पोर्ट होता था। वह इम्पोर्ट आगे नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम अमेरिका को आंख दिखा सकें।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 12मई, 1972, पृष्ठ 137)

47. हरियाणा को अधिक तव्वजो देने की वकालत करते हुए कृषि पैदावार के विषय में आपने कहा था कि :

''यह देश सबका है। केवल हरियाणा वालों का नहीं है। इस हरियाणा में ज्यादा अनाज पैदा करते हैं तो उसको हरियाणा वाले ही नहीं खाएंगे। वह देश के लिए बेचेंगे। इसलिए यहां जो ज्यादा पैदा कर सकता है और कम खर्च पर पैदा कर सकता है। उसका ध्यान रखना चाहिए। खास तौरपर जब हम योजना बनाते हैं।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 23 फरवरी, 1973, पृष्ठ 185)

48. एप्रोप्रियशन बिल, 1973 पर बहस में भाग लेते हुए कहा था कि आपने गेहूं के भाव ठीक मुकर्रर नहीं किए। ऐसा माना जाता था। उन्होंने बताया था कि हम ही नहीं एक्सपर्ट कह रहे हैं, बल्कि कृषि विद्यालय के विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा था कि :

'''जब 'किसान की पैदावार का भाव मुकर्रर हुआ और जब किसान पहले अनाज पैदा करके गाड़ी में भरकर ले जाता है तब किसान को अलहदा बैठा दिया जाता था और फिर उसके अनाज की बोली होती थी, नीलामी होती थी और वह मुर्दे आदमी का सा भाव होता था, उसकी कोई हिम्मत नहीं थी और व्यापारी दूर बैठे–बैठे चुपके से हथेली दबाकर भाव मुकर्रर करता था।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 2मई, 1973, पृष्ठ 249)

49. जब कृषि उत्पादन के लिए सपोर्ट प्राईस मुकर्रर हुई तो आपने उसी सिलसिले में बताया था कि *:*

''हिन्दूस्तान की प्रधानमंत्री ने और हिन्दुस्तान की सरकार ने पहली दफा हिन्दुस्तान के इतिहास के अन्दर किसान जो पैदावारी करता है, उसकी सरकारी तौरपर कीमत मुकर्रर करने का फैसला किया है और इस कीमत के ऊपर सरकार खुद ही खरीदेगी।''
(संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 12मई, 1972, पृष्ठ 137)

50. फाइनांस बिल पर बहस के दौरान 1929 व 1930 का जिक्र करते हुए कहा था कि :

''1929 और 1930 में जब पैसे का प्रसार नहीं था, प्रसार कम था, उस समय एक रूपये में 16 सेर गेहूं मिलता था। सवा सेर घी मिलता था। लेकिन, उस वक्त देश में देहात का आदमी अपनी भूमि का कर देने के लिए जमीन को छोड़ता था।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 8 मई, 1974, पृष्ठ 296)

51. वर्ष 1974 में रिअप्वांटमैंट ऑफ द कमेटी टू सजेस्ट रीमेडियल टू चैक इनफलक्स ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन ऐरिया, इस विषय पर बहस करते हुए चौधरी साहब ने चिंता जताई थी कि गाँव का आदमी शहरों में जाकर बस रहा है। क्योंकि देहात की तरक्की ठीक ढ़ंग से नहीं हो रही है। जितना पैसा खेती से मिलता है, उसी हिसाब से खर्च नहीं होता। उन्होंने कहा :

''देश में 70 फीसदी लोग खेती के काम पर लगे हैं। खेती की कुल पैदावार फिर भी देश की आय का 48 प्रतिशत है और सरकार ने खेती की तरक्की के लिए खर्च किया 15 प्रतिशत। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। वह जमाना निकल गया, जब दस्तखत करने से अमेरिका से अनाज मिल जाता था। अब तो 290

रूपये प्रति क्विंटल से मिलेगा और वह भी दस्तखतों से नहीं। हिन्दुस्तान का सामान बाहर बेचकर मिलेगा।'' (राज्यसभा (1972–78) में भाषण, भाग–एक, 8 मई, 1974, पृष्ठ 297)

52. 26 नवम्बर, 1974, रूल 176 के अंतर्गत डिस्कसन में भाग लेते हुए गेहूं तथा अनाजों की पैदावार के कम होने के सन्दर्भ में आपने कहा था,

''हमारे देश के अन्दर जमीन के नीचे कहीं भी पानी है तो वह उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, बंगाल में है और असम में है। वह देश को ज्यादा अनाज पैदा करके दे सकते हैं। इस देश के अन्दर यदि उत्तर प्रदेश में और बिहार की जमीनों के नीचे भी पानी है और मीठा पानी है, जो बाहर निकालकर प्रयोग में लाया जाए तो कामयाब हो सकता है। इस देश के अन्दर अनाज की कमी नहीं रहेगीं'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 26 नवम्बर, 1974, पृष्ठ 226)

30. देश को स्वालम्बन बनाने पर अपना नजरिया पेश करते हुए आपने कहा था कि,*''मैं जानता हूँ कि यह हमारे देश के लिए कोई इज्जत की बात नहीं है कि हम विदेशों से अनाज मंगवाएं, जबकि हमारा देश कृषि प्रधान देश हैं। हम बाहर से वह चीजें मंगवाएं और हम अपने खेतों में पैदा नहीं कर सकते हैं। हमें अपने देश को हर चीज में स्वावलंबी बनाना चाहिए।''* (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 26 नवम्बर, 1974, पृष्ठ 230–31)

53. पिछली शताब्दी के सातवें दशक में गेहूं की रिकार्ड़ तोड़ पैदावार हुई थी। सदन में सामान्य बजट पर बहस में भाग लेते हुए

चौधरी साहब ने कहा था कि,

''हमारे देश के अन्दर किसानों ने कुछ वर्षों पहले गेहूं इतना पैदा किया कि गेहूं कोई खरीद ही नहीं रहा था। सरकार को गेहूं की खरीदारी में इमदाद करनी पड़ी।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 18 मार्च, 1975, पृष्ठ 272)

54. राज्यसभा में, वर्ष 1976, 26 मार्च के दिन रेज्योलूशन, रिगार्डिंग फार्मूलेशन ऑफ ए स्कीम बाई गर्वनमेंट टू इंश्योर ए रेमोरेनेटिव प्राईस टू ग्रोवरर्स ऑफ ईच एग्रीकल्चरल कमोडिटी (कृषि उत्पाद के लिए उचित मूल्य निर्धारण करने हेतू विषय) पर बहस में भाग में लेते हुए आपने जिक्र किया था, '

'कृषि मंत्रालय को चाहिए कि वह देखे कि जो पैदावार करते हैं, उनकी पैदावार का ठीक भाव हो। एक समय था, जब खेती एक व्यवसाय नहीं था। देश के अन्दर रहने का एक तरीका था। आज देश के अन्दर हर किसी को अधिकार है कि उससे बेगार नहीं ली जा सकती तो किसान से भी बेगार नहीं ली जा सकती।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, 26 नवम्बर, 1976, पृष्ठ 92)

55. चौधरी साहब ने इसी सिलसिले में बहस में भाग लेते हुए आगे चलकर कहा था कि,

''मैं यह कहूंगा कि सरकार ने किसानों की काफी सहायता की, कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों की मदद की। उसके साथ–साथ जब तक किसान जो कुछ पैदा करता है, उसकी बिक्री की पूरी व्यवस्था और इंतजाम सरकार नहीं करती, तब तक देश का उद्धार

नहीं हो सकता। आपने देखा कि पिछले साल आलू बाजार में बिखरा पड़ा था। खेत से किसान ने आलू निकाला नहीं। आज जौ और चने को कोई पूछता नहीं और इस देश के अन्दर भगवान की कुदृष्टि हो जाए तो उस पर किसान का कोई वश नहीं रहता। इसके कारण ही देश को एक साल में दस मिलीयन टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ा था और पिछले साल भी सात मिलीयन टन से ज्यादा अनाज बाहर से आया था। हम चाहते हैं कि अनाज देश में बाहर से न आए। आज की बात दूसरी है और किसान ने इस देश को इस लायक बना दिया है कि हम अनाज अपने देश के बाहर भी भेज सकें।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, 26 नवम्बर, 1976, पृष्ठ 93)

56. खेत मजदूर शहर में रहने वाले मजदूरों के मुकाबले में गरीब हैं। क्योंकि वो देहात में रहते हैं और उनको शहर के मुकाबले में कम मजदूरी मिलती है। उन्होंने कहा था कि :

''इस तरह से हमारे देश में किसानों की खेत मजदूरों की और देहात की दुर्दशा है। उनकी गरीबी कम होने की जगह बढ़ती दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में हमे ऐसे कार्य हाथ में लेने चाहिए, जिससे कि किसानों को मदद मिल सके। खाद के साथ साथ जो और साधन किसानों को खेती के लिए चाहिएं, जैसे अच्छे बीज फसलों में होने वाली बिमारियों पर छिड़कने के लिए दवाईयां, बिजली, पम्प, तेल औजार किसानों को देहात में सहूलियत हो। किसान जो चीज पैदा करता है, उसका उचित दाम नहीं मिला तो उनका शोषण होता है।'' (संसदीय बहस (राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 14 मार्च, 1974, पृष्ठ 115)

57. जुलाई, 1968 में हरियाणा विधानसभा में डिमाण्ड फोर ग्रान्ट के ऊपर बहस में भाग लेते हुए आपने किसानों और कृषि उपज के

बारे में कहा था कि,

''सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि हमारी सरकार किसानों को पूरी सहूलियत नहीं दे रही है। अगर सरकार पूरी सहूलियत दे तो पैदावार बढ़ सकती है। यह आप सब काम करें कि भावों के कम होने से हमारी सरकार बहुत बड़ा हिस्सा तो गवर्नर राज का उसमें मानती है। एक जमाना था, जब पंजाब प्रदेश से हरियाणा की मंडियों में आकर पंजाब का अनाज बिकता था। लेकिन, इस साल हरियाणा का अनाज पंजाब की मंडियों में जाकर बिका है। सरकार ने 75 रूपये क्विंटल गेहूं का भाव मुकर्रर किया और यहां पर 65 और 67 रूपये क्विंटल के हिसाब से बिका तो आप अन्दाजा लगाएं कि हरियाणा के किसानों को कितने करोड़ों का घाटा हुआ? जहां केन्द्रीय प्रशासन ने किसानों के गेहूं के भाव मुकर्रर करके एक तरफ उनके दिलों को जीतने के लिए कदम उठाया था। हमारे प्रदेश में सरकार गेहूं का भाव पूरा नहीं दिला सकी और किसानों को परेशान किया गया।''

उन्होनें इसी चर्चा में आगे चलकर भ्रष्टाचार मिटाने की बात भी कही और कहा था कि :

''गांधी जी ने कहा था कि वह राज अच्छा होता है, जो कम से कम.....भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करता है। यह बड़े दुःख की बात है कि हमारे प्रदेश में और पड़ौसी पंजाब प्रदेश के भाव में 7–8 रूपये क्विंटल फर्क रहा। इससे तो किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलता। उससे तो उसके दिल को ठेस पहुंचती है। हमें किसान को सहायता देनी होगी।'' (हरियाणा विधानसभा, 24 जुलाई, 1968, पृष्ठ (7) 36)

58. सप्लीमेंटरी डिमाण्ड ग्रान्ट के विषय में बहस में भाग लेते हुए सदन का ध्यान पंजाब की 32 लाख एकड़ भूमि, जो बाढ़ से खराब हो

गई थी, की ओर दिलाया। उसको ठीक करने के लिए पंजाब सरकार को पैसा देने की वकालत की, जिससे वहां नहरी पानी की खेती हो सके और सुझाया कि यदि ऐसा होता है तो :

''यहां पर 172 लाख मन फूड ग्रेन पैदा होता है 25 लाख मन चीनी और 20 लाख मन कपास पैदा होती है। आप तीनों चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं।....अगर हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में बाहर से अनाज आना बंद हो और लंबे रेशे की कपास आना बंद हो और देश में तरक्की हो सके और जिस रूपये में हम अनाज और कपास मंगाते हैं उससे हम मशीनें मंगा सकें तो निहायत जरूरी है कि पंजाब को फ्लड कंट्रोल बोर्ड ने जितने रूपये मांगे हैं उनके लिये पूरा रूपया दूसरे पाँच साला प्लान में दे दिया जाये। उसको घटाने की कोई वजह नहीं है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 23 फरवरी, 1959, पृष्ठ 2493)

चौधरी साहब ने संसद को चेताया था कि :

''आप करोड़ों रूपये का अनाज बाहर से मंगाते रहे हैं। दूसरों के आगे झोली पसार रहे हैं। क्या इससे अच्छा यह नहीं होगा कि आप सूबों को बगैर सूद के कर्जा दें और अगर आपने बगैर सूद के कर्ज 10–15 साल तक दिया तो आपको बतलाना चाहता हूँ कि आपको दूसरों के आगे झोली पसारनी नहीं पड़ेगी। दुनिया के सामने भिखारी नहीं बने रहेंगे और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपको भिखारी ही रहना होगा।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 23 फरवरी, 1959, पृष्ठ 2497)

3 भूमि अधिग्रहण

परिचय

चौधरी रणबीर सिंह स्वयं एक सामान्य किन्तु इलाके के प्रतिष्ठित किसान के घर पैदा हुए थे। उनको जमीन की अहमियत का बखूबी ज्ञान था। इसलिए, किसानों की कृषि योग्य भूमि के अधिग्रहण पर प्रायः सक्रिय रहते थे। यूं तो भूमि अधिग्रहण का इतिहास बहुत पुराना है और यह कानून भी 19वीं शताब्दी से लागू है। फिर भी, यह मानने वाली बात है कि सार्वजनिक व सामूहिक कार्यों के लिए जैसे सड़क, नहर, रेलवे लाईन तथा सरकारी भवनों के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ती है और किसान की भूमि का सार्वजनिक कार्य के लिए अधिग्रहण होता आया हैं।

यहां ब्रिटिश हुकूमत के पैर जमने से पहले तक जमीन पर सामान्यतः गांव समाज की मलकियत का रिवाज था। खेतिहर परिवारों को प्रयोग का हक रहा था। फिर, कुछ लोग दूसरे पेशों में लगने से या अन्य कारण से बेजमीन हुए। ऐसी हालत में, अंग्रेज सरमायेदारों के आने पर अपने चाय के बागान आदि के लिए जमीन खरीदना कठिन हो गया तो जमीन पर निजी मालिकाने का हक बनाया गया जिससे अंग्रेजों को दो लाभ हुएः पहला, विदेशियों को जमीन का खरीदना अथवा अधिग्रहण करना सम्भव हो गया। दूसरे भारत में जमीन के मालिकों में ऐसा धनी तबका पैदा कर दिया गया जो सरकारपरस्त बन कर अपने ही लोगों पर विदेशी शासन का

औज़ार बन गया। इसका दूरगामी प्रभाव हुआ। ब्रिटिशासन को लम्बे समय तक राज करने का अवसर मिल गया और आजादी की लड़ाई में भी ग्रामीण आंचल का यह तबका रोड़ा बना रहा।

साथ ही जमीन पर सरकार के प्राथमिक हक का सिद्धान्त घड़ लिया गया जिसे प्रिंसिपल ऑफ एमीनैन्ट डोमेन के नाम से जाना जाता है। जमीन अधिग्रहण की पूरी सोच इसी सिद्धान्त पर टिकी है। इसी के तहत सरकार एक दिन जमीन की हकदार बनी थी। जमीन गाँव समाज की मलकियत न होकर ब्रिटिश सरकार की मलकियत मान ली गई!

यह दूसरी बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ब्रिटिश सरकार बेरहमी से उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण कर लेती थी। क्योंकि उनका भारत के किसानों से लेनादेना नहीं था। जब चौधरी रणबीर सिंह दिल्ली में पढ़ते थे, उन्हीं दिनों नई दिल्ली बसाई जा रही थी। उसी समय उन्होंने किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण होते देखा तथा किसानों की कठिनाईयों को समझा और उसके विषय में जानकारी हासिल की। आपको मौका मिलते ही प्रथम लेजिस्लेटिव असेम्बली में यह सवाल बड़े जोर शोर से उठाया और निडरता से चेतावनी दे दी थी कि किसानों को मत मिटाओ। बहुत सी हुकूमत आई, देहातों को उखाड़ नहीं सकी। अपनी तहजीब और तमद्दुन के बल पर वह आज तक जिंदा है।

उसूलन, चौधरी साहब सार्वजनिक काम के लिए भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध नहीं थे। आजादी के बाद सार्वजनिक कामों का जाल बिछा। उसके लिए जमीन की जरूरत थी। लेकिन, वे इस बात पर जोर दिया करते थे कि किसान का पेशा मत छीनों। किसानों को उसी कीमत की भूमि दे दो। केवल मुआवजा देकर अपना पल्ला मत

झाड़ो। उनकी समझ थी कि एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते लोगों की बहबूदी से सरकार को पूरा सरोकार रखना चाहिए।

जो हो, अंग्रेजों के जमाने से जमीन अधिग्रहण का मसला संवेदनशील रहा है। वे विदेशी थे। उन्हें अपने हित साधने से मतलब था। लोगों की सुनें, न सुनें। लेकिन, आजाद देश में लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना सरकारों के लिए आवश्यक है। इस पहलू को चौधरी साहिब ने आरम्भिक काल में ही जोर देकर उठाया। यह उनकी दूरगामी सोच का प्रमाण है। यह सवाल आज भी संवेदनशील बना हुआ है। ऐसे सवाल पर उनके विचार सामयिक हैं।

आपने सभी सदनों में अंतिम समय तक इस बात को नहीं छोड़ा और भूमि अधिग्रहण के विषय में अपनी बात कहते रहे, चाहे उसका कोई विशेष असर नहीं हुआ।...अतंतः भारत सरकार की भूमि अधिग्रहण के विषय में चिंता बढ़ी तथा हरियाणा की भूमि अधिग्रहण की पॉलिसी जोकि सारे भारतवर्ष में सराही जा रही है, वह भी बनी, क्योंकि इस प्रकार के भूमि अधिग्रहण से किसान बेसहारा नहीं रह जाता।

एक बात स्पष्ट है कि आरम्भिक दौर में सभी सदनों के स्तर पर चौधरी साहिब द्वारा रखे गए सुझावों पर सरकारें ध्यान देतीं तो मामला इतना जटिल नहीं बनता।

अगले पन्नों में चौधरी रणबीर सिंह द्वारा इस अति संवेदनशील मसले पर विभिन्न सदनों में रखे गए विचारों के महत्वपूर्ण अंश पाठकों की जानकारी के लिए प्रस्तुत हैं।

भूमि अधिग्रहण

यूं तो भारतवर्ष में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण का इतिहास सन् 1824 से प्रारंभ होता है। बंगाल में रेग्यूलेशन एक्ट नं. 1 लागू हुआ था। वर्ष 1839 के बिल्डिंग एक्ट-XXVIII के नाम से मुम्बई में लागू किया गया। इन उपरोक्त दोनों विधेयकों को सन् 1850 में संशोधित कर दिया गया था।

पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार द्वारा अपने अधीन भारतवर्ष में एक्ट नं. VI, 1857 पारित करके लागू किया गया। इसका विशेष प्रयोजन था सड़क, रेलवे लाईन व नहरों के लिए भूमि का अधिग्रहण करना। इसके उपरांत सन् 1861, 1863 और सन् 1870 में इसमें आवश्यक संशोधन किए गए। सन् 1870 के संशोधन के विषय में बहुत विचार करने के उपरांत इस पर आधारित सन् 1894 में भूमि अधिग्रहण विधेयक पास किया गया, जोकि आज तक लागू है। लेकिन, कहना न होगा कि उपरोक्त विधेयक को पिछले 90 वर्षों के दौरान सन् 1894 से सन् 1984 तक लगभग 18 बार संशोधित किया गया। मुख्य सशोधन 1956 में किया गया, जोकि एडोपशन ऑफ लॉज आर्डर, 1956 के अंतर्गत किया गया।

मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहण के पीछे दो आधार हैं। एक तो नागरिकों का वेलफेयर सबसे ऊपर रखा गया है और दूसरा, सार्वजनिक कार्य के लिए आवश्यकता, जिसे प्राईवेट आवश्यकता से

अधिक माना गया। इस आशय का अप्रैल, 1982 में लोकसभा में एक बिल रखा गया, जिसे 1984 में पारित किया, जो आज तक लागू है। इन संशोधनों से पिछले 25–30 वर्षों में जो कठिनाईयां आई हैं, उनके समाधान के लिए नए संशोधन का मसौदा सरकार द्वारा तैयार किया गया है, जोकि आजकल चर्चा का विषय है, जिसे शीघ्र ही संसद के पटल पर रखकर बहस करने के उपरांत पारित करने का विचार है।

सन् 1984 के संशोधन में मूलरूप से दो मुख्य बातें सामने आईं थीं। एक तो इस विधेयक को पूर्वकाल से ही लागू करना तथा दूसरा, पहली बार सॉलिटियम (मुआवजा) देना तथा बढ़े हुए मुआवजे पर ब्याज देना। यह संविधान की समवर्ती यानी कंकरेंट लिस्ट में है।

दिसम्बर, 1957 में दिल्ली डेवलपमेन्ट बिल के ऊपर हुई लोकसभा में बहस के दौरान चौधरी रणबीर सिंह ने कहा था–

''उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का नाम दिल्ली डेवल्पमेंट विधेयक है। लेकिन, जहां किन्हीं लोगों के लिए यह डेवल्पमेंट बिल है, इसको किन्ही दूसरे लोगों के लिए विनाशक बिल नहीं होना चाहिए। दूसरे, डेवल्पमेंट का एक एस्पेक्ट ख्याल में रहे और दूसरा एस्पेक्ट दिमाग से हटा दिया जाए, मैं समझता हूँ कि यह कोई स्वस्थ डेवल्पमेंट नहीं है। डेवल्पमेंट के माने सिर्फ यही नहीं हैं कि सिर्फ इस शहर के अन्दर मकान पर मकान खड़े किए जाएं''। (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), दिल्ली डेवल्पमेंट बिल, 12 दिसम्बर, 1957, पृष्ठ 5001।)

इसी विधेयक पर बोलते हुए चौधरी साहब ने किसानों के हक में सरकार को ललकारा था और आवाज उठाई थी तथा कहा था कि

– *''एक तरफ तो प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि नई दिल्ली में दूसरी मंजिल नहीं बनेगी, दूसरी तरफ जो जमीन 25 साल पहले ली गई थी, वह बसी नहीं है, तीसरी तरफ आप और जमीन लेने को तैयार हैं। आखिर यह क्या नीति है? यह मालूम होना चाहिए।''*(संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), दिल्ली डेवल्पमेंट बिल, 12 दिसम्बर, 1957, पृष्ठ 5003।)

चौधरी रणबीर सिंह ने देहात को उखाड़कर शहर बसाने की तहजीब के विषय में अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा था और तत्कालीन सरकार को इसके माध्यम से चेतावनी दी थी–

''इस तरह की बातों में हमें बड़े ऐतिहात से चलना चाहिए। यहां बड़ी–बड़ी हुकुमतें आईं, वह भी देहातों को नहीं उखाड़ सकीं, उनकीं तहजीब और तमद्दुन को नहीं मिटा सकी। लेकिन, आज आप उसकी तहजीब और तमद्दुन को मिटाने के लिए तैयार हैं। इस सिविलाइज्ड दुनिया में, ऐसे समय में, बड़ी धीरज से काम करना चाहिए।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), दिल्ली डेवल्पमेंट बिल, 12 दिसम्बर, 1957, पृष्ठ 5003।)

जमीन को अधिग्रहण करके खाली रखना चौधरी साहब को चुभता था। यूं तो वह जमीन अधिग्रहण के विरूद्ध नहीं थे। इसलिए, उन्होंने कहा–

''यह ठीक है कि सरकार को और धाराओं के मुताबिक जमीन लेने का अख्तियार होगा। लेकिन, इस बारे में तो मैं बोल सकता हूँ कि आप जमीन सही तौरपर लेते हैं या सारे देश को लेकर खाली डालने के लिए लेते हैं। अगर खाली डालने के लिए जमीन ली जाती हैं तो यह नीति देश के लिए अच्छी नहीं होगी। हमने कितनी ही बातें पास कर ली हों। लेकिन, हम इस पर बोल सकते हैं और

बहस कर सकते हैं कि जमीन सही तौरपर ली जा रही है या नहीं? यह सवाल नहीं है कि जमीन ली जाए या नहीं। मैं जमीन लेने के खिलाफ नहीं हूँ।''

(संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), दिल्ली डेवल्पमेंट बिल, 12 दिसम्बर, 1957, पृष्ठ 5004।)

जमीनें अधिग्रहण करके सरकार जब किसानों को बेघर बनाती है तो इस विषय में चौधरी साहब के दिल में बड़ी टीस उठती थी। उन्होंने लोकसभा में दो टूक कहा कि–

''अब सरकार खुद लोगों को बेघर बना रही है। उनको बसाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जिन आदमियों को सरकार अपनी कलम से उजाड़ रही है, उनको बसाने की जिम्मेदारी भी उसी की बनती है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), दिल्ली डेवल्पमेंट बिल, 12 दिसम्बर, 1957, पृष्ठ 5005।)

शहरी और ग्रामीण हल्कों में भेदभाव पर आपने कहा था कि जमीन अधिग्रहण करते समय सरकार जब मुआवजा निर्धारित करती हैं तो शहरी और ग्रामीण इलाकों में भेद करती हैं। किसान और कारखानेदार में फर्क रखती हैं। उन्होंने लोकसभा में स्पष्ट तौरपर चेताया था कि –

''जहां तक कम्पेशेसन (मुआवजा) का ताल्लुक है, मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जब एक छोटे से काश्तकार की जमीन ली जाती है, तो दस साल की कीमत की एवरेज लगाई जाती है और वह दी जाती है, चाहे एक एकड़ का मालिक हो और चाहे पाँच एकड़ का। जब हम मुआवजा देते हैं, तो उसमें डिसक्रिमिनेशन क्यों? जब एक कारखानेदार को, बिजली के कारखाने के मालिक को, जिसने काफी लोगों को परेशान किया, काफी रूपया कमाया और कोठी बनवाई,

कम्पेशेसन देने का सवाल आता है, तो मार्केट वैल्यू से भी बीस परसेंट ज्यादा देना पड़ता है और दूसरी तरफ हालत यह है कि कोई एक एकड़ जमीन का मालिक है, उसको जब कम्पेशेसन देते हैं तो दस साल की औसत देखते हैं। मैं समझता हूँ कि यह बहुत अच्छा तरीका नहीं है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), भारतीय विद्युत संशोधन विधेयक, 5 अगस्त, 1959, पृष्ठ 686।)

जमीन अधिग्रहण करने के विषय में चौधरी रणबीर सिंह का दृष्टिकोण हमेशा से ही यह रहा है कि उपजाऊ कृषि भूमि को जहां तक संभव हो अधिगृहीत नहीं किया जाए और वेस्ट लैण्ड को अधिगृहीत किया जाए। उन्होंने 15 मार्च, 1951 को अन्तरिम संसद में रिक्वीजीशन कानून बनाते समय बहस में भाग लेते हुए यह कहा था–

''मैं इस बात पर मंत्री महोदय को जोर देकर कहना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर लैण्ड अव्वल में जहां तक हो सके, उसको छोड़ दें, क्योंकि वहां काफी अन्न पैदा होता है और उसके बदले जहां तक हो सके एग्रीकल्चर वेस्टलैण्ड में से जमीन लें और उपजाऊ जमीन को छोड़ दें। और वेस्टलैण्ड पर जो सरकारी चीज बनाना हो, वह बनायें। लेकिन, अगर किसी जरूरत की बिना पर समझें कि वह उस उपजाऊ एग्रीकल्चर को नहीं छोड़ सकते, तभी वह ऐसी जमीन पर अपना हाथ रखें या डालें, अन्यथा नहीं।'' (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, रिक्वीजीशन लैण्ड, कन्टीन्यूएशन पॉवर्स अमेन्डमैंट बिल, 15 मार्च, 1951, पृष्ठ 4664।)

अधिग्रहण यदि कृषि उपज वाली जमीन को अधिग्रहण करना आवश्यक हो तो उसके एवज में वेस्टलैण्ड या तो डेवलप करके दे दी जाए अथवा उसके डेवलप करने के लिए कुछ पैसा दे दिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि–

''उसी के साथ–साथ जैसाकि एक्वीजिशन एक्ट में दर्ज है, बहुत मामूली–सा मुआवजा देकर काश्तकार से अपना पल्ला छुड़ाना कोई अच्छी नीति नहीं है। पहले वक्त में जबकि हाऊस के सामने सरकार जिम्मेदार नहीं थी, यह चीज अगर होती तो आश्चर्य न था। लेकिन, अब तो स्थिति बदल गई है और आपकी सरकार इस हाऊस के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी है। सरकार मेरे विचार में ऐसे आदमियों को जिनको कि वह रिफ्यूजी बना रही है, उनको जब तक वह पेशा न दे, उस वक्त तक मेरी समझ में सरकार को कोई हक नहीं रहता कि उनको डिस्प्लेस कर दे। देश के अन्दर थोड़ा नहीं, काफी एग्रीकल्चर वेस्टलैण्ड है और अगर सरकार को उस लैण्ड को लेना आवश्यक ही हो, जिसपर कि काश्त की जा रही थी या हो, तो बजाय इसके कि वह उस जमीन के एवज में काश्तकार को रूपया दें, वह एग्रीकल्चर लैण्ड को डेवलप कर दे या जमीन देकर उतना मुआवजा और दे, जिससे कि वह आसानी से उसको डेवलप कर सके।'' (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, रिक्वीजीशन लैण्ड, कन्टीन्यूएशन पॉवर्स अमेन्डमैंट बिल, 15 मार्च, 1951, पृष्ठ 4664–65।)

जिन व्यक्तियों की जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाता है, उनके पुनर्वास के लिए चौधरी रणबीर सिंह के हृदय में हमेशा टीस रहती थी। उन्होंने राजनीति में पदार्पण के उपरांत अपने प्रारंभिक जीवन में ही यह कहा था–

''एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जहां पर आप हम बैठे हैं, यहां कुछ लोग आबाद थे–25 और 30 साल पहले उनकीं जमीनें ले ली गईं थीं और बेघर कर दिए गए थे। उनमें से बहुत सारे आज भी बेघर हैं। जहां हमारी सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जो पश्चिम से जो भाई आए हैं, उनको बसाया जाए तो बसाने के लिए जिन्हें हम अभी उजाड़ेंगे, उन्हें बसाने के लिए मकान, जमीन या कोई

दूसरे पेशे का इन्तजाम करें।'' संविधान (विधायी) बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 6 सितम्बर, 1948, पृष्ठ 1062।)

भारतीय विधान परिषद में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए हो रही बहस में चौधरी साहब ने तत्कालीन सरकार की आँख खोलने के लिए ही कुछ तथ्य अपनी बहस के दौरान संसद के सम्मुख रखे थेः

''राजपुर दिल्ली के करीब ही एक गाँव है। उस गाँव में बहुत सारे बागात हैं, जिनको कटवा दिया जाएगा। क्योंकि सरकार की स्कीम वहां पर मेडीकल इंस्टीच्यूशन और दूसरे इंस्टीच्यूशन बनाने की है। इस सिलसिले में वहां के लोगों की जमीन को एक्वायर करने के लिए नोटिस दे दिया गया है। हालांकि इसके मुकाबले में वहां पर पास ही उन मुसलमान भाईयों की जमीन पड़ी है, जो पाकिस्तान चले गए हैं और उनकी जमीनें तकरीबन खाली पड़ी हैं। इसके अलावा कुछ जमीन जो राजपुर वालों से 25 साल पहले ली गई थी, वह भी खाली पड़ी है। इसके अलावा और भी जमीन उसके आसपास खाली पड़ी है, जो बेघर है, जोकि बसाने के कुछ काम आ सकती है। लेकिन, पता नहीं कि इस तरह से क्यों गलती की जा रही है?'' संविधान (विधायी) बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 6 सितम्बर, 1948, पृष्ठ 1062–63।)

अपनी बहस जारी रखते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने सदन के सामने एक सुझाव पेश किया, जिसका सारांश है कि जमीन के बदले उसी कीमत की जमीन किसी बराबर के या नजदीकी गाँव में दे दी जाए, जिससे काश्तकार अपना काम जारी रख सके। उन्होंने कहा–

''मुझे इस बात का दुःख है कि अगर हम यह समझते हैं कि रूपया लेकर वह अपना पेशा कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह आपका अन्दाज गलत है, वह कोई अन्य पेशा नहीं कर सकते हैं। यह पुश्तों से काम करते चले आए हैं, उनके बाप–दादाओं ने खेती की है

और वह भी खुद खेती करते हैं और कोई दूसरा पेशा नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपसे यह कहूँगा कि इस बिल के अन्दर जो पैसे की शर्त है, उसको छोड़ दिया जाए और उसकी बजाय यह रख दिया जाए कि उसको जमीन के बदले में उसी कीमत के बराबर की जमीन दी जाएगी।'' संविधान (विधायी) बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 6 सितम्बर, 1948, पृष्ठ 1062–63।)

उपरोक्त सुझाव देते हुए उन्होंने अपने दिल की बात कही कि उन बंजर जमीनों के खेतों में ही बसासत की जाये, न कि कृषि योग्य भूमि पर। आपने मुआवजे का जिक्र करते हुए कहा था कि :

'एक किसान और खेती करने वाले के नाते मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि जमीन का मुआवजा क्या होता है। आप उसको रूपया दीजियेगा, मगर उसका पेशा जो है, वह उन रूपयों से पूरा नहीं होगा। अगर आप उसको 100 रूपया बीघा भी मुआवजा दे दें तो भी उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता, वह बेघर हो जाता है। न उसके पास मकान रहता है और न उसके पास पैसा रहता है। अतः उसको जमीन के बदले जमीन दें।'' (संविधान (विधायी) बहस, पुस्तक सं. 7, प. 2, 6 सितम्बर, 1948, पृष्ठ 1063)

इसी बहस में आगे भाग लेते हुए आपने सुझाव दिया था कि किसानों को मुआवजा न देकर जमीन के बदले उसी कीमत की बराबर जमीन दी जाये। यह बिल में संशोधन कर देना चाहिए। (वर्ष 2011 में कुछ हद तक इस विधेयक में संशोधन भी कर दिये गए हैं।)

चौधरी साहब ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा था कि कुछ भाई उनको सन् 1939 ईस्वी के भाव से मुआवजा देने का प्रस्ताव रखते हैं। उनका यह कहना था कि घर आज 1948 में बनाने हैं कि 1939 में और वह भी आज के भाव मिलेंगे या 1948 के भाव, पुरजोर अपील की थी।

सरकार हमेशा किसान की जमीन को अधिग्रहण करने के बाद उसे जमीन के बदले जमीन देने के पक्ष में नहीं है। उसे इसका पक्षधर होना चाहिए। जहां भी मौका मिला, वहीं पर अपनी बात कही, चाहे वह सरकार के विरोध में लगती हो। वर्ष 1949 में आपने बजट पर बहस में भाग लेते समय कहा था :

''लेकिन, मैं आपको इस सिलसिले में इतनी बात कहना चाहता हूँ कि खेती करने वाले के लिए कोई सिला नहीं है। कहा जा सकता है कि जब तक कि आप उसको जमीन के बदले जमीन न दें।''

(संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, आम बजट, 1949 पर बहस, 10 मार्च, 1949, पृष्ठ 152)

आपने हर मौके पर सरकार को बताने की कोशिश की कि उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। मार्च, 1951 में एक्वीजिशन ऑफ लैण्ड के प्रस्ताव के अमेंडमेंट पर बोलते हुए कहा था कि :

''जहां तक बिल्डिंग के एक्वीजिशन का ताल्लुक है और एग्रीकल्चर लैण्ड का एक्वीजिशन नहीं है, उसके बारे में मुझे बहुत कुछ कहना नहीं है। लेकिन, एग्रीकल्चर लैण्ड के एक्वीजिशन के बारे में जरूर कहना है। दिल्ली और अजमेर में काफी एग्रीकल्चर लैण्ड मुख्तलिफ जरूरतों के लिए ली जा रही है। एग्रीकल्चर लैण्ड का जो एक्वीजिशन है, जैसा कि पहले अंग्रेज सरकार करती थी। वह तो इसलिए था कि लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं थी और उसका एक ही एटीच्यूड किसी हद तक समझा जा सकता था। लेकिन, यह अफसोस की बात है कि वैसा ही नुक्ते निगाह आज भी मालूम देता है।''
(संविधान (विधायी) बहस, 15 मार्च, 1951, पृष्ठ 4662–63)

आपने जोर देकर कहा था कि उपजाऊ जमीन को मत छेड़िए। आप बोले,

''मैं इस बात पर मंत्री महोदय को जोर देकर कहना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चरल लैण्ड या तो अव्वल में उसे छोड़ सको तो छोड़ दो। क्योंकि वहां काफी अन्न पैदा होता है और उसके बदले जहां तक हो सके वेस्ट लैण्ड पर सरकारी भवन बना है तो वह बनाएं। लेकिन, किसी जरूरत की बिना पर वह उस उपजाऊ लैण्ड को नहीं छोड़ते तो तभी वह ऐसी जमीन पर अपना हाथ डालें तो अच्छा होगा।'' (संविधान (विधायी) बहस, 15 मार्च, 1951, पृष्ठ 4664)

सिविल प्रोसिजर कोड (अमेंडमेंट बिल, 1958) पर तर्क करते हुए लैण्ड एक्वीजिशन के विषय में कहा था कि :

''पिछले तीस–चालीस वर्षों के दौरान एक बिल पास किया गया था, जिसका नाम लैण्ड ऐलीनिएशन एक्ट था। इस कानून की वजह से जमीनों की रक्षा हो सकी थी। लेकिन, जब हम आजाद हुए तो उस कानून को हटा दिया गया और असंवैधानिक समझा गया। हालांकि, सारे काश्तकार उसे चाहते थे। इसलिए ही पंजाब के काश्ताकारों में खुशहाली थी। क्योंकि, साहूकार किसान की जमीन को हड़प नहीं सकता था। (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 2 मई, 1958, पृष्ठ 12995)

दिल्ली लैण्ड होल्डिंग (सिलिंग) बिल के विषय में कहा था कि जमीनें ग्रहण करने पर जो मुआवजा दिया जाता है, वह ठीक नहीं है:

'' दिल्ली में बाजार भाव एक एकड़ का पाँच हजार रूपये है और उसका मुआवजा ये पचास रूपया दें। ये कहां तक न्याय है? हम कहते हैं कि सोशल रिफोर्म के लिए समाज के हर अंग को कुछ न

कुछ कुर्बानी करनी चाहिए। उसमें कोई ऐतराज नहीं है। इम्पीरियल बैंक में जो हिस्सेदार हैं, उनसे भी कुर्बानी कराई जाये। अगर हिस्से की फेस वैल्यु ही दे दी जाती है तो हमें शिकायत न होती। लेकिन, उसका पाँच गुणा मार्किट वैल्यू के तौरपर उनको मुआवजा दिया गया। लेकिन, जो जमीन सोना पैदा करती है, जो जमीन अनाज पैदा करती है, उसको मुआवजे के लिए जो तरीका अख्तियार किया जा रहा है। वह उस जमीन के ऊपर किसी ने दो हजार का मकान बना लिया है तो उसकी कीमत दो हजार रूपये जरूर मिलनी चाहिए। चाहे जमीन का मुआवजा साठ रूपये ही क्यों न हो?''

(संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 11 मार्च, 1960, पृष्ठ 5466–67)

जमीन अधिग्रहण पर दिल्ली लैण्ड होल्डिंग (सिलिंग) बिल पर अपने विचार रखते हुए आपने कहा था कि जमीन का मुआवजा देते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा।

''आप जमीन लेना चाहते हैं तो लीजिए। उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन, उसका हिसाब मार्किट वैल्यू से होना चाहिए।''

(संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 1 अगस्त, 1960, पृष्ठ 206)

हम चाहते हैं कि मुआवजे के बॉण्ड न दिये जाए, लेकिन नकद देना चाहिए। वर्ष 1961 में दिल्ली अर्बन एरिया टेनेंट्स बिल के ऊपर चर्चा में भाग लेते समय आपने याद दिलाया था कि दिल्ली देहात के लोगों की जमीन तो एक्वायर कर ली जाती है, लेकिन उनको उस जमीन के बदले जमीन नहीं दी जाती है। न ही उनके लिए घर है। आपने जोर देकर कहा,

''दिल्ली शहर तो इतना बड़ा हो गया है, वह कुछ भाईयों को बेघर करके बसा है। मुझे दो चार दिन हुये एक आदमी जिसकी जमीन 1912 में व 1918 में उस वक्त ली गई थी और कहा था कि यह

लीज पर ली जा रही है तो उन्हें ही दी जाएगी। वह 15 रूपये एकड़ ली थी, लेकिन आज वह जमीन लीज पर है और किसी को दी जा रही है और वह बेघर हुआ फिरता है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 1 मई, 1961, पृष्ठ 14764)

दस वर्ष के अंतराल के बाद चौधरी साहब राज्य सभा के सदस्य चुने गए थे। अपितु, भूमि अधिग्रहण के विषय को नहीं भूले थे। पहला मौका मिलते ही भूमि अधिग्रहण पर बोले। उड़ीसा स्टेट एग्रीकल्चर (डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स) बिल 1973 पर बोले। वे न केवल हरियाणा व पंजाब अपितु भूमि सुधार पर सभी के लिए बोले थे :

''श्रीमान जी, हम इस बिल को पास करके और भूमि सुधार कानूनों को जल्द से जल्द लेकर कमेटी में पास करें। इसके अलावा हम पत्तों का भी राष्ट्रीयकरण कर दें। उड़ीसा के लिए सबसे जरूरी बात है कि वहां पर खेती की तरक्की के लिए, खेती की पैदावार की तरक्की के लिए बिजली सिंचाई व दूसरे साधन जुटाना भी बहुत आवश्यक है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 29 मार्च, 1973, पृष्ठ 117)

एप्रोप्रिएशन बिल नं. 3 वर्ष 1973 पर बहस में मारूति के कारखाने की जमीन का सवाल आया उसपर चौधरी साहब ने बताया कि हरियाणा सरकार को रियायत नहीं दी है। कहा कि,

''मारूति की वजह से हरियाणा सरकार की जमीन को 1500 रूपये एकड़ में ले रहे थे छिपे हाथों से, उस जमीन की कीमत साढ़े ग्यारह हजार रूपये एकड़ तक मिली है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), 22 अगस्त, 1973, पृष्ठ 252)

4 यमुना नदी विकास योजना

परिचय

कृषि विकास में सिंचाई की समुचित व्यवस्था एक प्रमुख जरूरत है जिसमें यमुना नदी की भूमिका अहम है। इसके महत्व को समझते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने अपने संसदीय जीवन के आरम्भ में ही इस सवाल को उठाना शुरु कर दिया था।

यूं तो हरियाणा में वर्ष 1894 से ताजेवाला के स्थान से वैस्टर्न जमुना कनाल का 13000 क्यूसिक पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध रहा है, जो काफी नहीं है। यह पानी करनाल, हिसार, रोहतक व दिल्ली को दिया जाता है। चाहे बहुत अरसे पहले से यमुना तथा इसकी सहायक नदियों पर बांध बनाने की योजना का जिक्र होता रहा है, अपितु दक्षिणी हरियाणा तो पानी मिलने से आज तक वंचित रहा है। फिर भी बाकी पानी को हरियाणा प्रान्त के लिए प्राप्त करवाने के लिए यमुना बेसिन के विकास की किसी योजना पर भी अभी तक भी काम चालू नहीं किया गया है। इसके अनेक कारण रहे हैं।

देश के स्वतंत्र होते ही सर्वप्रथम चौधरी रणबीर सिंह ने वर्ष 1948 में ही संविधान सभा में यमुना घाटी के विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और निवेदन किया था कि 'यमुना घाटी संस्था' जैसा एक बिल पास कीजिए। यह नहीं हुआ। उन्होंने यमुना पर किशाऊ बांध योजना के विषय में आखिरी दम तक जोर देकर कहा था, अपितु

अभी तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और आज तक भी किशाऊ डैम बनाने के विषय में चर्चा जारी है।

चौधरी रणबीर सिंह ने पंजाब सरकार में सिंचाई मंत्री रहते हुए वर्ष 1963 में किशाऊ डैम योजना तैयार कराकर भारत सरकार को भेजी थी, जिसकी मंजूरी कहीं अटक कर रह गई। इस परियोजना का सीधा लाभ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को तो होना ही था, अपितु, इनके साथ ही राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को भी होना था। पाँच प्रान्तों के नुमायन्दों का विकास के बारे में एक एग्रीमेंट हुआ था, जो इसी अध्याय में वर्णित है।

अतः चौधरी रणबीर सिंह ने अपने समय में यमुना घाटी की विकास परियोजना को सिरे चढाने के लिए जोर शोर से प्रयास किए। यह सब रिकार्ड की बात है। जनमानस को इन सबके बारे में कम जानकारी है। इसलिए इस अध्याय में उक्त सवाल को लिया गया है।

यमुना नदी विकास योजना

यमुना नदी यमुनोत्तरी से चलकर हरियाणा में हथिनी कुण्ड के स्थान पर प्रवेश करती है। यहां तक 171 किलोमीटर का रास्ता तय हो जाता है। लेकिन, जल की धारा स्वच्छ रहती है। वैसे तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। अपितु, आगे यमुना जल उतना स्वच्छ नहीं रह पाता, जितना कि हथिनी कुण्ड तक रहता है। इस बात की चिंता पिछली शताब्दी के अंतिम दशक तथा इस शताब्दी के प्रथम दशक में सरकार को सताने लगी है। सरकार इस सिलसिले में अब प्रयत्नशील भी है। यूं तो इस सफाई का सर्वाधिक और सीधा लाभ केन्द्रीय राजधानी को मिलने वाला है। क्योंकि राजधानी में पीने के पानी के संकट को यमुना नदी द्वारा ही कम किया जाता है। चाहे वह वैस्टर्न यमुना कनाल द्वारा ही प्राप्त होता हो।

इसी सिलसिले में वर्ष 1997 ईस्वी से लेकर यमुना नदी की सफाई के लिए तथा इसे प्रदूषण मुक्त करने के लिए तीन फेस का कार्यक्रम सम्पन्न हो चुका है। जिस काम पर अभी तक 850 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं। कहना न होगा कि यमुना नदी उतनी ही मैली है, जितनी इस कार्यक्रम से पहले थी। पानी उतना ही जहरीला है, जितना पहले था। काम की ढ़ीली रफ्तार को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय को भी इसमें दखलअन्दाजी करनी पड़ी।

यमुना नदी की धारा को स्वच्छ करने के लिए सरकार ने अरबों रूपये खर्च किये। लेकिन, रहे वही ढ़ाक के तीन पात। यूं तो अब कुछ

संगठन भी प्रयासरत हैं। लेकिन, यह सब नाकाफी है। कहने को तो यमुना एक्शन प्लान पर भी काम हुआ, जो 1993 से लेकर वर्ष 2003 तक चला। गन्दे जल की सफाई के लिए 75.3 करोड़ लीटर के जलशोधन प्लान्ट लगाए गए। इस एक्शन प्लान की अनुमानित लागत 1956 करोड़ रूपये रही।

यमुना नदी की धारा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए विभिन्न सरकारों और जनता को एकजुट होना पड़ेगा। ऐसा तभी होगा, जब हमारे अंतस में यमुना नदी की मान्यता उसी तरह बनी रहे, जैसे कि पिछली शताब्दी में थी। हम इसे यमुना मैया माना करते थे। हर महीने दूर–दूर से स्नान करने इस पवित्र नदी में आते थे। देखा जाए तो क्या आज कोई दिल्ली के स्थान पर यमुना नदी में स्नान करके पवित्र होता है? क्योंकि न तो वहां पवित्रता है और न ही वह साफ सुथरे घाट रहे। मथुरा के स्थान पर भी यमुना नदी के पानी को पवित्र माना जाता था। क्या आज कोई व्यक्ति उसे दिल से 'यमुना मैया' कहता है? नहीं।

न केवल धार्मिक दृष्टि से, अपितु सिंचाई की उपयोगिता के लिए यमुना नदी का अपना ही स्थान है। यमुना घाटी के पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग करने के लिए पहले की तरह ही आजकल एक मुहिम चली हुई , जिस पर एक पंथ दो काज वाली कहावत चरितार्थ होती है : 'आम के आम और गुठलियों के दाम'।

इसीलिए, हरियाणा के दक्षिणी भाग में नहरी पानी की कमी को जो बहुत दिनों से है, उसको पूरा करने के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। इसका एक कारण तो यह है कि सतलुज यमुना नहर से हरियाणा के हिस्से का पानी अभी तक नहीं मिला है। दूसरा मुख्य कारण है कि सरकारों ने यमुना नदी के पानी का किशाऊ बांध (टोंज

नदी पर, जो यमुना नदी की सहायक नदी है), लखवार बांध (यमुना नदी पर) और रेणुका बांध (गिरी नदी पर, जोकि यमुना की सहायक नदी है) बनाकर पानी का सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाए।

यद्यपि हाल ही में दिल्ली सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से गिरी नदी पर, रेणुका बांध पर 40 मेगावाट का बिजली घर और 760 क्यूसिक पानी का प्रयोग करने बारे बांध बनाने का करार किया है। लेकिन, इस प्रोजैक्ट को अभी तक पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी नहीं मिली है। यमुना नदी में 10 एमएएफ पानी वर्षभर चलता है, जिसका 4.5 एमएएफ का प्रयोग किया जा रहा है। बाकी 5.50 एमएएफ नदी में यूं ही बहता है और कई बार भीषण बाढ़ लाने का कारण बन जाता है। अकेली यमुना नदी में 7 लाख क्यूसिक पानी ताजेवाला के स्थान पर बहता है। यदि तीनों बांध, किशाऊ, रेणुका तथा लखवार बना दिए गये होते तो बिजली और पानी की कमी को पूरा किया गया होता। (गुड़गांव सिटीजन कांऊंसिल (रजि.) द्वारा प्रकाशित पम्पलेट, दिनांक 26.05.2012)

कहना न होगा कि ताजेवाला से निकलने वाली वैस्टर्न जमुना नहर, जोकि वर्ष 1894 में बनी थी, हरियाणा के लिए जीवनदायिनी रही है। इस नहर से वर्षभर 13000 क्यूसिक पानी बहता है। लेकिन, सर्दियों में मुश्किल से 2000 क्यूसिक पानी रह जाता है। यदि तीनों बांध बन जाते तो 3000 क्यूसिक पानी और प्राप्त हो जाता।

यूं तो वर्ष 1993 में भारत सरकार ने हरियाणा, यू.पी. और दिल्ली तीनों प्रान्तों के पानी के हिस्से को तय कर रखा है। इन तीनों बांधों को बनाने का खर्च 12000 करोड़ रूपये आने का अनुमान है।

आज के सन्दर्भ में यमुना नदी के विकास, सफाई तथा प्रदूषण मुक्त और सिंचाई के लिए हम सोच विचार कर रहे हैं। चौधरी रणबीर

सिंह ने यह सब बातें बहुत पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर उठाई थीं। उनकी दूरदर्शिता को दाद देनी पड़ेगी। मौका मिलते ही पहली बार फरवरी, 1948 में भाखड़ा यमुना घाटी निगम की स्थापना पर बहस में भाग लेते हुए याद दिलाया था कि पीछे अंग्रेज के राज में युनिनिस्ट पार्टी 10–15 साल से भाखड़ा डैम का नाम लेकर वोट हासिल करती हैं और भाखड़ा नहर का नारा लगाकर लोगों को बहका रखा है। आपने कहा था कि :

''मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह विरोधी दल को अवसर न दें कि कांग्रेस सिर्फ इलैक्शन में राय लेने के लिए ही यह स्टंट खड़ा कर रही है। बल्कि वह इसको जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में परिणित करेंगे।''

(संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 18 फरवरी, 1948, पृष्ट 114)

उसी दिन बहस में आगे चलकर उन्होंने 'दिये तले अंधेरा' वाली कहावत का हवाला दिया और जोर दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ध्यान दिलाया कि देश बदला है। गुलामी से आजाद हुए हैं। लेकिन आज भी दीपक तले अंधेरा दिखता है। कहा कि :

''जैसे दामोदर वैली की हालत है, वैसी ही हालत यमुना घाटी की है। जहां हम बैठे हैं, वहां से यमुना गुजरती थी। यहां से पांच मील के फासले पर वही हालत देखते हैं, जो शायद बिहार और बंगाल में देखी है। बहुत अधिक, बड़ी जमीन खाली पड़ी है, जहां पर अच्छे फूल व साग सब्जी तैयार हो सकते है। हर साल वहां पर बाढ़ आने के कारण किसानों को लाखों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है।''

(संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 18 फरवरी, 1948, पृष्ट 115)

इसी दिन बहस में उन्होंने बताया था कि यू.पी., पंजाब और दिल्ली प्रांतों को फायदा पहुंचाना है तो इस योजना को केन्द्र सरकार

चालू करे। आपने स्पष्ट शब्दों में जोर देकर कहा था कि :

''बगैर किसी विलंब के एक ऐसा बिल, जिसका नाम 'यमुना घाटी संस्था' होगा, जल्द से जल्द हमारे सामने लाएंगे... । जितना हम जल्द से जल्द इसे पारित करेंगे, किसानों को बहुत अच्छी हालत में देख पाएंगे।'' (संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 18 फरवरी, 1948, पृष्ट 115)

उन्होंने पुराने वर्षों की याद दिलाते हुए कहा था कि किशाऊ डैम टोंज नदी के ऊपर बनाया जाना था, जो यमुना की डिस्ट्रीव्युटरी है। उन्होंने याद दिलाया कि :

'डा. के. एल. राव कहते थे कि किशाऊ डैम, भाखड़ा डैम से ऊंचा होगा। वह 5 साल के अन्दर बन जाएगा। आज लगभग 9 साल हो गए हैं। मगर वहां पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 11 अगस्त, 1972, पृष्ठ 202)

चौधरी साहिब ने कहा मैंने डाक्टर राव को बताया था कि *जिस वक्त किशाऊ डैम बन जाएगा तो दिल्ली में भी यमुना बड़े इलाके में बहती नजर नहीं आएगी। वह कम इलाके में रहेगी। फिर बाकी जो जमीन बचेगी, वह अन्य कामों में लाई जा सकती है।''* (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 2 मई, 1973, पृष्ठ 256)

यू.पी. स्टेट लेजिस्लेचर (डेलीगेशन ऑफ पॉवर्स) बिल, 1973 पर बहस में यमुना नदी घाटी परियोजना के संबंध में आपने 50 वर्ष पहले की याद दिलाई थी और कहा था कि :

''आप जानते हैं कि बिजली का बड़ा भारी संकट है। बिजली पैदा हो सके इसमें आज से 49 साल पहले (यानि वर्ष 1924 में) डा. खोसला जब एसडीओ भर्ती हुए थे, उन्होंने किशाऊ डैम की योजना की जानकारी भी दी थी और उस वक्त रिपोर्ट दी थी। इसलिए यह चिंता का विषय है कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 8 अगस्त, 1973, पृष्ठ 182)

कहना न होगा कि तीनों स्टेट अपना–अपना हक समझती हैं। इस डैम के विषय में चौधरी साहब ने कटाक्ष से कहा था कि :

''आठ साल बीत गये उस वक्त डा. राव ने कहा था कि एक साल में रिपोर्ट ले आएंगे और 5 साल में हम इस डैम को बना देंगे और ये प्रदेश के लिए एक शोभा की चीज होगा और हम उनको बिजली भी दे सकेंगे। सभी स्टेटों का पानी–बिजली का हिस्सा तय किया गया था।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 8 अगस्त, 1973, पृष्ठ 184)

आप रूल 176 के अंतर्गत बहस में भाग लेते हुए बता रहे थे कि हमें पानी की जरूरत है। पीने और सिंचाई के लिए। आपने कहा था :

'जवाहर लाल नेहरू प्रोजेक्ट के अन्दर एक योजना बनाई और उस योजना के जरिए हम यमुना का पानी जिसको बहन चूड़ावत जी कह रही थी कि दरिया में जाकर बहता है और वह समुद्र में बह जाता है। उस बरसात के पानी को 400 फीट उठाकर सूखे खेतों में तो डालना चाहते हैं और उस योजना को एक साल में पूरा करना चाहते हैं तो आप 10–15 करोड़ रूपया, जितना हमें दे सकें, हमें दे दें। और ताकि काम हम टाईम पर कर सकें।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 26 नवम्बर, 1974, पृष्ठ 236)

आपने यमुना नदी के विकास के विषय में कहा था कि,

''इसके अलावा अब मैं कुछ अपने इलाके के बारे में भी कहना चाहता हूँ। दिल्ली के पास से एक नदी गुजरती है और जिसमें काफी पानी आता है, जिसका नाम यमुना है। कई दफा तो यह खतरा पैदा हो जाता है कि कहीं दिल्ली डूब न जाए। देश में कई बड़े–बड़े बांध बनवाये जा रहे हैं और कई सौ करोड़ रूपयों का उन पर खर्च होता है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 22 दिसम्बर, 1954, पृष्ठ 3770)

फरवरी, 1971 को हरियाणा विधानसभा में एनवल फायनांसिएल स्टेटमैंट ऑफ हरियाणा इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड पर डिस्कशन में भाग लेते हुए आपने बिजली के उत्पादन तथा वितरण के बारे में कहा था :

''वैस्टर्न यमुना कैनाल हाईडल स्कीम की मंजूरी के कागजात जोकि गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया के मुताबिक दफ्तरों में सफर करते रहे हैं, वे मेरे टाईम पर तय कर चुके थे। (जब पंजाब में मैं सिंचाई व बिजली मंत्री था)। आज उनको छह वर्ष हो गये हैं, परन्तु अभी तक उसके ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। इधर पंजाब के अन्दर एक नहर अपर बारी दोआबा कनाल है। इसके ऊपर काम शुरू हो गया है और वह बनने वाली है।''

इसी बहस में भाग लेते हुए आगे चलकर कहा था कि :

''अध्यक्ष महोदया, आप जानती हैं कि भाखड़ा डैम की जब योजना बनी, उस वक्त पंजाब के अन्दर चौधरी छोटूराम मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर दस्खत किए थे। जब वह बनना शुरू हुआ तो चौधरी लहरी सिंह मंत्री होते थे। वे भी रोहतक जिले के थे।

जब पूरा समय हुआ तो मैं मंत्री था। लेकिन, जबसे यहां गुड़गांव के मंत्री आए हैं तो यहां सवाल के जवाब में बताया जाता है कि रोहतक जिले के गाँव को बिजली नहीं दी जा सकती।'' (हरियाणा विधानसभा, 16 फरवरी, 1971, पृष्ठ (9) 130)

तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने चौधरी रणबीर सिंह को कहा था कि आपने किशाऊ डैम से मिलने वाले पानी में राजस्थान का हिस्सा मान लिया था। जब आप पंजाब में सिंचाई मंत्री थे। यह बात हरियाणा विधानसभा में 5 अगस्त, 1971 को कही थी। इस बात को लेकर उन्हें दुःख हुआ और आपने अपनी बात इस प्रकार कही थी :

''अध्यक्षा महोदय, पहली बात जो इन्होंने कही कि आज पानी का सिलसिला कहां है? उन्होंने कहा है कि आज पानी की कमी इसलिए हो गई है कि क्योंकि जो जमुना के ऊपर किशाऊ डैम बनाना था, उसके अन्दर मैनें राजस्थान का हिस्सा मान लिया था। मुझको समझ तब आती कि मुख्यमंत्री किशाऊ डैम बनवा देते और उसके बाद मुझपर यह इल्जाम लगाते। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। यमुना का जहां किशाऊ डैम बनना है, उसके बारे में बताता हूँ। लगभग 1924 के अन्दर हरियाणा के महान पुरूष चौधरी छोटूराम इक्कठे पंजाब के इरीगेशन और पीडब्लूडी के वजीर होते थे। उस समय उन्होंने खोसला साहब को सैन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन के चेयरमैन और बाद में उड़ीसा के राज्यपाल भी बने। उनको पंजाब की तरफ से भेजा था। यह देखो कि यमुना के ऊपर कोई डैम बन सकता है कि नहीं। उन्होंने यह स्थान देखा, जहां अब किशाऊ डैम बनाया जाना है। उन्होंने राय दी थी कि यह स्थान डैम बनाने के लिए भाखड़ा से भी बढ़िया है। चालीस साल के बाद मैंने भी वह स्थान देखा, जो पहाड़ के ऊपर खोदा हुआ स्थान है। यमुना के ऊपर जो डैम बनेगा, वह भाखड़ा से ऊंचा बनेगा''

इसी बहस को जारी रखते हुए आगे कहा था कि :

''इस बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी और देना चाहता हूँ ताकि उन सदस्यों को भी पता चल जाए, जिनको पूरी जानकारी नहीं है। बरसात के बाद एक तिहाई पानी जमुना की डिस्ट्रीब्यूटरी में आता है, जिसका नाम टोंज है और उनकी राय के मुताबिक जमुना में जो मैन रीवर है, उसके ऊपर डैम नहीं बन सकता। टोंज डिस्ट्रीब्यूटरी, जिसमें वर्षा ऋतु के बाद यमुना का दो तिहाई पानी बहता है, उसके ऊपर बन सकता है। उसके बाद इस सिलसिले में एक कांफ्रेस बुलाई गई। उस कांफ्रेस में जितने मंत्रियों का नाम लिया गया, उनको हिन्दुस्तान के केन्द्रीय मंत्री ने बुलाया था। राजस्थान के मंत्री के भी दस्तखत हुए और मैंने भी दस्तखत किए।''

''इन्होंने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया है, इसकी असली वजह यही है कि मैंने दस्तखत किए हैं। अब उसके मुताबिक पानी का कोई बटवारा नहीं किया गया। केवल डैम बनाने का जिक्र किया गया था। गुड़गांव नहर का भी जिक्र किया गया है। गुड़गांवा नहर की जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट है, वह मेरे से पहले हिन्दुस्तान की सरकार को भेज दी गई थी। इस प्रोजेक्ट के ऊपर राजस्थान की सरकार को हिस्सेदारी उस पानी में दे दी गई थी।''

(हरियाणा विधानसभा, 5 अगस्त, 1971, पृष्ठ (4) 39)

इसी सिलसिले में आपने आगे चलकर कहा था कि :

''अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने मेरे खिलाफ इल्जाम लगाया कि मैंने राजस्थान को किशाऊ डैम में हिस्सेदार करवाया था। यह बात गलत है। राजस्थान का हिस्सा उस वक्त शामिल हो गया था, जब गुड़गांवा कैनाल प्रोजेक्ट के अन्दर उनका हिस्सा मान लिया गया

था और यह बात मुझसे पहले पीरियड में हो चुकी थी। उसके बाद केन्द्रीय मंत्री ने यह यकीन दिलाया था कि यह 5 साल के अन्दर पूरा हो जाएगा, लेकिन आज 7 साल बीत गए हैं और सवा तीन साल मुख्यमंत्री साहब को भी हरियाणा सरकार की गद्दी पर बैठे हो गये हैं, मगर उस प्रोजेक्ट की इस वक्त तक एक ईंट भी नहीं रखी गई है। (शेम शेम की आवाज)। मैनें एक फैसला हरियाणा के हक में करवाया था, वहां डैम बनवा दीजिए। अभी तक डैम बना नहीं तो पानी का बंटवारा कैसे हो गया? यह इल्जाम आपने मेरे ऊपर लगाने की कोशिश की गई है, सरासर गलत है।'' (हरियाणा विधानसभा, 5 अगस्त, 1971, पृष्ठ (4) 40)

दी एनवल एडमिनिस्ट्रेटीव एण्ड दी थर्ड एनवल स्टेटमैंट ऑफ अकाऊंटस ऑफ दी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रीसीटी बोर्ड फॉर द ईयर 1969–70 की बहस में हिस्सा लेते हुए आपने किशाऊ डैम के बारे में कहा था कि :

''किशाऊ डैम, जिसके बारे में बड़े भारी गीत गाए जाते हैं, उसके विषय में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ।....किशाऊ डैम बनाना है, जिससे बिजली पैदा होगी। परन्तु यहां चर्चा किसी और चीज की कर दी जाती है। उपाध्यक्ष महोदया, पंडित रामधारी गौड़ ने इस बात को कहा था या नहीं, परन्तु मुझे मालूम है कि यमुना पर जहां ताजेवाला है, वहां रैगुलेटर बना है। जहां से इस्टर्न कैनाल यू.पी. को जाती है और वैस्टर्न जमुना कनाल हमारे यहां आती है। वहां से दरिया पर बहुत सारी बिजली यू.पी. सरकार ने पैदा करनी आरम्भ कर दी है। क्या इस सरकार ने इसकी कभी जानकारी दी कि इसमें हमारा भी हिस्सा है और हमें मिलना चाहिए? उपाध्यक्ष महोदया, जिन्होंने झण्डी लगा ली, जिन्होंने जय के नारे लगवाने शुरू कर दिए, उनको तो गाली तो मिलेगी ही, झण्डियां तो बंसीलाल जी ने लगाई हैं और

गालियां औरों को मिलेंगी?'' (हरियाणा विधानसभा, 5 अगस्त, 1971, पृष्ठ (4) 119)

वर्ष 1986 में चौधरी साहब ने नेहरू मैमोरियल संग्राहलय के लिए साक्षात्कार देते हुए इस योजना के विषय में दुःखी मन से कहा था,

''यमुना के ऊपर डैम नहीं बना है। क्योंकि इधर लखनऊ का राज है और उधर इलाहाबाद का राज है। उन्हें यमुना से क्या मतलब? यमुना डैम, जिसका 1924 में एस्टीमेट हुआ था, आज तक नहीं बना। 63 साल हो गये हैं। अब अगर अलहदा होता तो यमुना डैम पहले बना होता, भाखड़ा बांध बाद में आता। यमुना डैम भाखड़ा से ऊंचा बनता।'' (साक्षात्कार, नेहरू मैमोरियल संग्राहलय, पृष्ठ 66।)

स्टेटमैंट यमुना डेवलपमैंट

यह सर्वसम्मति से माना जाता है :–

1. जमुना नदी के अन्दर आगे आने वाला पानी राष्ट्र के हित में खर्चा जाएगा।

2. यह सबसे अच्छा है कि टोंज नदी तथा गिरी नदी पर जलाल डिस्ट्रीब्यूटरी पर जब जरूरी हो तो बांध बनाया जाए।

3. इस विषय में प्रारंभिक कार्यवाही टोंज नदी पर उत्तर प्रदेश के इंजीनियर करेंगे। यदि चाहें तो हिमाचल प्रदेश के इंजीनियरों को भी साथ लिया जा सकता है।

4. गिरी डैम की जांच पड़ताल व कार्यवाही हिमाचल प्रदेश के इंजीनियर करेंगे।

5. किशाऊ डैम का खर्चा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, देहली, राजस्थान सबने साझा करना माना है। यह प्रोजेक्ट शीघ्रातिशीघ्र

शुरू कर किया जाये।

6. इस डैम का फायदा सभी स्टेटस के बीच बांटा जाएगा जो बाद में एक कांफ्रेस में तय होगा। लागत का रूपया जो पानी व बिजली पैदा करने का होगा, वह भी बांट लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सिंचाई व बिजली प्रोजेक्टस विकसित करेंगे।

7. जब गिरी डैम बन जायेगा, तब उपलब्ध सिंचाई के साधनों को विशेष तौरपर बना लिया जायेगा, शायद उस समय एक पौंड की आवश्यकता पड़े। यदि संभव हुआ तो ताजेवाला ब्राज को मोडीफाई किया जाए और उसके ऊपर एक बैराज बना दिया जाये। यह छानबीन पंजाब प्रान्त करेगा।

8. लखवार अथवा यमुना नगर और उसके ऊपर अगर स्टोरेज रिजर्ववायर चाहिये तो उत्तर प्रदेश सरकार छानबीन करेगी।

हस्ताक्षर

रणबीर सिंह
शांतिस्वरूप
वाई. एस. परमार
गिरधारी लाल
नाथूराम

(नोट : उपरोक्त अनुवाद केवल सांकेतिक अनुवाद है, न कि अक्षरशः। इसका मूल अंग्रेजी भाषा में है, जोकि अगले पृष्ठ पर दिया गया है।)

मूल अंग्रेजी भाषा में ड्राफ्ट

Statement

YAMUNA DEVELOPMENT

It was unanimously agreed that :

Further waters available in Yamuna in excess of the existing utilisations, should also be exploited in the best national interest.

For this purpose, it is considered best to contruct a dam across Tons and another across Giri above confluence and if necessary its tributary Jalal.

Investigations and preparation of the Project Reports and estimates for purpose of sanction and construction of the dam across Tons will be done by the Uttar Pradesh engineers. They may also associate the officers of the Himachal Pradesh.

Investigations and preparation of the Project Reports of the dam onGiri will be done by Himachal Pradesh.

The States of Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Delhi and Rajasthan, have agreed, by common consent, to share the cost and benefits of Kishau Dam. The States also requested that this dam should be taken up immediately and completed as early as possible.

The benefits on account of the Kishau Dam, will be shared between the States, as will be agreed to at a latter conference.

The cost of the share will be worked out according the benefits. The share will be in respect of water and in respect of the power produced at the Kishau Dam site only. For the other power developments in Uttar Pradesh State, the cost will be borne by Uttar Pradesh, Himachal Pradesh can develop Irrigation and Power development projects upstream of the dam unaffected by the latter.

For effctive supply of water for existing irirgations, it will become necessary to take suitable special measures when Giri Dam also is built. This may require a balancing pond either by modifications of the barrage at Tajewala, if possible, of a barrage higher up. These investigations may be done by Punjab.

At Lakhwar or at a higher site across main Yamuna investigations may be done by Uttar Pradesh if any storage reservior and any conservation on the main river is possible including silt studies.

Sd/- Ranbir Singh

S/- Shanti Swaroop

Sd/- Y.S. Parmar

Sd/- Girdhari Lal

Sd/- Nathu Ram

प्रस्तावित बांधों का अनुमानित रेखाचित्र

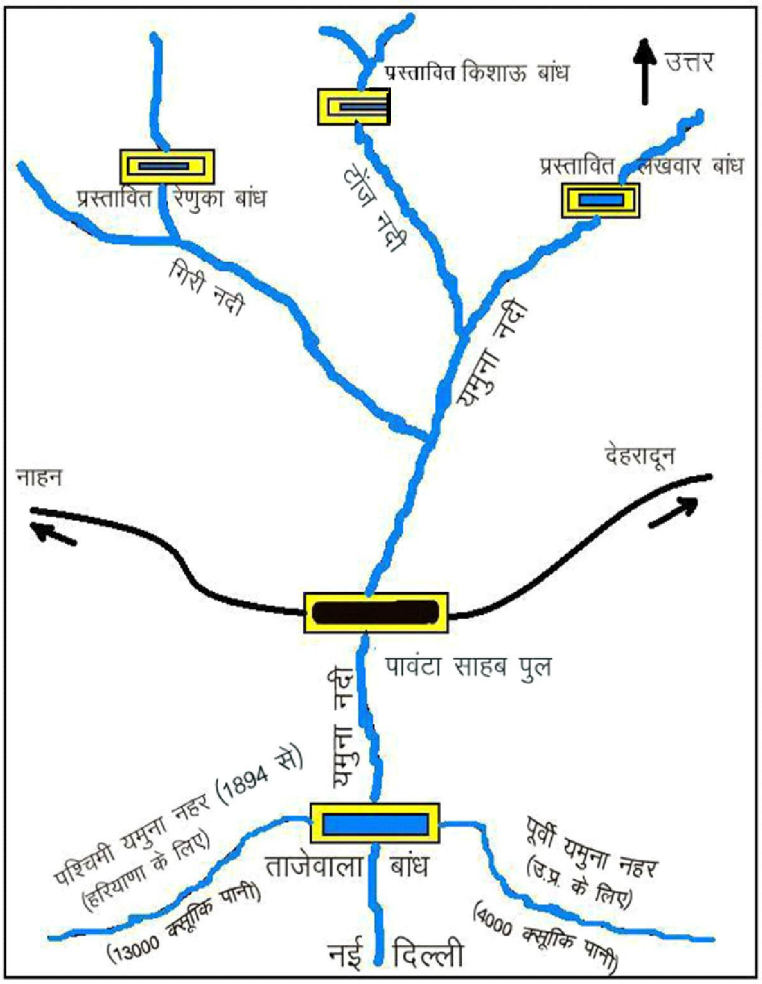

5 भाखड़ा बांध

परिचय

भाखड़ा डैम की स्कीम का शुभारंभ तो वर्ष 1924 ईस्वी से माना जाता है। इस कार्य को सिरे चढ़ाने के लिए उस समय की सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत यह प्रोजेक्ट पंजाब सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भाखड़ा डैम के प्रोजेक्ट को पंजाब प्रान्त के नवनिर्मित तीर्थ स्थानों का दर्जा दिया गया था। इस प्रोजेक्ट को यूं तो पिछली शताब्दी के तीसरे दशक में शुरू किया गया था। फिर दूसरा विश्वयुद्ध शुरू हो गया और सन् 1945 में इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए गये थे तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के फौरन बाद इसे आरंभ कर दिया गया था और इस पर रात–दिन काम चला। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दी गई थी और राष्ट्रीय सम्मान का प्रश्न बनाकर पूरा किया गया था।

भाखड़ा बांध को बनाते समय यह संयोग की बात है कि इस योजना को फाईनल करते समय भी रोहतक के ही रहने वाले चौधरी छोटूराम ने हस्ताक्षर किए थे और इसकी जब भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नींव रखी गई तब भी रोहतक के ही सपूत चौधरी लहरी सिंह इस विभाग के मंत्री थे और जब इसका राष्ट्र को समर्पण हुआ तब भी 22 अक्तूबर, 1963 को रोहतक के वीर सपूत चौधरी रणबीर सिंह, सिंचाई

मंत्री के पद पर आसीन थे। रोहतक निवासियों के लिए तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। आजकल इसका संचालन भाखड़ा–ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए आगे अध्याय पढ़िए।

भाखडा बांध का कृषि विकास के क्षेत्र में बड़ा महत्व है। चौधरी रणबीर सिंह ने अपने ससंदीय जीवन के आरम्भ में ही समझ लिया था और विभिन्न सदनों में बोलते हुए इसको जल्दी पूरने पर बल दिया। इसका विवरण इस अध्याय में संकलित किया गया है।

भाखड़ा बांध

चौधरी रणबीर सिंह ने भाखड़ा बांध का जिक्र बचपन में ही सुन लिया था। उन्हीं के शब्दों में :

''अध्यक्ष महोदय, भाखड़ा डैम का नाम हमने तब से सुनना शुरू किया था, जबकि हम छोटे–छोटे बच्चे थे और जैसे तैसे बड़े होते गये, त्यों–त्यों उसका नाम और जिक्र भी बढ़ता गया। और जब देश आजाद हुआ तो भाखड़ा डैम बनने का स्वप्न कुछ पूरा होता दिखाई देने लगा और यह आशा होने लगी कि जिस बात को आज तक हम सुनते आए हैं, वह अमल में आएगी।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 10 सितम्बर, 1959, पृष्ठ 7603।)

इसलिए वे भाखड़ा बांध को पूरा होता देखना चाहते थे। भाखड़ा से संबंधित दस्तावेजों में राय बहादुर कंवर सेन जो टोहाना (फतेहाबाद) के रहने वाले थे, का नाम भी जुड़ा हुआ है। संभवतः मेन भाखड़ा का समापन भी इसीलिए टोहाना में ही हुआ है। यूं तो 1939 में भाखड़ा बांध का काम जल्दी सिरे चढ़ाने के लिए श्री खोसला को इस परियोजना का काम सौंप दिया गया था तथा उन्हें चीफ इंजीनियर भी बना दिया गया था।

यदि आप आरम्भ से देखेंगे तो आपको प्रारंभिक दिनों की बात याद करनी होगी। जब भाखड़ा डैम का नाम शुरू हुआ था तो उस वक्त इसके मुताबिक (1947 से पूर्व का) पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल

में चर्चा हुई थी और बहस हुई थी। उसको अगर पढ़ा जाये तो आप पायेंगे कि उस वक्त यह माना था कि पंजाब का जनूबी (दक्षिणी) हिस्सा, जिसको उन दिनों हिन्दी रीजन कहते थे और जो दूसरा सूखा इलाका था, उसको सिंचाई करने के लिए सतलुज के अन्दर एक डैम बनाया जाएगा, ताकि उस इलाके को खुशहाल बनाया जा सके। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि डैमोक्रेटिक सिस्टम के अन्दर कई किस्म के दबाव पड़ते हैं और जो वह दबाव यहां पर भी पड़ने शुरू हो गये, उस डैम की ऊंचाई को भी बदला और दूसरे इलाके सिंचाई करने वाले डैम पर विचार भी किया गया। वह भी केवल एक तिहाई पानी ही रह गया था। बाकी दो हिस्से का पानी पंजाब के दूसरे इलाकों को दिया गया।

भारत जब गणतंत्र बन गया और प्रथम संसद का अधिवेशन आरंभ हुआ तो कायदे के अनुसार प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने संबोधित किया था।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के उपरांत बहस में भाग लेते हुए चौधरी साहब ने बताया था कि पिछले दिनों भाखड़ा डैम के बारे में पंजाब गर्वनमेंट के अधिकारी और मंत्री यहां पर (दिल्ली) आए थे और उन्होंने चौदह करोड़ रूपये मांगे थे। नहीं तो बांध की तरक्की में बाधा पड़ेगी और तेजी से नहीं बन पाएगा, जिस तेजी से बनाना चाहते हैं। यदि देरी हुई तो इनफ्लेशन तो बढ़ेगा ही, भाखड़ा बांध भी देरी से बनेगा और पानी जल्दी नहीं आएगा और आपके अनाज की कमी की समस्या जल्दी दूर नहीं होगी, जिससे आपने 133–140 करोड़ रूपये सालाना बचाये जा सकेंगे। जिस पैसे को दूसरे उद्योगों में लगा सकेंगे। (अन्तरिम संसद (1950–52) में भाषण, 1 फरवरी, 1950, पृष्ठ 75।)

मार्च, 1955 में डिमाण्ड ड्राफ्ट की बहस में भाग लेते हुए उन्होंने

भाखड़ा बांध का जिक्र किया था कि देश की तरक्की की राह में कांटे हैं और भारत के अर्थशास्त्रियों की समझ पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था, ''मुझे वह जमाना याद है कि जब हमारे भाखड़ा बांध के काम को इसलिए रोक दिया गया था कि हिन्दुस्तान के अर्थविज्ञान के जानने वालों की राय थी कि अगर रूपया बढ़ाया गया तो देश के अन्दर तबाही आ जाएगी। मेरी समझ में यह नहीं आता कि भाखड़ा डैम के बनने से तबाही आएगी, कि तरक्की होगी?'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 24 मार्च, 1955, पृष्ठ 3217)

आप हमेशा बहबूदी के लिए बोलते थे। भाखड़ा प्रोजेक्ट पर काम जोरों से चालू था तो लोकसभा में डिमाण्ड फोर ग्रान्ट के विषय पर चर्चा में भाग लेते हुए आपने भाखड़ा के सवाल को नहीं छोड़ा था और कहा था कि,

''आपके और हमारे इलाके में भाखड़ा नंगल स्कीम तकरीबन मुक्कमल होने वाली है। आप जानते हैं कि यह सतलुज नदी का पानी बहुत से शहरों और गाँव को तबाह किया करता था, लेकिन जो भाखड़ा नंगल डैम बना है, उससे बहुत से शहर व गाँव तबाही से बचेंगे और वो लोग भी बचेंगे, जोकि मुल्क की जमीन से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। ऐसी हालत में ये तमाम का तमाम रूपया आखिर में बैटरमैंट फीस की शक्ल में किसानों से ही क्यों लिया जाए, उसका कुछ हिस्सा फलड कंट्रोल या किसी दूसरे नाम से ले लेवें? बैटरमैंट फीस किसानों की है। इसलिए लाभ के अनुपात से लाई जानी चाहिए। '' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 24 मार्च, 1955, पृष्ठ 3217)

वर्ष 1956 में स्टेट रीआर्गेनाइजेशन कमीशन बना था, जिसके लिए स्टेट रीआर्गेनाईजेशन बिल, 1956 पास किया गया था। इस सिलसिले में आपने हरियाणा के उन पिछड़े जिलों के पानी के विषय

में भाखड़ा डैम का जिक्र किया था और कहा था :

''सभापति महोदय, आपको पता है कि भाखड़ा *डैम जिसका कि आज दुनिया के अन्दर बड़ा शोर है, मैं पूछता हूँ कि यह शुरू में जो भाखड़ा डैम की जो स्कीम थी वह किसकी भलाई के लिए निकाली गई थी और आज उसकी क्या शक्ल है? क्या यह सत्य नहीं है कि तमाम का तमाम पानी हरियाणा के इलाकों को देने के लिए इस स्कीम का जन्म हुआ था। लेकिन, आज हम देख रहे हैं कि करीब आधा पानी हरियाणा के इलाके से बाहर जायेगा। आखिर इसका क्या कारण है? इसका कारण साफ यह मालूम पड़ता है कि क्योंकि हमारे इलाके के लोग सदा से दबे रहे हैं और उनकी कोई आवाज नहीं थी और उनकी बात को कोई सुनने को तैयार नहीं था। इसलिए यह चीज की गई।''*
(संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 25 अप्रैल, 1956, पृष्ठ 6406)

शूगर एक्सपोर्ट कोरपोरेशन आर्डिनेंस एण्ड शुगर इम्पोर्ट प्रोमोशन बिल पर संसद में बहस में भाग लेते हुए भाखड़ा बांध की अहमियत के विषय में कहा था :

''अकेले भाखड़ा डैम पर सिंचाई बढ़ाने के लिए 120 करोड़ रूपया लग जाएगा। कुदरत की बात है कि आप खेत में जितना लगाना चाहें लगा लें, उतना ही उसके मुताबिक आपको मिलेगा।''
(संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 26 अगस्त, 1958, पृष्ठ 3010)

जहां पर कभी भाखड़ा डैम का जिक्र आता था तो चौधरी साहिब चूकते नहीं थे। उन्होंने विदेश के खर्चे बारे चिंता थी। देश में चल रहे प्रोजेक्ट भी धीमी चाल से चल रहे थे। इसलिए लोकसभा में भाषण देते समय कहा था :

''इस देश के अन्दर सबसे बड़ा काम आप जानते हैं कि हमारी स्टेट (पंजाब) में हो रहा था। एक प्रोजेक्ट है, जिसका नाम

भाखड़ा डैम है, वह 140 करोड़ से शुरू हुआ था और अब 170 करोड़ तक पहुंच गया है। इसी प्रकार से प्रोजेक्टों के खर्चे दुगने तक हो जाते हैं।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62) 24 नवम्बर, 1958, पृष्ठ 1325)

स्पलीमैंटरी मांगों के विषय में बहस में भाग लेते हुए खर्चे के विषय में चिंतित चौधरी साहब ने संसद में सवाल उठाया था कि अधिक खर्चे की मांग की गई है। आपने कहा था :

''मुझे डिमाण्ड नं. 69 व 70 के बारे में कुछ अर्ज करना है। इस डिमाण्ड में सतलुज व्यास और रावी के पानी के इंतजाम के सिलसिले में जो डेलीगेशन गए हैं, उनके खर्चे की मांग की गई है। क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है। इसलिए यह हालत है कि अगर पंजाब को इन नदियों के पानी के बंटवारे के बारे में कुछ नुकसान होने की भी संभावना हो तो भी वह इसको प्रकट करने से डरता है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62) 23 फरवरी, 1959, पृष्ठ 2491)

खर्चे के विषय को ही आगे बढ़ाते हुए आपने सुझाव दिया जोकि आम जनता की जानकारी हेतु था। आपने इस प्रकार कहा था :

''केन्द्रीय सरकार की मिनिस्टरी ऑफ इरीगेशन एण्ड पावर ने एक पम्फलेट छपवाना चाहिए, जिसमें नहरी पानी के आने की सारी कहानी लिखी हो और सारे वाक्यात दर्ज हों। जिसमें बताया जाये कि किस तरह से पहले पाकिस्तान के पंजाब में और हिन्दुस्तान के पंजाब के बीच में इस बारे में फैसला हुआ था, वह क्या था और इसके बाद वर्ल्ड बैंक के इस झगड़े के बीच में आने के बाद क्या हुआ और अब क्या पोजीशन है?'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 23 फरवरी, 1959, पृष्ठ 2492)

आगे चलकर आपने भाखड़ा डैम के पानी के बंटवारे के बारे में बड़े व्यथित हृदय से कहा था कि :

''मुझे यह देखकर बड़ा दुख होता है कि दिल्ली से हुक्म चलता है कि भाखड़ा बांध में जो पानी इक्कठा किया गया है, उसको सतलुज में पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए डाल दिया जाये, चाहे (अपने) पंजाब की नहरों के लिए पानी काफी हो या न हो? इसकी वजह यह है कि इधर–उधर से इंटरनेशनल दबाव पड़ते हैं। हाल ही में जो फैसला हुआ, उसके तहत इन तीनों दरियाओं का पानी हिन्दुस्तान को मिलना था। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जहां खड़े हैं, वहीं खड़े रह जायें और उसके बाद जब पाकिस्तान वाले उस समझौते से बैक कर गए, उसके बाद ही हमें तरक्की करने से कई दफा रोका जाता है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 23 फरवरी, 1959, पृष्ठ 2492)

आपने संसद के इसी सत्र में फिर से मांग की कि जनता को सूचित किया जाना चाहिए पम्पलेट छपवाकर –पैसों के बंदोबस्त बारे सूचित किया जाए, ताकि पंजाब सरकार व्यास, रावी और सतलुज के पानी का इंतजाम कर सके। आपने बताया :

''आप जानते हैं कि पाकिस्तान सरकार कश्मीर वगैरह दूसरे झगड़ों में अदलती–बदलती रहती है। इसी तरह से पानी के झगड़े में भी अदलती बदलती रहती है। जितना जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा रूपया दिला सकेंगे, उतना ही जल्दी हम इस मसले का हल करा सकेंगे।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 23 फरवरी, 1959, पृष्ठ 2492)

रेलवे बजट की डिमाण्डस फोर ग्रान्टस 1959 की बाबत चल रही बहस में उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपने खर्चा कम करने

के लिए भाखड़ा के दूसरे पॉवर हाऊस की याद दिलाई थी और कहा था कि, '

'इसके लिए मैं यह भी मानता हूँ कि जो भाखड़ा डैम का जो दूसरा पॉवर हाऊस है, उसका बनना बहुत जरूरी है। उसका जल्दी से जल्दी बनना रेलवे के हित की बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि श्री जगजीवन राम खास तौरपर प्लानिंग कमीशन को मनावें कि भाखड़ा डैम का जो दूसरा पॉवर हाऊस है, वह सैकिण्ड फाईव ईयर प्लान में ही बने।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 5 मार्च 1959, पृष्ठ 4537)

डिमाण्ड फोर ग्रांट पर बहस के दौरान भाखड़ा को पूरा होने के दिनों में आपने कहा था :

''आप जानते हैं कि यह साल इस तरह से पंजाब के इतिहास में एक बहुत अहम साल होगा, जोकि आज से 14–15 साल पहले 1946 में जो काम शुरू किया गया था, भाखड़ा डैम का वह 1961 में मुकम्मल हो जाएगा। दिसम्बर, 1960 तक भाखड़ा डैम के ऊपर 152 करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च हो चुका है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 30 मार्च, 1961, पृष्ठ 8331)

वर्ष 1949 में संविधान सभा (विधायी) में आवश्यक आपूर्ति विधेयक पर बहस में भाग लेते हुए किसानों द्वारा कपास पैदा करने के मसले पर विचार करते हुए आपने फिर से भाखड़ा डैम को शीघ्र पूरा करने की बात पर जोर दिया था और कहा था :

''मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि देश में कपड़ा और अनाज बहुत ज्यादा हो। इसलिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पंजाब में भाखड़ा बांध को पूरा किया जाए। कल भी मैंने इस

बारे में जिक्र किया था कि इसका बनना बहुत जरूरी है। वहां पर सुरंग खोदी जा चुकी है और वह तैयार भी हो गई है। अगर पंजाब सरकार को रूपया नहीं दिया गया तो इस बात का बहुत खतरा है कि अगले मौसम में वह टनल फट न जाए और अगर यह टनल फट xbZ rks cka/k Hkh ugha cu ldrk gS**(संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 2 दिसम्बर, 1949, पृष्ठ 168)

वर्ष 1949 ईस्वी में संविधान सभा (विधायी) में प्रश्नोतर काल में श्रम, खान व ऊर्जा मंत्री से प्रश्न किया था कि भाखड़ा बांध तथा नांगल परियोजना एक से अधिक स्टेटों को प्रभावित करेगा। उत्तर मिला था कि :

''यह सत्य है कि भाखड़ा बांध तथा नांगल परियोजना का विकास एक से अधिक प्रदेश एवं राज्यों पूर्वी पंजाब, पटियाला व पूर्वी पंजाब प्रदेश तथा बीकानेर को प्रभावित करेगा और भारत सरकार पूर्वी पंजाब सरकार तथा अन्य सरकारों के प्रतिनिधियों का एक निगम बनाने पर विचार करेगी, जो इस कार्य में विकास एवं देखरेख कार्य करेंगे। यद्यपि इसका फैसला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा।'' (संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह, 25 सितम्बर, 1949, पृष्ठ265)

6 जीवनशैली का बचाव

परिचय

उत्तर भारत कुछ मायनों में देश के अन्य भागों से भिन्न जीवनशैली का पेरोकार रहा है। उसकी तहजीब उसके किसानी पेशे में ढली हुई है। ब्रह्मनिक (Brahmanic) पुरोहितपंथी रीति–रिवाजों से यह क्षेत्र लम्बे समय से सर्वथा मुक्त था। उसके रीति–रिवाज इसीलिए अलग किस्म के रहे हैं। तहजीब का ये फर्क पुरोहित पक्ष को खलता भी रहा है। सत्ता के बल पर इसे पलटने के अनेक प्रयास भी होते रहे हैं। स्वतन्त्र देश होने के बाद ऐसा ही कुछ प्रयास हिंदू कोड बिल के जरिये हुआ था, जिसे अन्तरिम संसद में पेश किया गया था।

पहले के खण्डों में यह देख चुके हैं कि चौधरी रणबीर सिंह अपने मन की बात बेहिचक कहने में अद्वितीय थे। निडर और बेबाक। संविधान सभा में और बाद में दूसरे सदनों में भी ऐसे बहुत अवसर आए जब दिग्गज नेताओं की हाजरी में उन्होंने आप बीती कहने में रत्तीभर संकोच नहीं दिखाया, भले वह किसी को पसंद आए, न आए। इसमें उनका बेबाकीपन अधिक झलकता है।

इसका एक दूसरा पक्ष भी है। वह काल भारत में जनतन्त्र का आरम्भिक दौर का था। उस समय तक राज की रस्साकशी इतनी नहीं खिंची थी कि विचार भिन्नता को बैर की दृष्टि से देखा जाता। विपरीत मत की कुछ हद तक कद्र करने तथा सहनशीलता का दौर उसे कह

सकते हैं। असल में यह समझ जनतन्त्र की आत्मा है, जिसे बाद में सत्ता की रस्साकशी इसको मलियामेट कर देती है। जनतन्त्र की इस समझ को ग्रहण करना एक तपस्या है। छोटी सी उम्र में ही चौधरी साहिब ने जनतन्त्र के इस सार को आत्मसात कर संविधान सभा में खुलकर प्रयोग किया और बाद में अन्य सदनों में भी उनंका यह लक्षण देखने को मिलता है। उन्होंने अपने मन की बात को खुल कर कहने के अधिकार का प्रयोग किया। जनप्रतिनिधि की यह जिम्मेदारी भी बनती है, ताकि सच सामने आए।

22 सितम्बर, 1951 को अन्तरिम संसद में हिंदू कोड़ पर बहस चल रही थी कुछ सदस्यों ने अपने संशोधन भी दिए हुए थे। इस बिल पर बोलते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने जो बेबाकी दिखाई और हरियाणा क्षेत्र की अपनी तहजीब को जिस अंदाज में रखा वह उनके किसानीपन की बेजोड मिसाल है।

हिन्दू कोड

अन्तरिम संसद में कोड बिल पेश हुआ। उसपर चली बहस में 22 सितम्बर, 1951 को हिस्सा लेते हुए उन्होंने सदन के सामने अपनी बात कुछ इस अंदाज में रखीः

''मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन नम्बर 420 और भट्ट जी के संशोधन नंबर 288 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। भट्ट जी का अपने संशोधन से आशय है कि जो रीति या रिवाज हैं, वह अगर कहीं आपके इस हिन्दू कोड बिल से टक्कर खाते हैं, तो उस टक्कर को एक दम से यह नहीं मान लेना चाहिये कि रिवाज खत्म हुआ, बल्कि दस साल तक उसे जीवन दे दिया जाये और दस साल के बाद उसे खत्म मान लेना चाहिये। पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन नम्बर 420 का यह आशय है कि जितने भी रिवाज हों, जो हिन्दू कोड बिल के मुताबिक हों, उनको खत्म मान लेना चाहिये और जो रिवाज उनके अलावा बाकी रहते हैं, उनकी ताकत को या उनकी कानूनी ताकत को जिन्दा रहने दिया जाये।

मेरे लायक दोस्त पांडे जी ने जिस तरह से कहा, मैं मानता हूँ यह बात सही है और वह बड़ी संतोष दिलाने वाली बात है कि :

हिन्दू कोड बिल का जो असली आशय था, वह समझा जाता था कि यह हिन्दू कोड बिल देश के अन्दर कुछ सुधार करने के लिये या सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिये, उनमें तबदीली करने के

लिये, लाया जा रहा है। इस बिल का असर कितने आदमियों के ऊपर पड़े, यह सोचने वाली बात है। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं तो इसे अनाधिकार चेष्टा मानता हूँ कि इस तरह पिछले दरवाजे से इस देश के उन आदमियों पर जिन पर हिन्दू कोड बिल अभी तक लागू नहीं है, उनको जबरदस्ती इसमें फांसा जा रहा है।''

एक सदस्य, श्री ए.सी.शुक्ला के टोकने पर उन्होंने पूछा कि वह कोई सबूत दें कि पंजाब के किसी भाई ने आज तक चाहे वह हिन्दू जाति का रहा हो, सिक्ख जाति का रहा हो, या मुसलमान जाति का रहा हो, एक आदमी ने भी कभी इस आवाज को बुलन्द किया हो कि हमारे कस्टमरी कानून है, उसको हटा दिया जाय। उसकी जगह हमें मनु का कानून, या याज्ञवल्क्य या और किसी का कानून हमें दीजिये?

इस पर श्री ए.सी.शुक्ला ने कह दिया कि जब पढ़ लिख जायेंगे तो उसके लिये मांग करेंगे तो तुरन्त चौधरी साहिब ने टका सा जवाब देते हुए बताया कि हमारे माननीय शुक्ला जी को मालूम नहीं है कि हमारे पंजाब प्रान्त में कैसे गतिशील आदमी हुए हैं, जिन्होंने देश की ताकत को चैलेंज किया है, जोकि मैं उनका समर्थक नहीं हूँ।

उन्होंने कहा कि 'मैं एकल पत्नी का समर्थक हूँ और चाहता हूँ कि किन्ही विशेष परिस्थितियों में तलाक की व्यवस्था भी अवश्य रहनी चाहिये, ताकि जब स्त्री, पुरूष दोनों को एक साथ रहने से तकलीफ होती है, तो उन्हें उस तकलीफ से बचाने के लिये कोई न कोई ढ़ंग या रास्ता निकालना चाहिये। किन्तु कोड बिल के जरिये जो करने का इरादा है उसपर उनका स्पष्ट मत था किः

''मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि यह चेष्टा अनाधिकार चेष्टा है। क्योंकि, हिन्दू कोड बिल से हमारा आशय होना चाहिये था कि इस बिल से जो संचालित होते हैं, उन्हीं पर यह लागू किया जाये।

कोड बिल को लेकर जो बहस चली उसपर अपना क्षोभ प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि यह मेरी बदकिस्मती है कि जब से यह हिन्दू कोड बिल का सवाल आया, कई महीनों चला और कई दिन इसके ऊपर लगाये गये। मैंने उस वक्त बहुत कोशिश की कि मुझे पांच मिनट मिलें तो कुछ उस पर अपने विचार प्रकट करूं। लेकिन, मौका नहीं मिला। वे व्यग्र थे कि इतने महत्वपूर्ण सवाल पर कुछ कहें।

बहस को सही परिपेक्ष्य में लाने के लिए उन्होंने बताया कि यह बदकिस्मती की बात है कि हमारे मान साहब बोले तो वह सिक्ख धर्म में फंस गये, बजाये इसके कि सही बात पर आते। लेकिन, उन्होंने शायद ऐसा समझा कि इस तरह उनकी बात जोरदार हो जायेगी (या फिर उनके मन में) और कोई कारण रहा होगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि यह सिक्ख धर्म का प्रश्न नहीं है। यह पंजाब प्रान्त भर के कस्टमरी कानून का प्रश्न है।

चौधरी साहिब ने उस पृष्ठभूमि को उकेरते हुए विधि मन्त्री डाक्टर अम्बेदकर साहिब को मुखातिब होते हुए कहा किः

''मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के अन्दर ऐसे समय में जबकि ब्रह्मनिक कायदे कानूनों ने सारे देश और समाज के रहन–सहन और रीति रिवाजों को अपने पंजे में बांध रखा था कि सोमवार को नहीं जा सकते, मंगलवार को नहीं जा सकते और शनिवार को नहीं जा सकते, ऐसे समय में मैं डाक्टर साहब को बतलाना चाहता हूँ कि पंजाब की मार्शल जाट जाति ने, जिस जाति से मैं और सरदार बलदेव सिंह, ताल्लुक रखते हैं, उस जाट जाति ने आज तक उस ब्रह्मनिक रूल के सामने सिर नहीं झुकाया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी जो यह दो चीजें एकल पत्नी और तलाक हैं, उनके लिये वास्तव में हमारे समाज में कोई ज्यादा विरोध नहीं है। मेरा भी इन

दोनों से कोई विरोध नहीं है। लेकिन, जो आपका यह ढ़ंग और तरीका है, उससे जरूर विरोध है। आज जिस तरीके से जिस बैक डोर से यह (बिल) बढ़ा है, वह कोई बहुत अच्छा ढ़ंग नहीं है।

यह बात नहीं है कि मैं अपने आपको गैर हिन्दू मानता हूँ। यह जरूर मानता हूँ। लेकिन, यह सच बात है कि हम लोग कभी *हिन्दू कोड से संचालित नहीं हुए। वह हमारे ऊपर कभी लागू नहीं हुआ*।

उन्होंने बेबाक कहा :

''आपका यह विचार कि जिन लोगों को आप अभी तक दिमागी तौर पर गुलाम नहीं कर पाये थे, उनको आप यह समझते हैं कि पिछले दरवाजे से गुलाम कर लेंगे तो मुझे इसमें पूरा शक है। यह जो आप शादी–विच्छेद के बारे में रीति–रिवाज के ऊपर कायदे कानून बनाने जा रहे हैं, इसमें भी हमें बहुत कुछ मतभेद हैं। इस सिलसिले में मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान के हिन्दू समाज के अन्दर विधवा के प्रति दर्द के नाम पर बहुत सारे समाज सुधारकों ने उस दिशा में बड़ी उन्नतियां की हैं। लेकिन, बदकिस्मती से हमारे समाज के अन्दर सदा से नौजवान विधवा अज्ञात रही हैं। हमारे समाज के अन्दर नौजवान विधवा का नाम नहीं होता।

हमारे यहां यह रिवाज है कि जिस समय किसी बहिन का पति मर जाता है तो उसके पति के मरने के एक साल बाद, दोनों तरफ के भाई, जो उस बहन के परिजन और भाई होते हैं, वह भी इक्क्ठा होते हैं और जो भाई मर जाता है, उसकी तरफ के लोग भी यानी उनके परिजन और भाई भी इक्क्ठा होते हैं। वहां पर यह फैसला किया जाता है कि चाहे उस बहन को थोड़ी बहुत शर्म आती हो, जैसा हिन्दू समाज में सारी जगहों पर होता है, वैसे ही हमारे यहां भी थोड़ी शर्म होती है। अगर वह इन्कार कर दे और कह दे कि जो दुःख

भगवान ने मुझे दिया है, वह दुःख मैं ही काटूंगी। लेकिन, उसकी बनावटी इच्छा के विरूद्ध भी उसे मजबूर किया जाना यह मुमकिन नहीं है। यह कहा जा सकता है कि उसका आदर्श अच्छा है। लेकिन, कितने आदमी हैं जो इतने ऊंचे आदर्श पर चल सकते हैं? इसके ऊपर हमारे समाज में शक है कि आप इस समाज के अन्दर यह बहुत ऊंचा आदर्श कायम करने जा रहे हैं, इससे हमारे समाज में कहीं खराबी न पैदा हो, इसलिये इस तकलीफ को, आप इसे तकलीफ मानें या जो भी मानें। इस बात को मान लिया जाये कि जो कपड़ा हम डालते हैं, यानी हम किसी के सुपुर्द करते हैं, विवाह करते हैं, आसान तरीके से, उसका नाश न किया जाय। इसलिये मैं भट्ट साहब की बात की ताईद करना चाहता था। अब मैं इसके कारण की तरफ आ रहा हूँ।

एक तरफ तो जहां आपका कायदा कानून है, कि बहनों की परेशानियों को हल्का किया जाये। जिन्हें बहुत हद तक हल्का किया भी। वहां हमारी बहनों की परेशानियों को और तकलीफ देह बनाया गया है। वह इसलिये कि आपने उनको एक तरफ से हक दे दिया कि वह जहां चाहें शादी कर लें। वैसे भी यह होगा कि अगर कोई गड़बड़ी न हो तो आसानी से रिवाज पड़ जायेगा कि वह दूसरी जगह शादी कर सके। लेकिन, आप इसको क्यों डालते हैं? जो लोग द्विविवाह होते हैं तो उनकी मर्जी से नहीं होता, बल्कि दबाव में मजबूरी से होता है। जो भाई मर जाता है, उसके दूसरे भाई को अपनी इच्छा के विरूद्ध भी द्विविवाह के रिवाज को मानना पड़ता है।

श्रीमती दीक्षित : मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या यह चीज सही है कि एक स्त्री है, उसके चार–छह बच्चे हैं, उसकी भावज है, उसके चार–छह बच्चे हैं, उन सबको इक्कठा कर दिया जाय और सौतपन रहता है, उससे उनमें संघर्ष नहीं होता? क्या यह सिद्धान्त अन्याय नहीं है कि एक स्त्री को उसकी इच्छा के विरूद्ध भी

मजबूर किया जाय कि वह दूसरे आदमी से शादी करे?

सवाल के जवाब में चौधरी रणबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि पुर्नविवाह से आपका मतलब है तो मैं कहूंगा कि नहीं। पुर्नविवाह भी तभी हो सकता है, जिसे जाब्ते में समाज करे। लेकिन, बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं जो इसे जाहिर नहीं कर सकतीं। स्त्री को मरे जहां 13 या 14 दिन हुए, आदमी यह जाहिर कर देता है। लेकिन, बहनें ऐसा नहीं कर सकतीं। क्योंकि जैसा हमारा समाज बना है, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे बदलने के लिए काफी समय चाहिये था। लेकिन, अगर उनकी मंशा यह थी कि एक भाई है, उसके दो तीन बच्चे हैं, एक उसकी बीवी है, दूसरा भाई मरने वाला है, उसके भी दो तीन बच्चे हैं, बीवी है। अगर उन लोगों को इक्कठा कर दिया जायेगा तो उससे मुश्किल होगी, दिक्कत होगी। अगर, वह यह पूछना चाहती हैं तो मैं इसकी तरफ भी आ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कोई आदमी राजी से दूसरा विवाह नहीं करता, एक बहन भी मजबूर होती है। क्योंकि, एक तरफ तो उसे बच्चों का प्यार है, वह उनको छोड़ नहीं सकती। दो–तीन बच्चे हैं, आखिर कहां जायें? वह यह भी नहीं कह सकती कि मेरी पुर्नविवाह करने की इच्छा है। घर के दूसरे लोग भी उन बच्चों को छोड़ नहीं सकते। सवाल यह पैदा होता है कि वह अपने बच्चों को अपने साथ ले जाये। लेकिन, यह हमारे समाज का रिवाज है। मेरी समझ में आप कोई भी कानून बनायें, आप इसे नहीं बदल सकते। यह कोई दिल्लगी की चीज नहीं है। वह स्वयं इसको बदल सकते हैं। लेकिन, आप खुद आज इसको नहीं बदल सकते।

हमारे यहां एक और प्रथा है। यह अपना विश्वास है कि एक खानदान जिसके बच्चे हैं, उसका नालायक से नालायक आदमी भी अपने बच्चों को दूसरे खानदान में नहीं जाने देता है। इसके विपरीत

कोई आदमी इसकी चेष्टा भी करे तो उसकी सजा हमारे यहां बड़ी कड़ी है, आज भी। चाहे आप कह लीजिये कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। उसका सुधारना भी बड़ी दिक्कत का काम है। लेकिन, इस तरह की बात का नतीजा हमारे यहां अब भी कत्ल है। अगर आप यह चाहते हैं कि हमारे समाज के अन्दर कत्ल व गारत की तादाद ज्यादा बढ़े। पहले से ही पंजाब कत्ल व गारत के लिये ज्यादा बदनाम है। वहां काफी आदमी इस तरह के कत्ल के सिलसिले में फांसी चढ़ते हैं। तो, अगर आप उनकी तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो बेशक एक दम से जो कायदा कानून चाहे लागू कर दें।...

मैं यह बता रहा था कि इसके अन्दर क्या है कि वह बहन या तो इस बात पर मजबूर होगी कि तमाम उम्र विधवा बनी रहे, जैसा कि उसके समाज में अब से पहले कभी नहीं था। अगर उसे अपने बच्चों से प्यार है। अगर बच्चों से प्यार नहीं है तो अपने बच्चों को चोरी छिपाकर रात को उठाकर कहीं ले जाये। अगर कोई हिम्मत वाला इंसान मिल गया और उसने कहा कि चलो मेरे साथ मैं देख लूंगा दूसरों को, तो उसका नतीजा क्या होगा? वह दुबारा विधवा होगी, या उसका मर्द फांसी पर चढ़ेगा। किसी सूरत में उसका सौभाग्य कायम नहीं रह सकता। यह वैसे तो काफी बड़ी बात है और डरावनी बात है। लेकिन, एक सच्ची बात है।

इसके बाद सगोत्र विवाह की बात है। कितने भाई हैं और कितनी बहने हैं, जो शहरों में रहती हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी इस हिन्दू कोड बिल पर क्या प्रतिक्रिया है? इस सदन के अन्दर तो बहुत से भाई हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या उन लोगों की है जो शहरों में रहते हैं। जो शहरों में जन्में, शहरों में पले और शहरों के कायदे कानून और तरीकों तक ही उनके विचार सीमित हैं। उनके ख्याल से शहर की जिन्दगी में और देहात की जिन्दगी में कोई अन्तर नहीं है।

इसका उन्हें कोई अन्दाजा नहीं हैं। .....कि शहर की शिक्षा–दीक्षा और देहात की शिक्षा–दीक्षा के अन्दर कितना फर्क है? दोनों के लिये आप एक कायदा और कानून बनाना चाहते हैं। मेरे लायक दोस्त जांगड़े साहब बड़े जोर से बोले। .....मुझे शक है कि जांगड़े साहब शहर वाले बन गये हैं। उनकी तरफ चले गये हैं। अब शहर की बात समझने लगे हैं। वह अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी जगह वालों की नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जब तरबियत में इतना फर्क है, उनकी सामाजिक नीति में आपस में इतना मतभेद है, उनके लिये एक कायदा और कानून बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि उनके रीति रिवाजों में कोई अन्तर रखना कोई मायने नहीं रखता, यह उनके साथ बड़ा भारी अन्याय है।

एक बात और इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ, वह है सगोत्र विवाह के बारे में। हमारी बहुत सारी बहनों की दिल्ली के दिल्ली में ही शादी होती है। एक गली से दूसरी गली में उनका विवाह हो जाता है। छोटे–छोटे शहरों में जिनकी आबादी दस हजार की होती है, उनमें भी उनका विवाह एक घर से दूसरे घर में हो जाता है। उनको यह पता नहीं है कि हमारे यहां शादी का कायदा क्या है? हमारे यहां शादी के लिये कम से कम 15, 20, 50 और सौ मील का फर्क होता हैं। अगर अपनी जाति में मैं अपने लड़के की शादी करना चाहूं तो अपने समाज के आज के रिवाज के मुताबिक मैं अपनी उपजाति में, जोकि 24 गांवों में और 10 मील के रेडियस में रहती है, उसकी शादी नहीं कर सकता। मैं उन 24 गांवों में से किसी गांव में अपने लड़के की शादी नहीं कर सकता। यही नहीं। उसके बाद फिर उसकी जो माँ है, उसकी उपजाति के जो तीस चालीस गाँव हैं, उनमें भी उसकी शादी नहीं हो सकती। उसके बाद आप आगे चलिये जो मेरी माँ है, उनकी उपजाति के जो तीस चालीस गाँव हैं, उनमें भी

उसकी शादी नहीं हो सकती। इस तरह से आसपास के कोई पचास गाँवों में हम शादी नहीं कर सकते।''

tc ,d lnL;] Jhjk/ksyky O;kl uscPp esapqVdhysls gq,k dg fn;k fd vki Hkh rkst kV gSa rks pkS/kjh j.kchj flag dk tokc Fkk fd मैं जाट तो हूँ। लेकिन, मैं सरदार भूपेन्द्र सिंह मान जैसा, सिख जाट नहीं हूँ। मैं आपको कड़वी बातें नहीं सुनाना चाहता और इसीलिये, मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरा रिवाज अच्छा या आपका अच्छा या कानून अच्छा। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वह आज के हालात हैं।......

इसी बहस में चौधरी रणबीर सिंह ने रीति–नीति को लेकर शहर और गांव के बीच फर्क को बताया कि शादी–रिश्ते के मामले में किस तरह भाईचारे की सोच को महत्व दिया जाता है जिसको दरकिनार करना मज़ाक नहीं है जबकि शहरों में गली की गली में शादी हो जाती है। गांव में यह सम्भव नहीं है और न केवल कानून बना कर इसे पलटना इतना आसान है जैसा कुछ भाई प्रयास कर रहे हैं।

हरियाणा के सामाजिक जीवन की बुनगत तथा उसके मौलिक सामूहिक चरित्र पर रौशनी डाली और बताया कि यहां परिवार समाज की एक इकाई के रूप में अपना स्थान रखता है और यह बात किस तरह उनके जहन में बैठी हुई है जो आदमी के व्यवहार को संचालित करती है। उन्होंने एक मिसाल कर समझाते हुए कहा कि :

''हमारे समाज में .यह देखा जाता है कि एक भाई क्या करता है और समझ लिया जाता है कि दूसरा भाई भी उसके साथ है। यहां पर एक भाई कम्युनिस्ट हो सकता है, दूसरा सोशलिस्ट हो सकता है और तीसरा कांग्रेसाईट हो सकता है। एक लड़का किसी का भारतीय जन संघ का मैम्बर हो सकता है और उसका का दूसरा भाई दूसरी

पार्टी का हो सकता है और धर्म में भी अदल बदल हो सकती है। लेकिन, हमारे यहां यह बात बनी हुई है कि अगर किसी खानदान में एक आदमी कांग्रेसी हो गया तो वह सारा कुनबा कांग्रेसी समझा जायेगा, चाहे वह हो या नहीं। इस किस्म की हमारे समाज में हालत है। आप उसे जो कुछ कहें, उन्नति कहें या जहालत कहें।'' .....

हिंदू कोड बिल पर हुई बहस में चौधरी रणबीर सिंह की बेबाकी ध्यान देने लायक है। वे हरियाणा की तहजीब और उसकी सामाजिक बुनगत को किस तरह आत्मसात किए हुए थे, यह बखूबी पता चलता है। एक सच्चे जनप्रतिनिधि की तरह लोगों की नब्ज पर हाथ रख कर उसके लिए किस तरह काम किया जाए, जानते थे।

7 मिश्रित

परिचय

चौधरी रणबीर सिंह ने अपने लंबे संसदीय कैरियर में बहुत से मुद्दों पर विचार विभिन्न सदनों में रखे। इनमें चौधरी साहिब की प्रतिभा का अनुमान लगता है। उनके मुख्य विचारों पर तो इस पुस्तक में वर्गीकरण करके अलहदा–अलहदा अध्यायों में कुछेक महत्वपूर्ण सवालों को लिया गया है। जो विषय इन अध्यायों के अन्तर्गत नहीं आ सके, उनका विवरण दिये बिना चौधरी साहब का सांसद के तौरपर जीवन परिचय अधूरा रह जाता। इसलिए इस अध्याय के अन्तर्गत आपने देश को वैलफेयर स्टेट के तौरपर काम करने के बारे में बार–बार जोर दिया, जिसमें वृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान पैंशन का विषय सबसे महत्वपूर्ण था। चाहे वह आपके बहुत कोशिश करने के उपरांत पिछली शताब्दि के सातवें दशक में ही मंजूर किया गया था और देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों और उनके बच्चों के सम्मान पैंशन आज तक मिल रही है, जिसमें आजाद हिन्द फौज के सैनिक भी शामिल हैं।

गरीबी के कारण हिन्दुओं द्वारा धर्म परिवर्तन पर आपने जागृति पैदा की। सबसे पहले 1972 में चोरी से बनाये हुए कालेधन और करों की चोरी पर सरकार का ध्यान दिलाया था और उसे जब्त करने की सलाह दी थी। यह आपकी दूरदर्शिता थी। बरसात के पानी बाबत उस

समय के पंजाब (हरियाणा) और हरियाणा और दिल्ली प्रान्त में ढ़ांसा बांध के लोग राजनीति कर रहे थे, उसमें बीच–बचाव करके उसे हल करवाया।

इसी के साथ–साथ आपने आजाद हिन्द सेना के उन सैनिक अफसरों की भी सराहना की थी, जिनका लालकिले में कोर्ट मार्शल हुआ था। साथ ही यह भी कहा था कि उनके साथ भारत सरकार अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि भारतीय सेना में पिछली शताब्दी के आठवें दशक में सभी जाति व वर्ग की रेजीमेंटों में से एक–एक पलटन मिली जुली बनाई गई थी। कालान्तर में यह स्कीम असफल रही और यह विचार ही त्याग दिया और जो चौधरी रणबीर सिंह का विचार था, वही आज तक चल रहा है। पलटनें एक ही जाति व वर्ग के नाम पर बनीं हैं और बन रही हैं।

आपने हमेशा पक्षपात का विरोध किया और जोर देकर बताया कि रोहतक की अहमियत कोई नहीं मिटा सकता। हरियाणा विधानसभा में भलाई के सवाल उठाने वालों में आप अकेले एक तरफ थे और सारा सदन एक तरफ था। आपने निडर होकर अपना दृष्टिकोण रखा। इन सब अन्य विषयों पर इस अध्याय में उनके चुनिंदा विचार संकलित किए गये हैं।

मिश्रित

वेलफेयर स्टेट

चौधरी रणबीर सिंह ने आरकनेज बिल की बाबत हो रही बहस में भाग लेते समय बच्चों के विषय में कहा था :

''हमने देश के अन्दर वेलफेयर स्टेट बनाने का फैसला किया है और जिससे देश में वेलफेयर स्टेट बनने जा रही है, उसका सबसे पहले फर्ज अपने बच्चों की देखभाल करना है और खास तौर पर उन बच्चों की, जिनके माँ–बाप न हों, जिनका सरकार के सिवाय कोई देखभाल करने वाला नहीं हो।'' (स्पीचेज इन लोकसभा, 1952–57, पृष्ठ 5042)

इसी बहस में आपने यतीमखानों के लिए धन की चिन्ता करते हुए कहा था कि :

''इन सब यतीमखानों को सरकारी तो न बनाया जाए, बल्कि यह रूप दिया जाये, जिससे सरकार की देखरेख ठीक तरह से हो सके। हर आदमी के लिये यतीमखाने के लिये छूट न रहे कि वह बच्चों को भिखारी बनने पर मजबूर करे। जो धन इकट्ठा होता है, उसका ठीक इस्तेमाल हो। इसकी देखरेख के लिए इस किस्म की एक आर्गेनईजेशन बने।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1952–57), 24 अप्रैल, 1953, पृष्ठ 5042)

बैकवर्ड कम्यूनीटिज (रिलिजियस) प्रोत्साहन बिल पर बहस में भाग लेते हुए आपने जोर देकर कहा था :

''जो हस्पताल हैं, जब इस देश का ध्येय वेलफेयर स्टेट है, हमारी कोशिश ला एण्ड आर्डर स्टेट नहीं है। उनको भी सरकार क्यों न चलाए? हम सब आजाद हैं, तो आजाद होने के बाद भी जब लाखों आदमी अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको तालीम की सुविधा नहीं मिलती या दवा दारू की सुविधाएं नहीं मिलती तो हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि यह एक कलंक की बात है। इस कलंक के टीके को जितनी जल्दी दूर करें, उतना ही अच्छा होगा।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), *19 फरवरी, 1960, पृष्ठ 2001–02)*

संसद और विधान सभाओं हेतु चुनाव के लिए योग्यताएं

अन्तरिम संसद में 4 अप्रैल, 1950 को चौधरी रणबीर सिंह ने इस बात को खारिज कर दिया कि अनपढ़ किसी काम के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि :

मैंने प्रस्ताव पर और श्री कामथ के संशोधन पर बार–बार विचार किया है तथा इस प्रस्ताव का विरोध करना तय किया है। विरोध करने का कारण यह नहीं है कि मैं किन्ही योग्यताओं को नहीं चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ और मेरा मानना है कि एक सदस्य के लिए आवश्यक योग्यता देश की सेवा होना चाहिए। इस सदन का सदस्य होने से पहले देश और उन लोगों की किसी रूप में सेवा करनी चाहिए, जिनका प्रतिनिधित्व वह करना चाहता है। किन्तु दिक्कत तब होती है, जब ऐसी सेवा को टैस्ट किया जाए और कैसे जाना जाए कि उसने सेवा की है या नहीं? क्या तय करने का अधिकार अदालत को

दें कि किसी ने देश सेवा के लिए या लोगों की सेवा में कुछ किया है या नहीं? मैं नहीं समझता कि ऐसा करना ठीक होगा।

फिर, शैक्षिक योग्यताओं के बारे में यहां अनेक सदस्यों ने कहा है कि वे ग्रेजुएट होने की योग्यता को नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो यहां सदस्य बनकर आयें, उन्हें लिखना–पढ़ना आना चाहिए। जहां तक लिखने–पढ़ने की बात है, मैं कह सकता हूँ कि यहां आने के बाद कोई भी (सदस्य) पांच दिन के अन्दर हिन्दी आसानी से सीख सकता है।

'kS{kd ;kX;rk dks fy[kus vkSj i<+us rd lhfer djus ls dksbZ ykHk ugha gksxkA fQj] bl ls vf/kd dh ekax dks tSlk dgka fd eSfVªd ikl dh lhek gks rks eSa dg ldrk gw¡ fd cgqr yksx gSa vkSj gekjs izkUr esa rks 10 ;k 15 lky rd eq[;eU=h jgs gSa tks u eSfVªd ikl Fks vkSj u os dHkh Ldwy ;k dkWyst gh x,A eSa bl ckjs esa lj fldnj g;kr [kku dk uke ys ldrk gw¡A nwljs izkUrksa esa Hkh eSa ,sls eq[;eU=h ns[krk gw¡ tks u dkuwuh vFkok MkWDVjh fo/kk esa xzstq,V FksA eSa ,sls fe=ksa dks Hkh ns[krk gw¡ ftUgksaus u Kkuh dk dksbZ ikB fd;k] u ,slh fdlh nwljh ijh{kk ikl dh gS fdUrq mUgksaus ns'k dk 'kklu vPNs <ax ls pyk;k] tks 'kk;n dksbZ Lukrd Hkh u pyk ldsA—

laln ds fy, ,sls vkneh dh vko';drk gS tks iz'kklfud {kerk j[krk gks] cqf) j[krk gks] ekeys dks tYnh le>rk gks vkSj vfHkO;fDr dh dkcfy;r j[krk gksA eSa ,sls yksxksa dks tkurk gw¡ tks dkuwu ds Lukrd gSa] ,sls Hkh tks dkWyst ds izksQslj gSa] fdUrq vPNs lkaln lkfcr ugha gq,A ,sls yksx Hkh gSa tks dHkh Ldwy ugha x,A

fopkj dh ekSfydrk dk tgka rd iz'u gS eSa dchj dh felky ns ldrk gw¡ tks lewps ns'k esa iz[;kr gSA esjs fe= Jh gqlSu bekke tkuuk pkgrs Fks fd vui<+ vkneh us ns'k dks D;k fn;k gS\ eSa muls dguk pkgrk gw¡ fd vui<+ yksxksa us ns'k dks cgqr dqN le`) fd;k gSA

न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) विधेयक पर

अन्तरिम संसद में दिनांक 17.8.1951 को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन पर बहस हो रही थी चौधरी रणबीर सिंह ने जब श्रमिक, विशेष कर खेत मजदूरों और किसानों के जायज हक का सवाल उठाया।

बिल का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देश के अन्दर सबसे गरीब तबका खेत मजदूर और देहात के मजदूर का है।.....मैं इस बात से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ कि राज्य सरकारें क्यों अभी तक इस मसले को हल नहीं कर पायी हैं? .....यहां बड़े–बड़े कारखानों के मालिक चन्द बड़े आदमी हैं। उनकी आमदनी भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन, खेत के मालिकों का जहां तक ताल्लुक है, उनमें से बहुत से तो ऐसे आदमी हैं जो खेत मजदूर की तरह ही गरीब हैं। हो सकता है कि कुछ बड़े–बड़े जमींदार हों। लेकिन, जमींदारी उन्मूलन के साथ उनका तो खात्मा हो रहा है। इसके बाद छोटे–छोटे और खेत के गरीब मालिकों और खेत के मजदूरों का मसला रहता है। मेरा निवेदन है कि खेत के मजदूर के साथ न्याय हो, और यह बहुत जरूरी भी है। उसकी मदद की निहायत जरूरत है। इसीलिये, पिछली दफा जब हाउस के सामने एक और मसला था तो मैंने उस वक्त कहा था कि अगर राशन किसी के लिए होना चाहिये तो वह खेत के मजदूर के लिए होना चहिये। क्योंकि, वह सब से गरीब है और उसके अन्दर इतनी ताकत नहीं है कि वह खुले बाजार में चीजों को खरीद सके। मेरे एक भाई ने बतलाया कि इन मजदूरों की संख्या सात करोड़ है। दूसरे ने बताया कि 15 करोड़ है। मेरा दावा है कि जिन लोगों से इनका वास्ता पड़ता है, उनकी संख्या भी 15 करोड़ है। जहां आपको इन सात या 15 करोड़ के लिए सोचना है, वहां आप दूसरे 15 करोड़ के लिए भी

सोचना बन्द नहीं कर सकते।....अगर आपको उनकी मजदूरी तय करनी है तो आपको यह भी तय करना होगा और देखना होगा कि खेत के अन्दर जो पैदावार होती है, जिसे खेत का मालिक खेत के मजदूर की मदद से पैदावार करता है, उसको क्या मिलता है और उसी के मुताबिक आपको हर एक चीज का भाव तय करना होगा। आप ऐसा करने से इन्कार नहीं कर सकते। .....

मेरा यह विचार है और मैं सबसे पहले इस बात की वकालत करता हूँ कि सरकार के लिये अक्लमंदी यह है कि एक साल तो दूर रहा, वह इस चुनाव के पहले ही, उनकी कम से कम मजदूरी तय कर दे। .....इसलिये भी चाहता हूँ कि अगर खेत के मजदूर की मजदूरी तय हुई तो कोई सरकार इस बात से इन्कार नहीं कर सकेगी कि पैदावार के भी भाव तय करे, ताकि इससे काश्तकार को कुछ बच सके। जहां देश की नीति बनाने में देश के मजदूर का हाथ होगा, वहां देश की नीति बनाने में उन आदमियों का भी जरूर हाथ होगा, जो मुश्किल से पांच एकड़, दो एकड़ या तीन एकड़ अथवा सात एकड़ के मालिक हैं।

देहात में एक काश्तकार की जिन्दगी के स्तर और यहां सचिवालय के बड़े अफसर के स्तर में, जो 4 हजार तक तनख्वाह लेते हैं, कितना फर्क है? इसका आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं इसलिये भी यह चाहता हूँ कि जल्दी न्यूनतम मजदूरी तय हो।

इसी सदन में 14 अप्रैल को वित्त विधेयक पर बहस में हिस्सा लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने खेत मजदूरों का पक्ष रखा और कहा कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि देहात के अन्दर राशनिंग की जिम्मेवारी हम नहीं उठा सकते और यह नामुमकिन है। मेरा संसद से यह निवेदन है कि इस देश के अन्दर सबसे कम जिनकी आमदनी है, वे लोग देहात के हरिजन और देहात में खेतों के मजदूर हैं। जिन

लोगों को अनाज खरीदना पड़ता है, उनमें जो शहर का मजदूर है, उसका तो वेतन भी फालतू होता है और उसको मंहगाई भत्ता वगैरह भी मिलता है, सारी चीजें उसको मिलती हैं। अब उसको तो अनाज नियन्त्रित भाव पर दिया जाता है। इसके विपरीत, जो देहात का हरिजन या मजदूर है उसके लिये कुछ सोचा ही नहीं जाता, जिसकी कि खरीद शक्ति सबसे कम है।

मुझे निवेदन करना है कि आपको देश के अन्दर नियन्त्रण रखना है तो सबसे पहले आपको चाहिये कि आप नियन्त्रण की चीजें उन लोगों को दें जिनकी खरीद शक्ति सबसे कम है, और वे हैं खेत के मजदूर और देहात में रहने वाले हरिजन।

दूरदर्शिता

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह इस्टेट (रिपील) बिल पर बहस में भाग लेते हुए आपने कहा था कि देश में देशभक्तों के लिए हमें उनकी भलाई के लिए ध्यान देना चाहिए। आपने बताया,

''वैसे तो हम मानते हैं कि हर देशवासी को हम तालीम देंगे और आगे चलकर हमारे प्रयास होंगे कि हर बूढ़े आदमी को हम पेंशन दें और हर बीमार का मुफ्त इलाज करेंगे।''

(संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), *25 नवम्बर, 1960, पृष्ठ 1419)*

उन्होंने बूढ़े देशभक्तों की खस्ताहालात पर खेद व्यक्त करते हुए कहा था कि उनको पेंशन जरूर मिलनी चाहिए, जिसका नतीजा यह हुआ कि उनको स्टेट गर्वनमेंट और केन्द्रीय सरकार में पेंशन देनी शुरू की थी जो आज तक मिल रही है। आपने कहा था :

''ये जो बूढ़े देशभक्त हैं, इनकी आज बहुत बुरी हालत है। मैं चाहता हूँ कि पचास साल के ऊपर के सारे बूढ़े देशभक्तों के बारे में सरकार यह फैसला करे कि उनको पेंशन दी जाएगी और वह पेंशन

उनको तबतक मिलेगी, जब तक वे जिन्दा रहेंगे।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), *25 नवम्बर, 1960, पृष्ठ 1420)*

चिल्ड्रनज ऑफ पॉलिटिकल सफरर्ज विषय पर बोलते हुए साफ शब्दों में आपने चेताया था :

'''मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार के रास्ते में क्या मुश्किल है जोकि राजनीतिक पीड़ितों पचास वर्ष से ज्यादा आयु के हैं, जिनके पास कोई आजिविका नहीं है, उनको पेंशन क्यों नहीं दी जा सकती? क्या वजह है कि राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को टैक्नीकल तालीम और वजीफे नहीं दिए जा सकते? कौन सी आपके रास्ते में दिक्कते हैं?'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), *23 दिसम्बर, 1960, पृष्ठ 7454)*

विपक्षी सांसद का रोल

मार्च, 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए थे। कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल बन गया था। राज्यसभा में चौधरी रणबीर सिंह विपक्षी दल के उपनेता थे। जनता पार्टी के वित्तमंत्री थे। शासन बदल गया था। इस बदलाव के बाद चौधरी रणबीर सिंह ने अपने पहले भाषण में कहा था :

'''जब उधर बैठता था तब भी कहा करता था, जहां तक हमारे वित्त मंत्रालय का सम्बंध है, उसकी सोच बदलने की आवश्यकता है। हमारे देश ने माना है कि हमको देश में समाजवादी, आर्थिक ढ़ांचे को लाना है। लेकिन, अभी तक वित्त मंत्रालय पिछले तीस साल से और आज भी उसी चक्कर में है, जिसका मर्केटाईल इकॉनॉमी कहते हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी ने जनता पार्टी को जो राज दिया है, वह कितना मजबूत हालत में दिया है, यह देखने की बात है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, 30 मार्च, 1973, पृष्ठ 146–147)

ध्यान रखने योग्य बात है कि चौधरी रणबीर सिंह ने पहले ही भाषण में जनता पार्टी की हुकूमत को चेताया था और बताया था :

''आप भी इम्तिहान में आने वाले हैं, जब हमको मानते हैं कि हम इम्तहान में पास नहीं हुए हैं, तो आपको भी देश देखेगा कि आप कैसे इम्तहान में पास होते हैं?'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, 30 मार्च, 1973, पृष्ठ 150)

इसी भाषण के दौरान आपने आगे चलकर कहा था, ´

'अब आपकी सरकार खिचड़ी की सरकार है। यह संसार और भारत देश देखेगा–हम चाहते हैं कि कुर्सियों के भूखे नहीं हैं। लेकिन यहां कुर्सियों के भूखे आपस में लड़ते हैं और यह आने वाला इतिहास बताएगा–किसानों की बात करने वाले ग्रामीण–अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाले कितने कामयाब होते हैं।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, 30 मार्च, 1973, पृष्ठ 151)

राज्यसभा में जिस समय 24 फरवरी, 1978 को प्रीफेंसियल एग्रीमेंट टू वीकर सेक्शन के मुद्दे पर बहस हो रही थी, उसमें गर्मागर्मी हो गई थी। जिसमें त. जयनारायण बार–बार प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद के द्वारा अपना मत देने की बात पर अड़े हुए थे। तब चौधरी साहब ने पहले तो यह कहा था कि माननीय सदस्य नहीं जानते तो उनकी बात मान लें, जो वहां हाजिर थे। फिर उनको अपनी बात समझाने के लिए यह फटकार लगाते हुए बताया कि :

''मैं तो जिस वक्त, यह राजनीति में पैदा भी नहीं हुआ था, उस वक्त अंग्रेजी का ग्रेजुएट था और 31 वर्ष हो गए हैं। लोकसभा, राज्यसभा कांस्टीच्यूयंट असैम्बली तथा विधानसभाओं में रहा हूँ। मैं सात सदनों का सदस्य रहा हूँ।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, *24 फरवरी 1978, पृष्ठ 164)*

सेना तथा आजाद हिन्द सेना

आजाद हिंद फौज के बारे में चौधरी रणबीर सिंह के विचार स्पष्ट थे। अन्तरिम संसद में बहस में हिस्सा लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने 7 फरवरी, 1950 को आई.एन.ए का प्रश्न उठाया और कहाः

''इण्डियन नेशनल आर्मी किसी आर्मी से कम नहीं थी। लेकिन, उनके साथ में, मैं यह तो नहीं कहता कि बर्ताव बहुत ज्यादा खराब किया गया, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं किया गया जितना अच्छा बर्ताव उनके साथ करना चाहिए था''। अन्तरिम संसद वाद–विवाद, पृष्ठ 304 .

वर्ष 1986 में एक साक्षात्कार के समय आपने आजाद हिन्द फौज की कुर्बानी को सराहा। आपका कहना था :

''लेकिन, सरदार भगत सिंह आदि की कुर्बानी से गांव के एक–एक आदमी हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख और ईसाई के दिल में देशभक्ति तथा जोश की भावना बनी। इसी तरह से आजाद हिन्द फौज की जो कुर्बानी हुई, उसने इस देश में एक उत्साह से भरा वायुमण्डल पैदा किया।'' (इन्टरव्यु – चौधरी रणबीर सिंह, नेहरू स्मारक संग्रालय और लाइब्रेरी मौखिक इतिहास विभाग, 25 अगस्त, 1986, पृष्ठ 68)

इसी साक्षात्कार के दौरान आपने स्पष्ट शब्दों में कहा :

''आजाद हिन्द फौज ने जो काम किया, उसका बहुत बड़ा असर हुआ। वह जो 'ट्रायल' यहां लालकिले में हुआ, उससे जो सरकारी मुलाजियत था, जितने लोग फौज में थे, उन सबके दिल में एक बगावत पैदा हुई।'' (इन्टरव्यु – चौधरी रणबीर सिंह, नेहरू स्मारक संग्रालय और लाइब्रेरी मौखिक इतिहास विभाग, 25 अगस्त, 1986, पृष्ठ 39)

इसी बिल के साक्षात्कार में आगे चलकर माना था कि,

''एक तरह से यह ठीक है कि फौज से जीतकर हमने देश को आजाद नहीं किया। उस तरह की हार जीत तो नहीं हुई। हमें तो शांति से सत्ता का हस्ताक्षरण किया। आजाद हिन्द फौज ने जो लड़ाई लड़ी और आजाद हिन्द फौज पर जो मुकदमा चला, उससे देश में बहुत जागृति हुई।'' (इन्टरव्यु – चौधरी रणबीर सिंह, नेहरू स्मारक संग्रालय और लाइब्रेरी मौखिक इतिहास विभाग, 25 अगस्त, 1986, पृष्ठ 55)

आपने देहली डिवलपमेंट (एमेंडमेंट) बिल, 1976 पर बहस में भाग लेते हुए–प्लाट एलाटमेंट करने के लिए प्राथमिकता देने की बात कही, वहां पर जनरल शाहनवाज खां का भी जिक्र किया और बताया कि कुछ समय पहले वह लालकिले में मुलाजिम बने खड़े थे (आईएनए ट्रायल) और यह पता नहीं था कि गोली के शिकार होंगे या नहीं। इस बात पर आपने कहा था,

'जिन भाईयों ने जेल काटी है और फौज के अन्दर लड़े, आजाद हिन्द फौज में अपनी जान का जोखिम उठाया, वह भाई दिल्ली में डीडीए से कोई मकान मांगे या प्लाट मांगे तो उनको प्राथमिकता देनी चाहिए।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, 15 जनवरी, 1976, पृष्ठ 308)

सैनिकों के लिए उनके हृदय में प्रारम्भ से टीस थी और उन्होंने संविधान सभा में प्रश्नोत्तर काल में भाग लेते हुए, रक्षामंत्री से सीधा प्रश्न किया था कि 27 फरवरी, 1946 को सिगनल कोर की 2 टी बटालियन में जबलपुर में कुछ कर्मचारियों ने ब्रिटेनराज के विरूद्ध एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था और इस बारे में कुछ सैनिकों को कार्यमुक्त कर दिया गया था और आगे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। क्या सरकार इन मासूमों को दोषमुक्त करेगी या नहीं? रक्षामंत्री ने उत्तर दिया था :

''27 फरवरी, को जबलपुर में ब्रिटिश राज के विरूद्ध कोई मिश्रित निश्चित विरोध गोष्ठी नहीं थी। यद्यपि कुछ सिगलन कर्मचारियों द्वारा अपनी सैन्य शिकायतों सम्बंधी एक बगावत जरूर की गई थी, जो खाने में कभी भी धृष्ट राशन जैसे गुड़, आटा, खाना सम्बन्धी शिकायतें, जरूर कि साथ जो थी रूपी तथा देखरेख एवं आगमन के साधनों की कमी आदियों लेकर बगावत की गई थी, इन बागियों में से 17 का कोर्टमार्शल, 27 को प्रशासनिक तौरपर बरखास्त तथा 62 को सेवा मुक्त कर दिया गया था। आजतक सरकार ने भी उन्हें नौकरियों के लिए अयोग्य माना है और उनपर इसे प्रतिबन्ध को दूर नहीं कर रही है।''

(संविधान सभा में चौधरी रणबीर सिंह,, 9 अप्रैल, 1948 पृष्ठ 204)

चौधरी रणबीर सिंह स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1952 में होने वाले आम चुनाव के विषय पर बहस में भाग ले रहे थे। चुनाव में रिटर्निंग अफसर के लगाने की बात चल रही थी। उन्होंने कहा कि :

''सरकारी अफसरान को रिटर्निंग अफसर लगाया जाए। लेकिन, वह सरकारी अफसरान सिविल के नहीं हों, बल्कि मिलिट्री के हों। – मिलिट्री अफसरान को रिटर्निंग अफसर लगाया जाए। अगर उनको इस काम के लिए लगाया जाएगा तो इलेक्शन ठीक ढ़ंग से होगा। इसके ज्यादा चांसिस होंगे कि फौज के अन्दर उनकी मर्यादा या रेपुटेशन के अन्दर चलना सिखाया जाता है और उनको डिसीपलेन के अन्दर रहकर काम करने की आदत है। कायदे कानून को तोड़ते हुए वे बहुत घबराते हैं। भले ही आप प्राईजेडिंग अफसर सिविल से लगा लें। लेकिन रिटर्निंग अफसर मिलिट्री का होना चाहिए।'' (अंतरिम संसद (संसदीय बहस), 15 मई, 1951, पृष्ठ 8768)

कालाधन

टैक्सेशन लॉ (अमैण्डमेंट) बिल 1972 पर राज्यसभा में बहस में भाग लेते हुए, आपने काले धन और करों की चोरी के विषय में स्पष्ट तौरपर कहा था कि :

''जहां तक काले धन और करों की चोरी का संबंध है, किसी को उनके साथ हमदर्दी नहीं हो सकती, जोकि काला धन रखते हैं या करों की चोरी करते हैं। लेकिन इस देश के अन्दर समाज का एक बहुत बड़ा अंग है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जोकि जायदाद को खरीदते बेचते हैं। लेकिन न ही वे करों की चोरी करते हैं और न ही उनके पास काला धन है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 23 अगस्त, 1972, पृष्ठ 225)

पब्लिकेशन ऑफ पोलिटिकल पार्टी एकाऊंटस बिल पर राज्यसभा में याद दिलाया था कि देश में कालाधन अपनी प्रकार का एक धन है। कहा था कि :

''जो हमने संविधान बनाया था, उसके अन्दर सारी बातों को सोचा था कि कौन सी बात चल सकती है या नहीं चल सकती। उसको भी सोचा था। उद्देश्य बहुत अच्छा है पितम्बर दास जी का। लेकिन, वह चल नहीं सकता। अभी शक जाहिर किया जाता है कि जो विदेश से पैसा आता है, वह लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा। विदेश की बात आप कहां करते हैं? आप तो यह कहते हैं, यहां पर दो किस्म की करैंसी है, देश के अन्दर दो किस्म का रूपया चलता है, एक चोरी का पैसा काला धन और एक सफेद धन चलता है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, *24 नवम्बर, 1972, पृष्ठ 178)*

वालिन्टयरी डिस्क्लोजर उनका इन्कम एण्ड वैल्यू बिल 1976 पर

बहस में भाग लेते हुए चौधरी साहब ने गहराई से इस बिन्दू पर विचार करते हुए कहा था :

''यह भी कहा जाता है कि कालाधन इसलिए इक्कठा होता है कि क्योंकि 97 परसेंट टैक्स लगता है, जो बड़े–बड़े कारखानेदार हैं, वहां पर एक्साइज डूयूटी के इंस्पेक्टर्स और स्टेट पुलिस बैठी रहती है, क्योंकि वहां से कालाधन निकल नहीं सकता है, तो उसमें कालाधन बनता है और कालाधन तभी बनता है, जब कारखानेदार गलत ढ़ंग से व्यापार करते हैं और सामान को अपने रिश्तेदारों के पास रखते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि हिन्दुस्तान में कालाधन पैदा होने के कई तरीके हैं। लेकिन, सरकार ने इस संबंध में जो नीति बदली है, उसके परिणामस्वरूप काफी कालाधन बाहर आया है और लोगों ने अपनी सम्पति के आंकड़े दिए हैं।''

(संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, *22 जनवरी, 1976, पृष्ठ 192–93)*

बाढ़ का प्रकोप

राज्यसभा में बेतवा रिवर बोर्ड (अमेंटमेंट) बिल, 1977 पर बहस में भाग लेते हुए, आपने बाढ़ के प्रकोप की ओर ध्यान दिलाने हेतु कहा :

''मैं आपत्ति करता हूँ कि इस विधेयक के इंट्रोड्यूस करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ये फौज की मदद लेकर ढ़ांसा बांध को ऊंचा करके रोहतक जिले को, जो सेना को सबसे ज्यादा अन्न देता है, डुबो रहे हैं। रोहतक जिले को लेक कहते हैं तो मैं आपत्ति करता हूँ कि इस किस्म का विधेयक पेश करे। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, *9 अगस्त, 1977, पृष्ठ 37)*

उसी दिन यानी कि 9 अगस्त, 1977 को ही, आगे बोलते हुए यह बात फिर से दोहराई और हरियाणा के हितों पर कहा था :

'मंत्री महोदय ने ढ़ांसा से लेकर ढ़ांसा लेक जैसी कोई चीज नहीं है, वहां गांव बसते हैं हरियाणा के। देश की रक्षा के लिए इस हरियाणा के हजारों जवानों ने कुर्बानी दी, अफसरों ने कुर्बानी दी। फौज की मदद लेकर इसी हरियाणा को डुबोने की सरकार की कोशिश की जिसका सही इलाज हो सकता है, वह इन्होंने नहीं किया। यह बात हरियाणा के हितों के खिलाफ थी। वहां पर जो रेगुलेटर था, उसमें से 6 हजार क्यूटिक्स पानी जाता है, लेकिन उसमें आएगा ही 6 हजार क्यूसिकस पानी छोड़ दिया जाता तो कम पानी इक्कठा होता, ऐसा न करने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से गाँवों में बाढ आ गई। सेंट्रल कैबिनेट में हरियाणा का कोई भी नुमाइन्दा नहीं है, जिस तरह से किसी व्यक्ति का कोई वालीवारिस नहीं होता तो उसे कोई नहीं पूछता। यह जनता की सरकार हरियाणा का भला नहीं कर सकती।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–दो, *9 अगस्त, 1977, पृष्ठ 226–27)*

शास्त्री जी से अंतिम मुलाकात

बात वर्ष 1965 की है जब भारत पाक युद्ध बन्द हो गया था। इन दिनों हिन्दी रिजनल कमेटी की बैठक हुई थी। मैंने अपना विचार रखते हुए कह दिया था कि इससे तो अच्छा हो कि पंजाब का बंटवारा ही हो जाए। यह बात मैंने कामरेड रामकिशन को कही थी। क्योंकि मैं हरियाणा प्रान्त बनने के हक में था और हरियाणा के नुमाइन्दों में सबसे सीनियर भी था। रामकिशन जी ने मेरे विचार पसंद नहीं किए। मैनें कहा ठीक है कि हम ऐसे हैं जिनका कोई राजनैतिक विचार नहीं है। इसी बात पर कामरेड रामकिशन ने मेरी शिकायत लाल बहादुर

शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, कर दी थी। वे ताशकन्द जा रहे थे।

''मैं जब हवाई अड्डे पर मिलने के लिए गया तो वे मेरे से कहने लगे भाई, आपका पंजाब के बारे में क्या खयाल है? मैंने उनसे कहा था शास्त्री जी खयाल की बात छोड़िए। हम तो पार्टी के वफादार सिपाही हैं। आप हमको बताएं कि आपकी क्या राय है? आप जो कहेंगे, चाहे हमको उसमें राजनीतिक नुकसान हो या फायदा हो, वह हम मानेंगे। अपनी राय मानने के लिए हम पार्टी का नियम नहीं तोड़ेंगे। परन्तु अपनी निजी राय जरूर बतायेंगे। उन्होंने कहा था कि अच्छा तो फिर मैं वापिस आकर बात करूंगा। फिर वे तो भगवान को प्यारे हो गए। वापिस आकर बात नहीं हुई।'' (इन्टरव्यु – चौधरी रणबीर सिंह, नेहरू स्मारक संग्रालय और लाइब्रेरी मौखिक इतिहास विभाग, 25 अगस्त, 1986, पृष्ठ 63)

हरियाणा विधानसभा में

सैनिकों के विषय में चौधरी रणबीर सिंह ने अपनी भावनाएं दिल की गहराईयों से सदन में रखने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। असल में वे सेना व सैनिकों की कुर्बानियों की कद्र करते थे। हरियाणा विधानसभा में 15 जुलाई, 1968 को ब्रिगेडियर रणसिंह के स्पीकर के चुनाव उपरांत उनको बधाई देते समय चौधरी रणबीर सिंह ने सेना के जवानों और उनकीं शहादत के विषय में जिक्र किया था,

''हरियाणा के बहादुर सिपाहियों ने और बहादुर अफसरों ने हमारे देश की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहकर अपना हाथ बटाया और हरियाणा प्रान्त का नाम ऊंचा किया। हमारे बहुत से जवान जिनमें, आपके अपने सुपुत्र भी थे, देश की रक्षा हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर करते भगवान को प्यारे हुए। हरियाणा के बहादुर जवानों ने हमारे देश की रक्षा की। यही कारण है कि उन सबकी

प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए इस सदन के बाकी तजुर्बेकार सदस्यों को छोड़कर हमारे दल ने आपको अध्यक्ष पद के लिए चुना। मैं तो सोचता था कि जब मुख्यमंत्री आपका नाम पेश करेंगे तो राव बिरेन्द्र सिंह जी जो हमारे विरोधी दल के नेता हैं और फौजी अफसर भी रहे हैं, इसकी ताईद करने के लिए खड़े होंगे। मैं फौजी जवानों और अफसरों की भावनाओं को बखूबी समझता हूँ। मैं फौजी तो नहीं रहा, लेकिन, फौजी अफसर का बाप और फौजी अफसर का दोहता जरूर हूँ। लेकिन, स्पीकर साहब आप तो फौजी अफसर रहे हैं, इसलिए राव साहब को आपका समर्थन तो करना ही चाहिए था।''

आपने आगे चलकर कहा था कि :

''मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारे सदन का काम शांति से चलेगा और जिस तरह से हमारे फौजी अफसरान और जवानों ने हिन्दूस्तान के अन्दर हरियाणा का नाम रोशन किया है, उसी तरह यह असेम्बली अपना नाम रोशन करेगी।'' (हरियाणा विधानसभा, 15 जुलाई, 1968, पृष्ठ (1) 9)

पक्षपात विरोधी

चौधरी साहब पक्षपात के घोर विरोधी थे। उन्होंने वर्ष 1970 की सप्लीमैन्ट्री ग्रान्ट्स (फर्स्ट इंस्टालमेंट) के ऊपर चल रही बहस में भाग लेते हुए कहा था कि रोहतक जिले के बटवारे में अलाटमेंट ऑफ फण्ड्स के विषय में पक्षपात हो रहा है। उन्होंने कहा था :

''पक्षपात की इतनी हद नहीं होनी चाहिए। रोहतक हरियाणा का एक अहम जिला है और रहेगा भी। रोहतक की अहमियत को कोई मिटा नहीं सकता और कोई सोचता है तो वह गलती पर है। मैं यह नहीं कहता कि हिसार, करनाल, जीन्द व गुड़गांव की तरक्की न करो। आप पिछड़े हुए इलाकों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च

करो। लेकिन, पक्षपात न करो। यदि मैं चाहता, जब मैं मिनिस्टर था तो मैं अपने इलाके को पिछड़े इलाकों की सूची में शामिल करवा सकता था। लेकिन, मैं क्योंकि पक्षपात नहीं चाहता था, इसलिए ऐसा नहीं किया।''

(हरियाणा विधानसभा, 26 अगस्त 1970, पृष्ठ (2) 174)

दिल का दर्द

भारत की पहली और दूसरी लोकसभा के दस वर्ष तक सदस्य रहे। बहुत काम नहीं हुए। यह उनको खलता था। लोकसभा सदस्य के नाते उस समय की पंजाब सरकार कम ध्यान देती थी। आम जनता में यह भ्रम था कि चौधरी साहिब लोगों की कम परवाह करते हैं। लेकिन, चौधरी रणबीर सिंह ने यह बात तब कही थी, जब वे हरियाणा विधानसभा के सदस्य थे और इससे पूर्व 1962 से 1966 तक पंजाब में मंत्री रहे। फरवरी, 1970 में उन्होंने जिक्र किया कि मुझे बड़े–बड़े इंजीनियरों के साथ काम करने का मौका मिला और उन्होंने ऐसी कुछ बातें बताई कि हैरानी हुई। उन्होंने कहाः

''एक बात मैंने अजीब पाई , वह यह है कि वे सैटअप के साथ बदलते हैं। जब मैं मिनिस्टर बना (हरियाणा बनने से पूर्व) तो मैंने देखा कि लोकसभा के मैम्बर की हैसियत से मैंने जो कोई चिठ्ठी लिखी थी, उसपर भी अब आकर एक्शन शुरू हो गया। जबकि पहले पाँच या दस साल में कोई एक्शन नहीं लिया गया था।'' (हरियाणा विधानसभा, 20 फरवरी, 1970, पृष्ठ (6) 90)

मुख्यमंत्री से नोंकझोंक

हरियाणा विधानसभा में चौधरी रणबीर सिंह कुछ अधिक सवाल पूछते नजर आए। 9 फरवरी, 1971 को एक प्रश्न का उत्तर सरकार

से नहीं बन पड़ रहा था। उस समय के मुख्यमंत्री ने कहा, *''दूसरे मैम्बर भी बैठे हैं। एक ही मैम्बर तो नहीं है, हाऊस में स्पीकर साहब।''*

इस पर चौधरी साहब ने पलटवार किया और कहा था कि, '' अध्यक्ष महोदय, यह मेरा एक प्रिविलेज है, जिसको मुख्यमंत्री जी दबा नहीं सकते। ये खामखाह उकसाते हैं। जितना मुझको छेड़ेंगे, उतना ज्यादा मैं इनको खराब करूंगा।'' (सदन में हंसी का माहौल।) (हरियाणा विधानसभा, 9 फरवरी, 1971, पृष्ठ (2) 9)

16 फरवरी, 1971 को दी हरियाणा एप्रोप्रियशन बिल पर बहस के दौरान सदन का ध्यान कुछ आंकड़ों की ओर दिलाना चाहते थे। उसी दौरान एक सदस्य ने चुटकी ली और कह दिया कि,

''एक आवाजः चौधरी साहब, आंकड़ों को छोड़ो, क्या रखा है इनमें?''

आपने पलटवार करते हुए उत्तर दिया :

''मैं खान साहब तो नहीं हूँ जो आंकड़ों को छोड़ दूं। मेरा नाम चौधरी रणबीर सिंह है।'' (विघ्न)। वे सभी आंकड़े पेश किए और कहा कि *''उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि हमारा काम किस तरह चलता है। पिछले साल 1970–71 के अन्दर जो हमने कर्जे लिए, वह 50 करोड़ 65 लाख रूपये के थे और जो कर्ज वापिस किया, वह 39 करोड़ 33 लाख का था (ब्याज)। इसका मतलब यह है कि अंगूठा तो हमने 50 करोड़ 33 लाख पर लगाया, लेकिन हमें दरअसल मिला 11 करोड़।''*

इसी सिलसिले में उन्होंने आगे चलकर कहा कि सन् 1971–72 का हिसाब भी लगाकर देखो, जो इस प्रकार है :

''हमको दरअसल, जो मिलेगा, वह 18 करोड़ के लगभग

मिलेगा, जबकि हमने पिछले साल 11.52 करोड़ मिला था। अगर यही रफ्तार चलती रही तो कभी ऐसी हालत आ जाएगी कि हम अंगूठा तो लगाएंगे, मगर पैसा हमको नहीं मिलेगा। यह बड़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है।'' (हरियाणा विधानसभा, 16 फरवरी, 1971, पृष्ठ (9) 11)

एप्रोप्रियेशन नं. 5 बिल, 1972 पर राज्य सभा की चर्चा में भाग लेते समय श्री जगदीश प्रसाद यादव चौधरी साहब को बीच–बीच में छेड़ते रहते थे। चौधरी साहब जब बोल रहे थे तो टाईम बैल बज पड़ी तो जगदीश प्रसाद ने कहा :

''हो गया, हो गया बैठिये।''

इस वक्त तक चौधरी साहब तंग आ चुके थे, उन्होंने कहा, *''आप जैसे बैठाने वाले कितने आए और कितने चले गए और चले जाएंगे। आपको तो मैं जानता हूँ। मैं किसी सदस्य के बारे में कुछ नहीं कहता।''* उन्हें यहां तक कहना पड़ा कि, *''जरा सुनो! क्यों गला फाड़ते हो?'* (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 4 दिसम्बर, 1972, पृष्ठ 216–218)

राज्यसभा में इस प्रकार से नवल किशोर ने, जो प्रायः उपहास उड़ाने में यकीन रखते थे, चौधरी साहब को दिमाग की खिड़की खोलने की बात कही तो चौधरी साहब ने कहा कि हम तो ग्रेजुएट हैं, यदि खिड़की खोलनी है तो अपनी खोलिए, जिससे हमें खुशी होगी। हम आपके लिए हौवा हैं। नवल किशोर का साथ देते हुए लोकनाथ मिश्र ने जानना चाहा कि कौन सी यूनिवर्सिटी के ग्रेजूएट हो। चौधरी साहब ने तपाक से कहा :

''दिल्ली का और अगर चाहें तो साल भी बता दूं। जिस समय आप नाटक किया करते थे, उस समय में वहां नाटक कराता था। अब

आपने शुरू किया है। उस काम में मैं बहुत ज्यादा आगे हूँ।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 15 दिसम्बर, 1972, पृष्ठ 166)

पंजाब विधानसभा में जब रूल 34 के तहत बाढ़ की स्थिति पर बोल रहे थे तो आपने बाढ़ पीड़ितों के विषय में जिन सदस्यों ने भाग लिया था उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए अपने गाँव की स्थिति का बयान इस प्रकार से किया था :

''मैंने तो बाढ़ों को बचपन से ही देखा है और अपने गाँव को बचपन से लेकर आज तक दसों दफा जजीरा बनते देखा है और इस साल भी वह जजीरा बना। मेरे हल्के के 75 फीसदी गाँव ऐसे हैं, जिनपर बाढ़ का बहुत बुरा असर पड़ा है। इसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन बाढ़ों की तकलीफ मेरे दिल के अन्दर कितनी हो सकती है और कितनी है।'' (पंजाब विधानसभा, 26 सितम्बर, 1963, (13) 114)

आपने अपने भाषण में उन सब लोगों की सराहना की, जिन्होंने उस कष्ट के समय में सहायता की थी, चाहे भारत सरकार के ऊंचे अधिकारी थे अथवा पंजाब सरकार के इंजीनियर थे। आपने कहा था :

''मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सैन्ट्रल वाटर एण्ड पॉवर कमीशन के चेयरमैन और चीफ इंजीनियर एससी और दूसरे कर्मचारी इस काम में सतर्क रहे हैं और बराबर चक्कर लगाते रहे हैं। मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि कई एक्शियन और एसीज और ड्रेन के बैंक पर ही कई–कई रात सोये हैं। दूसरे कर्मचारियों का तो कहना ही क्या है।''

(पंजाब विधानसभा, 26 सितम्बर, 1963, (13) 114–115)

संविधान सभा

भारत के विभाजन से पूर्व जब संविधान सभा का गठन हुआ तो सदस्यों की संख्या 389 थी। इनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश इण्डिया से थे, जोकि 25 कमीशनरियों के अन्तर्गत आते थे। इसके अलावा 4 सदस्य चीफ कमीशनर प्रान्तों के थे और शेष सदस्य देशी रियासतों के थे। इसके बारे में यह कहा गया था कि इन्हें कोई हटा नहीं सकता था। विभाजन के उपरान्त जब पंजाब, बंगाल व असम का बंटवारा हुआ, उन सूबों के सदस्यों का चुनाव दोबारा किया गया था। क्योंकि, उनमें से कुछ तो पाकिस्तान चले गए थे।

इस सदन के बारे में चौधरी साहिब एक दूसरी दिलचस्प बात बताते हैं कि जब संविधान सभा का काम खत्म हुआ तो यह सभा 'सायनाडाई एडजर्न' हुई थी। इसे 'डिजोल्व' नहीं किया गया था। हमारे एक साथी तो आज तक भी यह मानते हैं कि हम लोग आज भी संविधान सभा के सदस्य हैं। अभी भी जब हमें स्पीकर की कोई चिठ्ठी आती है तो एक्स मैम्बर नहीं लिखते हैं, बल्कि मैम्बर, कांस्टीच्यूएंट असैम्बली ऑफ इण्डिया लिखते हैं। उनको दरअसल बदला नहीं जा सकता। वह न हिन्दुस्तान के अवाम की बस की बात है और न कांग्रेस पार्टी के बस की बात थी। *(इन्टरव्यु – चौधरी रणबीर सिंह, नेहरू स्मारक संग्रालय और लाइब्रेरी मौखिक इतिहास विभाग, 25 अगस्त, 1986, पृष्ठ 52–53)*

संविधान सभा के सभापति भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते थे, बल्कि कांग्रेस के प्रधान होते थे। आचार्य कृपलानी उन दिनों कांग्रेस के प्रधान थे। विभाजन के बाद जब पंजाब का दोबारा चुनाव हुआ तो जो हरियाणा है, उसके कुछ नेता आचार्य कृपलानी से मिले और कहा था कि हमारी नुमायन्दगी कम है, हमारा और नुमायन्दा होना चाहिए। आपने बताया कि :

''कृपालानी को जरा कटाक्ष करने की आदत थीं। आचार्य कृपलानी ने कहा था कि यहां तो कुछ आदमियों की चलती है। यह वही आदमी थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। जो हमारे देश के नेता थे सरदार पटेल, पं. जवाहर लाल नेहरू, केबिनेट के भी सारे आदमी..... । उन्होंने कहा कि बाकी तो सब गधे हैं, तुम भी अपना कोई गधा बंधवा सकते हो तो बंधवा लो।'' इन्टरव्यु – चौधरी रणबीर सिंह, नेहरू स्मारक संग्रालय और लाइब्रेरी मौखिक इतिहास विभाग, 25 अगस्त, 1986, पृष्ठ 52–53)

विशेषज्ञ

चौधरी रणबीर सिंह ग्रामीण परिवेश से थे। ग्रामीण वेश–भूषा थी। सीधे–सादे स्वाभाव के थे। बेमतलब का दिखावा उनकी प्रवृति से बाहर की बात थी। किन्तु जहां आत्मसम्मानी किसान थे वहां अपने विचार पर भरोसा भी पक्का था और वक्त पड़ने पर कह भी देते थे।

अन्तरिम संसद में 23 फरवरी 1951 को रिजर्व बैंक संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी। इसमें भाग ले रहे थे। अपनी बात समाप्त करते हुए जो कहा वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उनके नजरिये की सटीक झलक देता है। उन्होंने कहाः

''मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मंत्री महोदय, वित्त के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और मेरी हर एक बात को जानकार न मानते हुए हंसी में टाल देते हैं। यह ठीक हो सकता है कि मैं उन जैसा विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन, मेरा यह दावा जरूर है कि जो हिन्दुस्तान में अपने को विशेषज्ञ कहते हैं, वह शायद किसी औद्योगिक राज्य के लिए विशेषज्ञ हों। लेकिन, हमारे देश के लिये वह कहां तक विशेषज्ञ हैं, इसमें मुझे शक है।''

8 रुतबा

24 मार्च, 1975 की बात है जब राज्यसभा में एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस हो रही थी। यह सांय पांच बजे के बाद का समय था। चौधरी रणबीर सिंह ने इसके हक में बहुत देर तक अपनी बात कही और विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए आंकड़े भी पेश किए थे।

इस स्पीच को सुनकर श्री एम.जी. गोरे ने कहा था कि :

"We have heard a wonderful speech on the appropriation Bill." (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 24 मार्च, 1975, पृष्ठ 132)

22 दिसम्बर, 1973 के दिन एप्रोप्रियसन बिल, 1973, नं. 4 व 5 पर राज्य सभा में बहस चल रही थी। उसमें भाग लेते समय जब चौधरी रणबीर सिंह खड़े हुए तो श्री भूपेश गुप्ता ने कहा था,

'Sole speaker of the Congress Party now a days, go on and ....' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 22 दिसम्बर, 1973, पृष्ठ 61)

27 नवम्बर, 1974 के दिन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (अमैन्डमैन्ट) बिल, 1974 पर राज्य सभा में हो रही चर्चा में भाग लेते समय चौधरी साहब ने बहुत से आंकड़ों का प्रयोग किया था। स्पीच समाप्त होते ही

उस समय की वित्त विभाग की डिप्टी मिनिस्टर श्रीमती सुशीला रोहतगी ने कहा था :

''मान्यवर मैं पहले बधाई दूंगी, माननीय सदस्य को। उन्होंने रिजर्व बैंक के विमाग की बात कही। वे अपने दिमाग में इतनी इन्फरमेशन का रिजर्व रखते हैं कि वक्त, बेवक्त जब भी जरूरत होती है अपने ज्ञान से सारे सदन को लाभान्वित कर देते हैं।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 27 नवम्बर, 1974, पृष्ठ 166)

25 जुलाई, 1975 को कंजर्वेशन ऑफ फोरेन एक्सचेंज एण्ड प्रिवेंशन ऑफ स्मलिंग एक्टिीविटीज (अमैन्डमैन्ट) बिल, 1975 पर राज्य सभा में चर्चा के दौरान भाग लेते हुए चौधरी रणबीर सिंह ने नाजायज तरीके से जायदाद बनाने वाले लोगों की उस जायदाद को जब्त कर लिया जाना चाहिए– यह सलाह वित्त मंत्रालय को दे रहे थे। अंतिम लंबी स्पीच के बाद तत्कालीन मिनिस्टर ऑफ स्टेट वित्त मंत्रालय (अब राष्ट्रपति) श्री प्रणव मुखर्जी ने कहा था –

"I am greatful to the Honorable member (Chaudhry Ranbir Singh) fourceful arguments, but unfortunately neiather am I to bring socialsm through this piece legislation nore am I responsible for land ceilings and all these things. The only relavent point with which I am concerned is, he has mentioned particularly about some officers of Rohtak. I would like to have the details. If he can kindly give it to me. I would look in to it regarding attachment of property or confiscea tion. I have allready explant what steps we are goint to take." The bill was passed. (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 25 जुलाई, 1975, पृष्ठ 84)

15 दिसम्बर, 1972, इन्कवारी इन टू दी एक्टीविटिज ऑफ फॉरेंन इनटैलीजैंस एजेंसिंज के विषय पर राज्य सभा में चर्चा हो रही थी। चौधरी रणबीर सिंह ने उस चर्चा में बढ़चढ़कर भाग लिया। बेशक उनको छेड़खानी करके श्री नवल किशोर द्वारा उपहास भी उड़ाने का प्रयास किया गया। इसके लिए नवल किशोर का साथ लोकनाथ मिश्र ने भी दिया। आपको कम पढ़ालिखा भी समझा गया और कहा गया। लेकिन अंत में उस समय के मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री राम निवास मिर्धा ने उनकी चर्चा को सराहा था और कहा था कि :

Sir, I have listened with great care the speeches made by the Honorable members today....The speech of Chaudhry Ranbir singh gave the most devastating reply to some of the argunments advanced during the course of debate." (संसदीय बहस (कार्यवाही राज्यसभा 1972–78), भाग–एक, 15 दिसम्बर, 1972, पृष्ठ 170)

15 मार्च, 1961 के दिन जनरल बजट की बहस में हिस्सा लेते हुए छोटे बड़े कारखानेदारों की बात हो रही थी। वे समाजवादी नीति की सराहना कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रोहतक में बाढ़ का बहुत पानी आया है और दिल्ली होते हुए जमुना नदी में चलाया जाता है, इसका जिक्र करते हुए बता रहे थे कि पंजाब सरकार ने एक करोड़ रूपया खर्च करके बदरो (ड्रेन) खोदने का फैसला किया है। साथ ही यह भी कह दिया कि दिल्ली और राजस्थान के साथी बिजली लेना चाहते हैं, पीने का पानी लेना चाहते हैं, लेकिन बरसात का पानी दिल्ली और राजस्थान में नहीं आने देना चाहते। बीच में चुटकी लेते हुए नवल प्रभाकर ने कहा था कि दिल्ली को डुबोने के लिए नहीं आना चाहिए। चौधरी साहब ने उत्तर दिया था और झट से कहा था, *''बदरो का पानी हम चाईना में तो भेज नहीं सकते। मुझे यह कहना है कि हम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को इतना ज्यादा पैसा दे देते हैं कि इसके*

साथ–साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। आज उनको इतना मौका नहीं देना चाहिए कि आज वह हमारी तरक्की के रास्ते में खड़े हों। (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 15 मार्च, 1961, पृष्ठ 5193)

मजदूरों को उचित वेतन पर

न्यूनतम वेतन (संशोधन) बिल पर लोकसभा में बहस के दौरान आपने जोर देकर कहा था कि काम करने वालों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर वह फालतू काम करता है तो उसे क्यों न फालतू मजदूरी मिले? आपने कहा था कि :

''जिस तरह सैन्ट्रल गर्वनमेंट अपनी जगह पर है, राज्य सरकारें अपनी जगह पर हैं। उसी प्रकार से नगरपालिकाएं और जिला बोर्ड भी अपनी जगह पर वहीं काम कर रहे हैं। अगर सरकार का कोई हिस्सा अपने मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देता तो वह अच्छी बात नहीं है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 11 दिसम्बर, 1959, पृष्ठ 4738)

यूं तो हरियाणा विधानसभा में प्रायः प्रश्नोत्तरकाल में कभी नहीं झिझके और खुले प्रश्न किया करते थे। लेकिन, कभी कभी तो अहसास होता था कि मानों वे विरोधी पक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं। एक दिन मुख्यमंत्री ने सदन में ऐसा कह दिया। यह फरवरी, 1971 में दी पंजाब शुगरकेन (रेगूलेशन ऑफ परचेज एण्ड सप्लाई) हरियाणा अमैन्डमेंट बिल, कृषि मंत्री ने मूव किया था, जिस पर गरमागरम बहस हो रही थी। चौधरी रणबीर सिंह ने सरकार को चेतावनी दी थी कि ड्यूटी माफ करते समय सरकार सहकारी शुगर मिलों का सहारा लेकर प्राइवेट सैक्टर की मिलों को भी माफ कर देती है, जो ठीक नहीं है। यह नाजायज रियायत है। सबके साथ एक सा बर्ताव करने की आड़ में चीफ मीनिस्टर साहब चंदा इक्कठा करने की खातिर रियायत

करते हैं, जिससे हमारी पार्टी के बदनाम होने का डर है। बीच में टोकते हुए मुख्यमंत्री ने कह दिया कि,

'वहां से चौधरी साहब ही चंदा लेने गए होंगे।...कायदे कानून लागू होंगे वे सबके लिए एकसा लागू होंगे।''

इस पर चौधरी रणबीर सिंह ने बड़ी निडरता तथा स्पष्ट रूप में चीफ मिनीस्टर को चैलेंज करते हुए कहा था कि :

'मुझे अफसोस है कि हमारे मुख्यमंत्री जी लीडर ऑफ दी हाऊस हैं। उन्हें ऐसी भाषा की आदत हो गई है, जोकि उनको बोलनी नहीं चाहिए। जो भी कोई दूसरा चीफ मीनिस्टर आएगा, तभी इसका भण्डा खुल सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने यह शब्द मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, वे बिल्कुल निराधार हैं, गलत हैं। अगर मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी सरकारी कागज हो या अन्य कोई शिकायत हो तो मैदान में लाएं।''

इस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा था :

''अगर आपके पास सबूत है और सरकार ने चंदा लिया है तो बताएं। आप तो सरकार को बदनाम करने पर लगे हैं। सरकार को बदनाम करने के लिए ओपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं।'' (हरियाणा विधानसभा, 16 फरवरी 1971, पृष्ठ (9) 72)

पीछे पड कर काम करवाना

यह सन् 1952 की बात है, जब भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमंत्री थे। रोहतक शहर में कुछ हरिजनों के मकानों की जमीन छीननी शुरू कर दी गई थी। क्योंकि शहरों की जमीन के लिए पंजाब असेम्बली को कानून बनाने का अधिकार नहीं था। रीहैबीलेटेशन मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। मेहरचन्द खन्ना केन्द्र में मंत्री थे। मैंने उन

हरिजनों की तकलीफ के विषय में बात की थी, जिनमे मकान गिराये जा रहे थे। खन्ना जी मुझे टरका कर चले गये। चालाक आदमी थे। मैंने भी इस बात को समझ लिया और फौरन ही पंडित नेहरू से समय मांगा और मिल गया। पंडित जी का मेरे साथ प्यार था। उन्होंने हंसकर मेरी बात मानी और हरिजनों की जमीन नीलाम होने से बच गई। इससे खन्ना साहब मेरे से बुरा मान गये, क्योंकि पंडित जी ने उस विषय में सख्त पत्र लिख दिया था। मुझे एक दिन कहने लगे, सीधे पंडित जी के पास क्यों जाते हो? वहां क्यों गये थे? यदि प्रधानमंत्री नाराज हो जाते तो मेरी नौकरी चली जाती। तुम्हें वहां जाकर बात नहीं करनी चाहिये थी। मैंने कहा कि मैं क्या करता? आपने तो मेरी बात सुनी नहीं। *(इन्टरव्यु – चौधरी रणबीर सिंह, नेहरू स्मारक संग्रालय और लाइब्रेरी मौखिक इतिहास विभाग, 25 अगस्त, 1986, पृष्ठ 44)*

एक तलख टिप्पणी

इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोग्राम के संबंध में संसद में सोच विचार हो रहा था। चौधरी रणबीर सिंह को संसद में इस समय तक लगातार 12 वर्ष हो चुके थे। उनकी पहचान किसानों के नुमाइन्दे की हो गई थी। वे चाहते थे कि किसानों की भलाई के लिए कुछ कर पायें।

बहस में भाग लेते हुए उन्होंने लायलपुर (पाकिस्तान) एग्रीकल्चर कॉलेज के जो प्रिंसीपल रहे थे, उनका जिक्र किया और बताया था कि राव बहादुर चौधरी रामधन सिंह*, जिन्होंने सी–591 नंबर का गेहूं ईजाद किया था और वे महान कृषि विशेषज्ञ थे। इसी तरह से उन्होंने खेतीबाड़ी की रिसर्च का भी बड़ा काम किया था, जिससे पंजाब प्रान्त को बहुत फायदा हुआ था। जिससे हम सिर ऊंचा करके रख सकते हैं। उन्होंने कहा :

''लेकिन हम देखते हैं कि हमारी कौंसिल है। एग्रीकल्चर रिसर्च और इंस्टीच्यूट हैं। लेकिन, उनके ऐसे सज्जनों को, जिन्होंने देश की सेवा की है, इनमें कोई नाम नहीं है।''

उन्होनें आगे चलकर कहा कि दूसरे देशों के अन्दर 70 वर्ष तक जो लोग रिसर्च का काम करने वाले हैं, उनका फायदा उठाते हैं। हमारे देश में भी ऐसे महान वैज्ञानिकों से फायदा उठाया जाये। उन्होंने दुःख भरे मन से संसद के सम्मुख कहा कि :

'''लेकिन बदकिस्मती से हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारी कौंसिल के अन्दर मनोनयन होता है और राष्ट्रपति जी राज्यसभा में भी नोमिनेशन करते हैं, वहां आपके बड़े अच्छे गाने वालों और नाचने वालों के लिए जगह है। लेकिन, जिसने देश के लिए रिसर्च करके सेवा की है और जिसने देश का धन दौलत बढ़ाने में मदद की है, उसके लिए स्थान नहीं है। इसका मुझे दुःख है।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 11 मार्च, 1960, पृष्ठ 5531–32)

आगे चलकर इसी बहस के दौरान आपने कहा था कि डॉक्टर रामधन सिंह का हक हमसे कहीं ज्यादा है।

''मुझे गिला न रहे, हमारे पंजाब के गर्वनर या राष्ट्रपति के नोमिनेशन से अगर डॉक्टर साहब इंडियन कौंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में उनसे कोई फायदा उठायें, जबसे वे पैंशन आए हैं, तब से लगातार कागज निकाल रहे हैं। चूंकि वे देहाती हैं और उर्दू में ही छपवाते हैं। क्योंकि उर्दू के अलावा कोई दूसरा अखबार उनको छापेगा नहीं। अगर रिसर्च वर्कर देहाती हो तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। उन्हेंने बहुत काम की बातें छपवाई हैं।'' (संसदीय बहस (कार्यवाही लोकसभा 1957–62), 11 मार्च, 1960, पृष्ठ 5533)

दी नार्दन इंडियन कनाल एण्ड ड्रेनेज (पंजाब अमैंडमेंट बिल, 1963) पर बहस करने हेतु सिंचाई व बिजली व मंत्री चौधरी रणबीर सिंह की बड़ाई करते हुए पंडित चिरंजी लाल शर्मा ने कहा था :

''डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस वक्त जो बिल हाऊस में जेरे बहस है, उसकी स्टेटमैंट ऑफ आबजेक्टस एंड रीजन्ज को देखा जाये तो उस नजरिए से बेशक मंत्री महोदय मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि जमींदारों और किसानों की डिफीकल्टीज का अहसास करते हुए प्रोसिडिंग्ज को एस्पीडाइट करने की गरज से यह बिल लाये हैं।''
(पंजाब विधान सभा, 5 अप्रैल, 1963, पृष्ठ (33) 62)

वर्ष 1950 में अन्तरिम संसद में भारतीय सेना के पुनर्गठन के विषय में चर्चा हो रही थी। प्रश्न था कि सेना में रेजीमेंट को एक जाति व वर्ग की न रहने दिया जाये। बल्कि सबको मिला जुला बना दिया जाये। चौधरी रणबीर सिंह ने जोर देकर कहा था कि मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता। लेकिन, इस विषय में मुझे मित्रों तथा रिश्तेदारों से बातचीत करने पर अहसास हुआ है कि उन्हें जाति व वर्ग विशेष के नाम पर ही बने रहने दिया जाये। क्योंकि युद्ध के समय इनको जब उनके पुरखों की बहादुरी की बात याद दिलाई जाती है तो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि फ्रांस में 6 नंबर जाट रेजीमेंट की बहादुरी की दास्तान बताने पर जाट रेजीमेंटी की कोई भी पलटन हो,, वह सर्वस्व मिटाने को तैयार हो जायेगी।

———————————

* राव बहादुर चौधरी रामधन सिंह :संक्षिप्त परिचय (1 मई, 1891–17 अप्रैल, 1977)

जन्म : गाँव किलोई, जिला रोहतक।
पिता का नाम : चौधरी शंकर सिंह
शिक्षा : गर्वनमेंट कॉलेज, रोहतक, पूसा (बिहार), लायलपुर (पंजाब) तथा कैम्ब्रेज (लन्दन)।

कृषि विज्ञान में खोज :

1. गेहूँ की नौ प्रकार की किस्में, जिनमें सी–518 तथा सी–591 विश्व प्रसिद्ध रही।
2. धान की आठ किस्में, जिसमें बासमती 370 विश्व प्रसिद्ध।
3. जौ कि पाँच किस्में।
4. दालों की तीन किस्में।

वर्ष 1925 में लायलपुर कृषि विद्यालय में नौकरी प्रारंभ की और वर्ष 1946 में प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत होकर सोनीपत में रहने लगे। 2 जनवरी, 1961 को पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयुब खान द्वारा व्यक्तिगत रूप में पदक देकर सम्मनित किया गया। वर्ष 1939 में सर मिनार्ड गंगाराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें तीन हजार रूपये राशि भी शामिल थी। सन् 1943 में राव बहादुर का खिताब दिया गया। दस वर्ष तक जाट शिक्षण संस्थान रोहतक के प्रधान पद पर रहे। अपितु, आपकी योग्यताओं तथा अनुभव के अनुसार तत्कालीन सरकार ने कोई भी लाभ नहीं उठाया, कारण चाहे कुछ भी रहा हो।

9 उपसंहार

यह इतिहास समम्त बात है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म से पालन–पोषण तथा पारिवारिक संस्कारों एवं अपने समय की हालत पर आधारित शारीरिक तथा मानसिक विकास निर्भर रहता है। उसके व्यक्तित्व की दिशा तय करने में इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि उसे अपने बड़े–बूढ़ों से विरासत में किस प्रकार के माहौल तथा किस प्रकार के संस्कार प्राप्त हुए हैं।

यदि विरासत में गुण सम्पन्न अथवा स्वस्थ प्राकृति संसाधन मिले हैं तो उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार सर्वहित हेतु निखर कर बनेगा, अन्यथा जिस अवगुण की बाहुल्यता होगी, उसका समावेश भी उसी अनुपात से व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है, जिससे अहित तथा हित का अनुपात उसके गुण, अवगुणों के अनुपात पर निर्भर रहेगा।

कहना न होगा कि चौधरी रणबीर सिंह को बालकपन से लेकर जवानी तक के समय में स्वच्छ पारिवारिक वातावरण देशभक्ति की भावना, ग्रामीण जीवन की दैनिक कठिनाईयों से जूझना, सेवाभाव, राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा महर्षि दयानंद के वेद संदेशों की झलक मिलती रही। उच्च शिक्षा प्राप्ति के दौरान भारत की राजधानी दिल्ली में रहकर वास्तविक जीवन से सम्बंधित विभिन्न पहलुओं का भी ज्ञान हुआ, जैसे आत्मविश्वास, ईमानदारी, स्वालम्बन, वर्ग संघर्ष, व्यवहारिक चतुराई (समझ) पतन और उत्थान इत्यादि। साथ ही भिन्न–भिन्न

प्रदेशों से सम्पर्क में आए हुए अनजान व्यक्तियों के सहयोग में रहकर परस्पर व्यवहार की सूझ समझ के साथ स्वतंत्र जीवनयापन का तर्जुबा प्राप्त हुआ।

सदैव ही आप लीपापोती, चापलूसी, जी हजूरी से घृणा करते थे, क्योंकि आपने देखा कि आपके पिता चौधरी मातूराम जैलदार होते हुए भी अंग्रेज की चापलूसी तथा जी हजूरी नहीं करते थे। वह सदैव ही देशहित के कार्यों में सलग्न रहते थे। इस बात का प्रभाव आपके दिल दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गया।

वर्ष 1914 ईस्वी से लेकर 1940 ईस्वी तक इन 26 वर्षों के दौरान आपने जो कुछ देखा, पढ़ा और महसूस किया, उसके ही परिणामस्वरूप आपके व्यक्तित्व में देश को आजाद कराने की भावना उतनी ही तीव्रता से पनपी कि शीघ्र ही आपने अपने पिता जी से इजाजत लेकर सीधा ही सन् 1940 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया और फिर जीवन पर्यन्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन दिनों द्वितीय महायुद्ध जोरों पर था।

सन् 1941 से लेकर अगले पाँच वर्ष तक आप बेखौफ जेल जाते रहे और दुर्भाग्यवश उन्हीं दिनों 14 जुलाई, 1942 को आपके पिताजी का देहावसान हो गया। आपका व्यक्तित्व अभी तक इतना परिपक्व हो चुका था कि यद्यपि आपको गहरा दुःख तो हुआ, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सका। इसके उपरान्त भी आपको लगातार चार–पाँच बार जेल जाना पड़ा।

विश्वयुद्ध समाप्त हुआ और अन्ततः भारत को आजादी मिली। उस समय भी आप जेल में ही थे। 10 जुलाई, 1947 को आपका चुनाव संविधान सभा में सदस्य के तौर पर हो गया तथा आपने 14 जुलाई, 1947 को सदस्यता हेतु शपथ ग्रहण की थी। इस समय आपकी आयु

केवल 32 वर्ष पार की थी और संविधान सभा में सबसे छोटी आयु के सदस्य थे।

पिछले पाँच–सात वर्षों की कठिन भागदौड़ की जिन्दगी से आपने बहुत कुछ सीखा तथा और कुछ कर दिखाने की ठानी। कुछ ही दिनों के चिन्तन के बाद आपने कुछ मुद्दों को अपना लिया और उन पर अमल करने के लिए कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी।

जीवन पर्यन्त किसान और उनके हितों की चिन्ता रही, चाहे भूमि अधिग्रहण हो, उपज का उचित मूल्य, पानी, बीज, खाद अथवा कीटनाशक दवाईयां हों। चौधरी रणबीर सिंह ने बाल्यकाल से ही भूमि की उपयोगिता के विषय में ज्ञान था। उन्होंने नई दिल्ली को बनते देखा तो दिल्ली देहात के किसानों की कृषि योग्य भूमि टकों के भाव से अधिग्रहित की जा रही थी। उनको उचित मूल्य भी नहीं दिया जा रहा था। उसूलन आपको भूमि अधिग्रहण कोई विरोध नहीं था। यदि विरोध था तो उचित मूल्य न देने और किसानों के बजाए मुआवजा देने के जमीन के बदले जमीन न देने का था।

मौका मिलते ही आपने सितम्बर, 1948 में कहा कि :

''एक किसान और खेती करने वाले के नाते मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि जमीन का मुआवजा क्या होता है? आप उसे कितना ही मुआवजा दे दें तो भी पूरा नहीं होता। न उसके पास जमीन है, ना घर है, न पैसा रहता है। उसको जमीन के बदले जमीन दें।''

आप हमेशा ही कहते थे कि जिस व्यक्ति के पूर्वजों ने खेती के अलावा कोई अन्य काम नहीं किया तो वह अपना व्यवसाय कैसे बदलेगा। उन्होंने जहां भी मौका मिला वहीं, इस मुद्दे पर अपने विचार

रखे। आप जोर देकर कहा करते थे कि बंजर तथा कृषि के अयोग्य जमीन का अधिग्रहण करें, न कि कृषि योग्य भूमि का। यदि ऐसी भूमि अधिग्रहण करना ही पड़ जाए तो उन भाईयों को बंजर जमीन चालू करके दी जानी चाहिए। उनको अधर में नहीं छोड़ना चाहिए। जमीन का सवाल अभी तक हल नहीं हुआ है। बहस जारी है। इसलिए हमें उनकी दूरदर्शिता का लोहा मानना पड़ेगा।

उनकी लड़ाई कृषि उपज का उचित मूल्य दिलवाने के लिए भी जीवन पर्यन्त जारी रही। इस विषय पर आपने सभी सदनों में जिक्र किया और जोरदार तरीके से उठाया भी। आपने गेहूं, कपास, चना, बाजरा, गुड़ जूट, मूंगफली इत्यादि के मूल्यों की तुलना बाजार भाव से की और फसल आने के समय के मूल्यों तथा जब फसल बिक जाती है। उसके बाद के मूल्यों की तुलना करके अपनी बात कही और उसे किसान के प्रति घोर अन्याय बताया। इसी विषय को लेकर रेलवे बजट पर भी बहस करते समय किसान को अच्छे भाव बेचने के लिए रेलवे द्वारा बैगन नहीं दिए जाने का मुद्दा बार–बार उठाया। क्योंकि गुड़ के सीजन में पंजाब व हरियाणा व यू.पी. में तो गुड़ कौड़ियों के भाव बिकता था और बम्बई व कलकता में दो–तीन गुणा ज्यादा बिकता था, जिसका सीधा फायदा बिचौलिए एजेन्ट उठाते थे, जिनको कोई गुड़ाई व नलाई नहीं करनी पड़ती थी। क्योंकि कृषि उत्पादन उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सपोर्ट प्राईज नियुक्त नहीं की जाती थी। इन सब प्रयासों के परिणाम यह हुआ कि आज प्रांतीय सरकारें कृषि उत्पादन सपोर्ट प्राईस निश्चित करती है। यह चौधरी साहिब की दूरदर्शिता तथा निरन्तर अथक परिश्रम का परिणाम है।

नेहरू स्मारक संग्रहालय को इन्टरव्यू देते समय वर्ष 1986 में भी उनके हृदय में किसान की कृषि उपज के बारे में तड़फ थी। उन्होंने

कहा (पृष्ठ 66 देखिए) :

''हमारा गेहूं–चना दिल्ली में जिस भाव से बिकता, उस भाव कभी नहीं बिकता। उन्हें उससे क्या लेना देना है। चाहे मंत्री कोई बने, उनको तो अपने हित की परवाह है।''

आपने ग्रामीण विकास की गति तेज करने बारे और पशुधन के बचाव के बारे में दर्जनों बार मुद्दे उठाए। उनका कहना था कि जिस तेजी से शहरों का विकास हो रहा है, उस गति से ग्रामीण विकास, कतई नहीं हो रहा है। आप कहा करते थे कि स्कूल, डाकखाने, हस्पताल तो बहुत दूर की बात है, वहां तो आने आने के साधन भी नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की कमी तो है ही, अपितु शिक्षण के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। देहात में 70 प्रतिशत लोग बसते हैं, जो इन सब सुविधाओं से वंचित हैं। उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए। लेकिन, दुर्भाय की बात है कि उनकी बात को कोई नहीं सुनता। क्योंकि न तो उनके पास कोई अपना अखबार है और न ही कोई ऐसा मंच है, जिसके द्वारा अपना दुःखड़ा रोकर सुना सके। प्रेस में उनकी आवाज कभी आती ही नहीं।

पशुधन बचाने के विषय में आपने कई बार संसद में आवाज उठाई थी और कहा कि हमारे दुधारू व अच्छी नसल के पशु बम्बई और कलकत्ता लदान में चले जाते हैं। जब दूध से सूख जाते हैं, उनको वहीं पर बूचड़ खाने में भेज दिया जाता है। 2 करोड़ साल के पशु बाहर जाते हैं, यदि उनको सरकार सहायता करके वापिस हरियाणा, पंजाब मंगा ले तो हम अपनी छाती से लगाकर उनका पालन पोषण करेंगे। दुधारू नस्ल नष्ट हो रही है, किसी को कोई फिकर नहीं है। यह प्रयत्न बेनतीजा रहे।

यमुना घाटी विकास योजना के बारे में चौधरी रणबीर सिंह ने

सबसे पहले संसद में आवाज उठाई थी। यह बात फरवरी, 1948 की है। जब यमुना घाटी निगम स्थापना पर बहस चल रही थी। उन्होंने यह भी याद दिलाया था कि हम सब लोग यमुना नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं। यहां से यमुना नदी गुजरती थी। इस बात को दीये तले अंधेरा बताया और जोर देकर कहा था कि बिना किसी विलम्ब के हमें यह प्रोजेक्ट विशेष तौरपर किशाऊ डैम पूरा कर दिया जाए, जिससे हम किसानों को बहुत अच्छी हालत में देख पाएंगे।

चौधरी रणबीर सिंह हिंदी भाषा को उचित दर्जा दिलाने के लिए बहुत प्रयत्नशील रहे। इसी तरह हरियाणा को अलग प्रान्त बनवाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही जिसपर अलग से विस्तृत पुस्तक लिखने की आवश्यकता होगी।

चौधरी रणबीर सिंह : संक्षिप्त जीवन घटनाक्रम

पिताश्री : चौधरी मातूराम
माताश्री : श्रीमती मामकौर
दादा जी : चौधरी बख्तावर सिंह
दादी जी : श्रीमती धन्नो
भाई–बहन :
1. डा. बलबीर सिंह
2. सुश्री चन्द्रावती
3. चौधरी फतेह सिंह

वर्ष	विवरण
1914 (26 नवम्बर)	: जन्म (रोहतक जिले के सांघी गाँव में)
1920	: प्राथमिक शिक्षा हेतु गाँव के स्कूल में प्रवेश।
1924	: प्राथमिक शिक्षा पूर्ण, गुरूकुल भैंसवाल में प्रवेश।
1929	: लाहौर अधिवशन में बड़े भाई के साथ शिरकत।
1933	: वैश्य स्कूल, रोहतक से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण
1937	: रामजस कॉलेज, दिल्ली से बी.ए. उत्तीर्ण
1941	: सक्रिय राजनीति में प्रवेश
1941 (5 अप्रैल)	: प्रथम जेल यात्रा (व्यक्तिगत सत्याग्रह)
1941 (मई)	: जेल से रिहा
1941	: दूसरी जेल यात्रा
1941 (24 दिसम्बर)	: जेल से रिहा
1942 (14 जुलाई)	: पिताश्री का देहांत
1942 (24 सितम्बर)	: तीसरी जेल यात्रा (भारत छोड़ो आन्दोलन)।
1943 (25 अप्रैल)	: मुल्तान से लाहौर जेल में
1944 (24 जुलाई)	: जेल से रिहा
1944 (28 सितम्बर)	: चौथी जेल यात्रा (नजरबंदी उल्लंघन)
1944 (7 अक्तूबर)	: रोहतक जेल से अम्बाला जेल में

1945 (14 फरवरी)	: जेल से रिहा
1945	: पुनः गिरफ्तारी।
1945 (18 दिसम्बर)	: जेल से रिहाई।
1947 (10 जुलाई)	: संविधान सभा सदस्य निर्वाचित
1947 (14 जुलाई)	: संविधान सभा सदस्यता ग्रहण
1948 (6 नवम्बर)	: संविधान सभा में प्रथम भाषण
1952	: रोहतक लोकसभा सीट से विजयी
1957	: दूसरी बार लोकसभा के लिए विजयी हुए।
1962	: पंजाब विधान सभा में कलानौर से विजयी
1962	: पंजाब में बिजली व सिंचाई मंत्री
1966 (1 नवम्बर)	: हरियाणा–गठन।
	: मंत्री पद पर नियुक्त
1968 (12–14 मई)	: मध्यावधि चुनाव। हरियाणा विधानसभा के लिए विजयी
1972 (अप्रैल)	: राज्यसभा के लिए चुने गए
1977	: हरियाणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने
1978	: राज्यसभा में कार्यकाल सम्पन्न
1980	: हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकाल सम्पन्न
2009 (1 फरवरी)	: निधन
2009 (2 फरवरी)	: रोहतक में 'समाधि–स्थल' पर अंत्येष्टि